खण्ड-273, अंक-1
सोमवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1889
(3 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

131842

सोमवार, ३ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६०

अंगने लाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
आत्मा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
एस० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैया लाल, श्री (इटावा)
कन्हैया लाल, श्री (झांसी)
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
काशीनाथ, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
कंवार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी

गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल रामदास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी शंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगपत सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोधानन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एम० सिनहा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दुगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पढ्बर राम, श्री
पाती राम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदल राम, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री

बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बसन्त लाल, श्री (जालौन)
बसन्त लाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधि राम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचन राम, श्री (मिर्जापुर)
बेचन राम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महो लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान सिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुरली धर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्की राज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल आचार्य,
मोहन लाल, कपूर श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईस उद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
राज बहादुर, श्री (सीतापुर)
राज बहादुर चन्द, श्री
राज बहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह, यादव, श्री

राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राज बहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
राम प्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन, सिंह, श्री
रामसिंह श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लाल न शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकरसिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम मौंगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हुसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री

सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री

हरिगेनराम, श्री
हरीहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीहर बख्श सिंह, राजा
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरी सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट--मंत्री श्री प्रभूनारायण सिंह तथा मंत्री श्री मान सिंह वर्मा भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३ जुलाई, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

विकास क्षेत्र जैतीपुर को लघु सिंचाई कार्यों के लिये अनुदान

*१--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर में ३१ मार्च, १९६७ तक कितना अनुदान १९६६-६७ में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिया गया और कितना अनुदान का पैसा राज्य सरकार को सरेन्डर कर दिया गया ?

कृषि उप-मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)--

वर्ष १९६६-६७ में विकास क्षेत्र जैतीपुर को लघु सिंचाई कार्यों पर अनुदान दिये जाने के लिये ४,५०० रु० की धनराशि दी गई जो निम्न प्रकार व्यय की जानी थी--

	रु०
सिंचाई कूप	२,०००
रहट	१,०००
नलकूप	१,५००

इसमें से २,००० रु० का अनुदान कुओं पर दे दिया गया और शेष २,५०० रु० का अनुदान उक्त विकास खंड में वितरित न हो सकने से दूसरे विकास क्षेत्रों में उपयोग किया गया । राज्य सरकार को कोई धन सरेंडर नहीं किया गया ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब मेरी तथा अन्य लोगों एक ट्यूबवैल के कम्पलीशन की रिपोर्ट पहुंच गई थीं तो अनुदान क्यों नहीं दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

श्रीमान् जी, नलकूप के बारे में पहले तो यह गड़बड़ी हुयी कि लोगों ने पहले कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दे रखा था कि वह नलकूप लगाना चाहते हैं और अनुदान चाहते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने वाउचर्स दाखिल किये तो तीन ऐसे इंजिन थे जो पुराने लगा रखे थे और कुछ अनअप्रूव्ड ऐसे इंजिन थे जिन पर अनुदान नहीं मिलता है असिस्टेन्ट इंजीनियर, इंजीनियर के पास उनकी राय के लिये पेपर्स भेजे गये तो उन्होंने कुछ डिफेक्ट्स बताये। लेकिन उनका निराकरण समय क अन्दर नहीं हो सका इसलिये अनुदान नहीं दिया जा सका।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रार्थना-पत्रों के पहुंचने पर जब डिफेक्ट्स का निराकरण नहा हो सका तो अब कब तक अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---

उनके डिफेक्ट्स दूर हो जायेंगे यानी जिन्होंने पुराने इंजिन लगा दिये थे और अनधिकृत इंजिन लगा लिये थे जब वे दूर हो जायगे तो मिल जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मंत्री जी रहट के बारे में बतायेंगे कि उसमें क्या बात थी ?

श्री जयराम वर्मा---

केवल रहट के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं था, सम्मिलित कार्यों के लिये थे जिसमें कूप निर्माण और बोरिंग शामिल हैं। कुओं के लिये जितने प्रार्थना-पत्र थे उसमें से सबको अनुदान नहीं मिल सका। केवल ८ को ही मिल सका। क्योंकि कूप निर्माण का मेन काम था और जब उसके लिये सबको अनुदान नहीं मिल सका तो वहां के अधिकारियों ने सोचा कि केवल रहट के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं है इसलिये केवल रहट पर जब तक सब कुओं के लिये अनुदान नहीं दिया जाय तब तक नहीं दिया जा सकेगा। यद्यपि वे देख लिये होते और उनमें कोई डिफेक्ट न होते और व दे देते तो नियम के खिलाफ नहीं होता। लेकिन खयाल था कि सम्मिलित प्रार्थना-पत्र हैं इसलिये केवल रहट पर देना नियमानुकूल नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

माननीय मंत्री जी इसको देखते हुये कि अनुदान मिलने से नलकूप तथा सिंचाई के कुयें बनाने में प्रोत्साहन मिलता है और किस तरह से इनके लिये अनुदान मिलता है इसकी जानकारी लोगों को नहीं है तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश दगे कि इसके लिये बी० एल० डब्लू० या बी० डी० ओ० गांवों की जनता को समझाये कि किस तरह से अनुदान मिल सकता है जिस से भविष्य में अनुदान लोगों को मिल सके ?

श्री जयराम वर्मा---

यह ठीक है। उनकी जिम्मेदारी है कि उनेको बतलायें जो नहीं समझते हैं और जो कमियां हों प्रार्थना-पत्र में उनको दूर करवायें। यह उनकी जिम्मेदारी है।

रीजनल फूड कन्ट्रोलर, मेरठ के कम्पाउन्ड में बोई गई जमीन

*२---श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रीजनल फूड कंट्रोलर, मेरठ रीजन, मेरठ के मेरठ स्थित नादरअली की बिल्डिंग वाले दफ्तर के कम्पाउन्ड की जमीन की कितनी एकड़ जमीन में १९६६-६७ में रबी, खरीफ और जायद की फसलें बुआई गयीं हैं ? उन फसलों के बेचने से कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त हुई।

खाद्य उपमंत्री (श्री शमीम आलम)--

'जी हां, रीजनल फूड कट्रोलर मेरठ, जो कि इसी इमारत के एक हिस्से में रहते थे, ने निजी तौर पर मक्का, चरी इत्यादि कुल जमीन के कुछ भाग में बोया। अतः सरकार द्वारा धन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।'

श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल फूड कट्रोलर, मेरठ ने अपने दफ्तर क कम्पाउन्ड में जिस हिस्से में मक्का और चरी बोयी थी उसकी बोवायी और सिंचाई सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई ?

श्री शमीम आलम---

इसका नोटिस देना होगा। इस सबंध में मैं यह अर्ज करूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा जारी किये गये डी० ओ० ७ दिसम्बर, १९६५ और २० नवम्बर, १९६५ के अनुसार चूंकि खाद्यान्न की किल्लत थी यह आदेश जारी किये गये कि सरकारी इमारतों में जो जगह खाली पड़ी हुयी है वह आफिसर्स बोवा लें और उसके बैनिफिट्स को आपस में बांट लें।

श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में जो रीजनल फूड कंट्रोलर का दफ्तर है उसके कम्पाउन्ड में बीसों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, क्या सरकार बिचार करेगी कि उस जमीन से कोई फायदा उठाया जाय ?

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)---

मान्यवर, पूरे कम्पाउन्ड के बीच में कार्यालय है और उसी कार्यालय और बाग में अधिकारियों का आवास और सर्वेन्ट क्वार्टर्स भी हैं। मकानों की किल्लत के कारण कार्यालय से रहने का स्थान अलग नहीं किया जा सकता। जिलाधीश ने बार-बार आग्रह किया कि स्थान की कमी के कारण अभी कार्यालय के अन्दर ही अधिकारियों को रहने दिया जाय। कुल १ लाख ६७ हजार ९ सौ ८४ वर्गफीट जमीन है लेकिन ५ हजार तीन सौ ४० वर्गफीट में चरी और मक्के की बुवायी की गई, जिसको आर० एफ० सी० ने स्वयं अपने खर्च से किया था। इसलिये सरकार द्वारा धन लेने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने खर्च किया और उसका इस्तेमाल किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

इस बात को देखते हुये कि जो जी० ओ० सरकार का १९६५ और उसके पहले मंत्री जी ने पढ़ा है वह ठीक जी० ओ० नहीं है, बहुत सी जगहों पर जैसे बनारस के जो कमिश्नर साहब का बंगला है उसके आस पास काफी जमीन है, जिसमें कि भगवान सिंह, फूड कमिश्नर ने भी खेती करवायी, शाहजहांपुर के कलेक्टर जहां रहते हैं वहां २० एकड़ जमीन है जिसमें वह खुद खेती करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कोई प्रश्न पूछ लें। कई जगहों के उद्धरण की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ऊदल---

इसलिये दो तीन जगहों को बताया क्योंकि इस तरह से प्रदेश में बीसियों जगहें हैं जहां २०-२५ एकड़ जमीनें हैं जिनमें खेती करायी जा सकती है। क्या सरकार उस जी० ओ० में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ताकि उसमें जो खेती हो उस पर खर्च काटकर सरकारी कोष में जमा होता रहे ?

श्री झारखंडे राय---

इस बात पर विचार किया जायगा।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

जो रीजनल फूड कन्ट्रोलर आफिस के कार्यालय के हाते में शेष भूमि बची थी, उसमें खेती क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री झारखंडेराय---

उस पूरे कम्पाउन्ड के बीच में वह भवन है और कार्यालय के एक भाग में आवास-स्थल है और लान है और सर्वेन्ट क्वार्टर्स एक हिस्से में है। दायें-बायें हिस्से का कुछ भाग खाली है उसमें मक्का और ज्वार आर० एफ० सी० ने बुवाया था, शेष के बारे में कोई बात नहीं सोची गयी थी।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

इस प्रकार की जमीनों में होने वाली खेती से जो उत्पादन हुआ क्या वह प्रोक्योरमेंट स्कीम में लिया गया ? और क्या उससे सरकार को कुछ आमदनी हुई ?

श्री झारखंडेराय---

मान्यवर, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि जब उस बिल्डिंग का किराया सरकार देती है तो उस अधिकारी ने उसमें कैसे बुवाया और कैसे उसका उत्पादन अपने पास उन्होंने रख लिया ? क्या मन्त्री जी ने ऐसे कोई आदेश दे रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मन्त्री जी ने अभी बताया है कि ऐसे आदेश हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

जब सम्बन्धित जी० ओ० में लिखा है कि उस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी आपस में मिलकर उत्पादन करें और उत्पादन को आपस में बांट लें, तो फसलों को आर० एफ० सी० साहब ने अकेले क्यों ले लिया ?

श्री झारखंडेराय---

चूंकि उसमें चरी और मक्का आर० एफ० सी० ने अपने खर्चे से बुवाया था और सबने मिलकर उसमें काम नहीं किया था, इसलिए उन्होंने सब स्वयं ले लिया।

श्री भग्गूराम (उपनाम भृगुनाथ) (जिला वाराणसी)---

क्या ऐसी भूमि खाद्य मन्त्री जी खेतिहर भूमिहीनों को देकर खेती करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप यह जवाब देने की कृपा करें कि यदि किसी कार्यालय में कोई जमीन खाली पड़ी है तो आप उसको गरीब भूमिहीनों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडेराय---

सरकार के ध्यान में यह बात आई कि कई कार्यालयों में बहुत भूमि पड़ी है जो बेकार, है, इसी लिए यह जी० ओ० निकाला गया कि ऐसी बेकार पड़ी भूमि पर खेती की जाय और जो लोग वहां रहते हैं वे उसका सदुपयोग करें और उसके ऊपर अन्न का उत्पादन करें और उत्पादन को आपस में बांट लें। अब बड़े-बड़े कम्पाउन्ड का इस्तेमाल हो रहा है, जहां तक भूमि खेतिहर मजदूरों को देने का प्रश्न है, इस पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है और जंगलों की भूमि को उनको देना उचित भी नहीं होगा।

श्री भग्गूराम (उपनाम भृगुनाथ)—

मन्त्री जी ने बताया कि आधी जमीन पर खेती हुई और आधी जमीन परती पड़ी रही तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या उनके द्वारा खेती हो सकती है? यदि नहीं, तो क्या जो परती पड़ी रहेगी उसे भूमिहीनों को देकर उसका सदुपयोग करने की बात आप सोच रहे हैं?

श्री झारखंडेराय—

मान्यवर, आदेश इस बारे में स्पष्ट हैं कि जो भी जमीन खाली हो उस का इस्तेमाल हो और इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी और अधिकारी उसके प्रोड्यूस को आपस में बांट लें। अब वे किन्हीं दिक्कतों के कारण, आर्थिक या अन्य किन्हीं कारणों से खेतीबारी नहीं कर सकते या किसी अंश में करते हैं तो मेरा खयाल है कि वे धीरे-धीरे करने लगेंगे। इसलिए इस वक्त खेतिहर मजदूरों को उन जमीनों को देने का सवाल नहीं उठ सकता है।

शाहजहांपुर जिले में चीनी वितरण की व्यवस्था

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर में देहात के अधिकृत सरकारी सस्ती शकर विक्रेताओं को नियमित रूप से मासिक कोटे नहीं दिए जाते? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

*४—क्या खाद्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के तिलहर में शकर के होल सेल डीलर ने अप्रैल, १९६७ में किस तिथि को कितना कोटा उठाया और वह तहसीलदार तिलहर के आदेश पर कितने दिन में वितरित कर दिया गया?

श्री शमीम आलम—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न २-६-६७ को दिया था और २६-६-६७ को यह पहली बार स्थगित किया गया। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह सूचना कितने महीने में प्राप्त हो जायगी?

श्री झारखंडेराय—

प्रश्न का उत्तर बहुत जल्द मिल जायगा। जो उत्तर आया था वह बहुत सन्तोषजनक नहीं था इसलिए उस पर फिर से उत्तर मंगाने की कोशिश की जा रही है और तब तक के लिए माननीय सदस्य कृपया सन्तोष करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर विधान सभा में प्रश्नों के उत्तर सरकार ठीक समय से नहीं देगी तो माननीय सदस्यों की जो इच्छा है और जो उनका कर्तव्य है उसमें बाधा पड़ सकती है। तो मैं यह चाहूंगा कि ऐसी देर न हो। इस प्रश्न को मैंने देखा। इसमें कोई ऐसी सूचना नहीं दिखाई पड़ती है जिसमें इतना समय लग गया। इतने में वांछित सूचना प्राप्त हो सकती थी। इसलिए आप विशेषतया इस ओर ध्यान दें और भविष्य में इस बात पर जोर दें कि सूचनायें समय से अवश्य आ जायं।

श्री झारखंडेराय—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

माननीय मन्त्री जी जब तक प्रश्न का उत्तर देते हैं इस बीच में शाहजहांपुर में इन दुकानों में चीनी का कोटा ठीक से पहुंचे क्या इसकी कोई व्यवस्था की गयी है या नहीं?

श्री झारखंडे राय---

चीनी के वितरण के बारे में जो आदेश हैं वह वहां पर भी गए हैं और वहां के लिए कोई विशेष आदेश नहीं दिए गए हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या यह सही है कि सरकार ने अभी हाल में गांवों का सभी चीनी का कोटा बन्द कर दिया है? यदि हां, तो कब से?

श्री झारखंडेराय---

मान्यवर, चीनी का कोटा पूरा तो नहीं बन्द किया गया है, बल्कि उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन इस माने में हुआ कि गल्ला प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में जो नीति बनाई गयी थी कि जो किसान गल्ला प्रोक्योरमेंट सेन्टर्स पर गल्ला देंगे उनको चीनी दी जायगी इस प्रकार के आदेश दिए गए थे अब उस आदेश से एक भ्रम हो गया था कि केवल शादी विवाहों के लिए चीनी सिर्फ उन्हीं को दी जायगी जो अपना गल्ला हमारे सेन्टर्स पर बेचेंगे। बाद में उस आदेश का स्पष्टीकरण करते हुए यह आदेश दिया गया कि नहीं, जो गल्ला नहीं देते हैं लेवी में उनके लिए भी शादी विवाह का मौका पड़ने पर अगर वह दरख्वास्त देंगे तो उन पर विचार करके उनको चीनी दी जायगी।

श्री अध्यक्ष---

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर) अब यह प्रश्न जब दोबारा आएगा तब अनुमति मिलेगी। जब प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जा रहा है तब उस पर सप्लीमेंटरी क्वैश्चन्स क्या पैदा होंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

माननीय मन्त्री जी ने अपने उदार स्वभाव के कारण कुछ अधिक सूचना दे दी है और उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश भर में विवाह शादी के लिए जिन्होंने चीनी ली है उन्होंने इस चीनी का कुल ब्लैक मार्केट किया है, जिन्होंने लेवी के बदले में चीनी ली है उन्होंने यह सब कुछ किया है, क्या माननीय मन्त्री जी को इसका पता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---

आप बाद में जब प्रश्नों का उत्तर आ जायगा तब यह कीजिएगा।

[३ जुलाई, १९६७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१---श्री प्यारेलाल---

[१७ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया।]

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम का प्रवर्तन

*२---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग अधिनियम प्रदेश को किस-किस मन्डी में अभी तक लागू किया जा चुका है और उक्त अधिनियम प्रदेश की कितनी मन्डियों में लागू करने की सरकार की योजना है?

श्री रूपनाथ यादव---

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम, १९६४ प्रदेश की तीन प्रमुख मन्डियों रुद्रपुर, मौरानीपुर तथा शामली तथा इन की चार उप मन्डियों में अभी तक लागू किया जा चुका है।

उक्त अधिनियम प्रदेश की समस्त २५० प्रमुख मन्डियों में लागू करने की सरकार की योजना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कृषि मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या यह सही है कि १९६५-६६ और १९६६-६७ के २ वित्तीय वर्षों में सरकार ने गजट कर दिया था और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दी थी और यह निश्चय कर लिया था कि १४५ मंडियों में यह मंडी कानून लागू हो जायगा ? यदि हां तो फिर यह क्यों लागू नहीं किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

मंडी अधिनियम, १९६४ के अन्तर्गत नियमावली जुलाई, १९६५ में प्रकाशित हुई और उसी साल सितम्बर में एक मंडी विनियमित की गई। उसके बाद सितम्बर, १९६६ में २ मंडियां विनियमित की गईं। अब जो नक्शा है उसके अनुसार ९० मन्डियों को विनियमित करना है १९६७-६८ में। १९६८-६९ में ८७ मन्डियों को विनियमित करना है और १९६९-७० में ७० मन्डियों को विनियमित करना है। इस तरह से १९७० तक २४७ मंडियों को विनियमित करने की योजना है जो बाकी रह गई हैं वह भी इसके अन्तर्गत आ जायेंगी। १९६५ में सिर्फ एक मंडी विनियमित की गई। अगर कोशिश की गई होती तो ज्यादा मंडियां विनियमित हो सकती थीं। मैं यह मान सकता हूं कि बहुत तेजी के साथ काम हुआ होता तो शायद कुछ और मन्डियों में यह अधिनियम शुरू हुआ होता, लेकिन अब जो नक्शा बनाया गया है उनके हिसाब से १९६९-७० तक सभी मन्डियां विनियमित हो जायेंगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष १९६५-६६ और १९६६-६७ में सरकार ने १४५ मन्डियों में यह मन्डी अधिनियम लागू करने के लिए गजट कर दिया था ?

श्री जयराम वर्मा—

१४२ मन्डियों के लिए मन्डी कानून की धारा ५ के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी।

श्री विरेन्द्र वर्मा—

तब फिर किन कारणों से जब कि बजट में रख दिया गया था, स्टाफ भी ट्रेन्ड था और गजट भी हो गया था तो यह कानून लागू नहीं किया ?

श्री जयराम वर्मा—

वह कई धाराओं के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी करनी पड़ती है। ५, ६, ७ और १४ के अन्दर जारी करनी होती है। १४२ के लिये सिर्फ धारा ५ के अन्दर ही जारी हो चुकी थी। सब धाराओं के अन्दर जारी नहीं हुई इसलिए वह लागू नहीं हुआ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि धारा ५ के अन्तर्गत जो गजट नोटिफिकेशन हुआ वह १४२ मन्डियों के लिए हुआ था तो उस धारा के अनुसार जो फायदा पहुंचता था वह इन १४२ मन्डियों को दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

उसमें चार धाराओं का उल्लेख है। जब तक सभी के अन्तर्गत वह विज्ञप्ति जारी न हो जाय तब तक उसका पूरा लाभ नहीं होता। धारा ५ में तो सरकार अपना इरादा बताती है कि फलां मंन्डी को इस कानून के अन्तर्गत विनियामित करना चाहते है।

श्री ऊदल—

धारा ४ में जो विज्ञप्ति जारीं नहीं की गई और जिन लोगों ने विज्ञाप्ति नहीं निकाली क्या मन्त्री महोदय उनकी छानबीन करने की कृपा करेगें ?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था कि यदि इसमें तेजी की गई होती तो बजाय ३ के और मन्डियों में लागू हो सकता था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ९० मन्डियों में वे चालू वर्ष में इस अधिनियम को लागू करना चाहते हैं क्या उन सब को गजट करा दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

धारा ५ और ६ के अन्तर्गत विज्ञप्ति सभी ९० मन्डियों के बारे में जारी हो चुकी है। धारा १४ के अन्तर्गत विज्ञप्ति केवल ४४ के बारे में हो सकी है और इनके मामले सरकार के विचाराधीन हैं। ४४ में जल्दी ही यह अधिनियम लागू हो जायगा और बाकी ४६ के सम्बन्ध में भी कार्यवाही हो रही है । वह भी सरकार के सामने आदेश के लिए जल्दी ही आयेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने का कृपा करेंगे कि धारा ५ में जब विज्ञप्ति हो गयी थी तो शेष तीन धाराओं में विज्ञप्ति किन कारणों से सरकार नहीं करा सकी ?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने श्रीमान जी कहा कि सरकार यदि उस को लागू करने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करती तो वह लागू किया जा सकता था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस अधिनियम को जब उन्होंने लागू करने का निश्चय किया है तो उसे टुकड़े-टुकड़े कर के क्यों लागू कर रहे हैं? उन को सारी की सारी धारायें एक साथ लागू करा देने में क्या दिक्कत है ?

श्री जयराम वर्मा—

ढाई सौ प्रमुख मन्डियां हैं और ढाई सौ उपमन्डियां हैं। सब में यह अधिनियम एक ही साल में लागू करना सम्भव न होगा। हमको इस के लिए कमेटियां बनानी पड़ती हैं और पहले ऐडहाक कमेटी बनानी पड़ती हैं और हम को फैसला करना पड़ता है कि इस में कौन-कौन मेम्बर हों। यह मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े काम को हम एक साथ अपने ऊपर ले लें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मन्त्री जी कमेटी बनाने का काम जिलाधीशों के सुपुर्द कर देंगे ताकि वह इस काम को पूरा कर लें और यह अधिनियम प्रदेश में जल्दी ही लागू किया जा सके ?

श्री जयराम वर्मा—

जो कानून बना हुआ है उस का संशोधन मैं कर नहीं सकता, अगर बहुगुणा जी संशोधन करा दें तो यह हो सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रारम्भ में सरकार जिन अस्थायी समितियों का निर्माण करती है उन की अवधि क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

एक वर्ष।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि समितियों के लिए नामों को उन के पास कौन भेजता है और किस की सिफारिश पर उन सदस्यों की नियुक्ति उन समितियों में होती है ?

श्री जयराम वर्मा---

अगर बहुगुणा जी भी किसी नाम की सिफारिश कर देंगे तो मैं उस पर विचार कर लूंगा।

*३-४---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

[१७ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किए गए।]

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, एजेंडा में देखें कि प्रश्न संख्या ३ मेरे नाम से अंकित है। मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत और किस प्रकार माननीय कृषि मन्त्री जी के यहां मौजूद होते हुए यह प्रश्न स्थगित किया गया है ?

नियम में है कि या तो माननीय मन्त्री जी गैर हाजिर हों या माननीय सदस्य स्वयं आपकी आज्ञा से स्थगन करायें। लेकिन कोई कारण नहीं दिया गया है। कृषि मन्त्री मौजूद हैं और ये १७-७-६७ के लिए स्थगित कर दिए गए। तो किन कारणों से यह स्थगित किए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न उठाया गया वह बड़े महत्व का है, क्योंकि इस सदन में प्रश्नों का बड़ा महत्व है और प्रश्न ही एक माध्यम है जिसके द्वारा समय-समय पर जनता की शिकायतों के बारे में जानकारी सरकार द्वारा हो सकती है। इस विषय में जो नियम हैं, जैसा कि माननीय नेकराम जी ने कहा, साफ है। यह नियम ३० और ३८ (२) से है। ३८ (२) में जो प्राविधान है उसके अनुसार, "किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिए वह सूचीबद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मन्त्री तद्नुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे।"

तो जहां तक ३८ (२) का सम्बन्ध है इससे माननीय नेकराम जी की बात को पुष्टि मिलती है कि अपेक्षित यही है कि मन्त्री जी कोशिश करें कि समय के अन्दर अवश्य सूचना आ जाय और यदि न आ सके तो उसका कारण बतायें। लेकिन मैं जरा बताना चाहता हूं कि इस विषय में जो अब तक व्यवस्था रही है वह जरा भिन्न रही है और इस नियम का बहुत ढिलाई से पालन होता रहा है। पूर्वगामी अध्यक्ष ने कुछ कारण, प्रक्रिया सम्बन्धी डायरेक्शन्स जारी किए थे जो लेखबद्ध हो चुके हैं पुस्तक के रूप में। सम्बन्धित नियम पृष्ठ ५ पर २१वां है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं, "प्रश्नों के स्थगन की प्रक्रिया"। इसमें लिखा है, "....किन्तु यदि सदस्य द्वारा वांछित सूचना समय के भीतर संग्रहीत न की जा सके और प्रश्नों को किसी आगामी तिथि को स्थगित कराना अनिवार्य हो जाय तो सम्बन्धित मन्त्री स्थिति को तद्नुसार स्पष्ट करते हुए स्थगन की प्रार्थना उन प्रश्नों के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व देने की कृपा करें और जब तक विशेष कारण न हो दो सप्ताह से अधिक के लिए स्थगन न मांगें। सामान्यतया प्रश्नों का स्थगन केवल एक ही बार स्वीकार किया जाता है किन्तु यदि दूसरी बार प्रश्नों को स्थगित कराना आवश्यक हो तो स्थगन की प्रार्थना के साथ उसके कारणों की व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न की जानी चाहिए। परम्परा के अनुसार दूसरा स्थगन केवल आपवादिक अवस्थाओं में ही स्वीकृत किया जा सकेगा और सामान्यतया जिन प्रश्नों की सूचना सरकार को एक मास की मिल चुकी होगी उन्हें स्थगित नहीं किया जायगा।"

[श्री अध्यक्ष]

इस कारण से कुछ ढिलाई इस नियम में आ गयी। जिस समय यह कारण जारी किया गया था तो यह प्रश्न किसी ने उठाया नहीं था। आज जब प्रश्न उठा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का भविष्य में यह प्रयत्न होना चाहिए कि समय के अन्दर सूचना आवे और अगर सूचना देना असम्भव है तो फिर मेरे पास उसमें लिखित कारण आना चाहिए कि किस वजह से वह सूचना नहीं आ पायी है जिससे मैं देख सकूं कि वह ठीक है या नहीं है, और सदन में भी अगर कारणों की सूचना की आवश्यकता हो तो देनी पड़ेगी।

आज के प्रश्नों को देख कर मैं समझता हूं कि जितना समय इसमें मिला उतने में यह सूचना अवश्य आ सकती थी अगर सरकार पूरी तत्परता से काम लेती। तो मैं भविष्य में चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस बात की ओर विभाग को जोर दें कि समय से सूचना आ जावे।

श्री नेकराम शर्मा---

मेरा प्रश्न यह है कि क्यों स्थगन किया गया? मन्त्री महोदय ने कुछ लिखकर भेजा है? और कब भेजा?

श्री अध्यक्ष---

मुझे लिखकर भेजा है गत शनिवार को।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, एजेंडा सोमवार को मिला जिसमें मेरा प्रश्न अंकित है और शनिवार को लिख कर दिया, तो अगर शनिवार को दिया तो किस तरह से वह एजेंडे में आ गया? बिना कोई कारण बताए लिख कर भेज दिया और आप सन्तुष्ट हो गए और उसे स्थगित कर दिया।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो आपत्ति उठाई वह ठीक है। पहले यह जो प्रथा पड़ गयी है कि मन्त्री लिख कर भेज देते हैं और प्रश्न स्थगित कर दिया जाता रहा है, मैंने कहा कि मैं इसको ठीक नहीं समझता, ऐसा करना मैं नियम संगत भी नहीं समझता और मैं चाहता हूं कि भविष्य में यदि आवश्यकता न पड़े तो अच्छा है, और अगर पड़े तो उसके कारण भी लिख कर आने चाहिए जिससे कि मैं यह देख सकूं कि कारण ठीक हैं या किसी उदासीनता के कारण समय मांगा जा रहा है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

*५-६---श्री इन्द्रलाल---

[१७ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किए गए।]

*७---श्री ऊदल---

[१७ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किए गए।]

*८---श्री ऊदल---

[१७ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किए गए।]

रामपुर तथा देवबन्द नगरपालिकाध्यक्षों का निलम्बन

*९---श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६७ से लेकर १८ मई, १९६७ तक किन किन म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्षों को निलम्बित किया गया है?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)---

इस अवधि में नगरपालिका देवबन्द व रामपुर के अध्यक्षों को निलम्बित किया गया है।

श्री रामायण राय---

क्या यह सही है कि उन निलम्बित अध्यक्षों ने उच्च न्यायालयों में सरकार के आदेशों को चुनौती दी थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री वरमेश्वर पांडेय---

रिट दाखिल की थी जो खारिज हो गयी।

श्री रामायण राय---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि निलम्बित करने के कारण क्या थे ?

श्री वरमेश्वर पांडेय---

एक के खिलाफ ४०९ का मुकदमा चल रहा था, इसलिए उसको निलम्बित किया गया। रामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ एकाउन्ट्स कोड के अन्तर्गत गम्भीर आरोप थे।

लखनऊ महापालिका कर्मचारी श्री ए० एन० सिंह की बहाली

*१०---श्री अशरफ अली खां (जिला मथुरा) (अनुपस्थित) तथा श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६७ से लेकर १८ मई, १९६७ तक लखनऊ नगर महापालिका के किन्हीं निलम्बित राजपत्रित कर्मचारी को उसके पद पर पुनः बहाल किया गया है ? यदि हां, तो उसके निलम्बन के क्या कारण थे तथा उन्हें किन परिस्थितियों में बहाल किया गया ?

स्वायत्त शासन उप मन्त्री (श्री मुहम्मद असरार अहमद)---

कोई राजपत्रित कर्मचारी निलम्बित नहीं किया गया था। अतः बहाल किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

श्रीमन्, इस प्रश्न का उत्तर ११ बजने में एक मिनट पूर्व मिला जब कि यह २४ घंटे पूर्व मिलना चाहिए था। इससे सप्लीमेन्टरी करने में असुविधा होती है। अगर सम्भव हो सके तो इस प्रश्न को कल सबसे पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस आपत्ति को भी सही मानता हूं। मेरे कार्यालय में इसका उत्तर करीब १० बजे आया, और उसके बाद मेरे कर्मचारी ने उनको फौरन ढूंढना शुरू किया, और वह उनको दिया। उत्तर देर से आया, यह ठीक है। मैं चाहूंगा कि उत्तर समय से आए, लेकिन यह चूंकि सादा सा प्रश्न है, अगर आप पूरक प्रश्न कर लें तो अच्छा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या यह सही है कि लखनऊ नगर महापालिका के एग्जीक्यूटिव आफिसर श्री ए० एन० सिंह, जो कुछ समय से निलम्बित थे, उनको वर्तमान सरकार ने अपनी जगह पर पुनः नियुक्त कर दिया है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

जी हां।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

श्री सिंह के खिलाफ क्या क्या चार्जेज थे और किन कारणों से सरकार ने उन्हें पुनः वापस लिया है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

श्री ए० एन० सिंह को सरकार ने निलम्बित किया था, सी० आई० डी० ने उनकी जांच की। चार्जेज साबित नहीं हुए। इस पर सरकार ने यह कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष--

मूल प्रश्न में भी यह मौजूद है कि उनके निलम्बन के क्या कारण थे।

श्री वरमेश्वर पांडेय--

उनका जब सस्पेन्शन किया गया तो १३ चार्जेज लगाए गए थे जो विभिन्न थे। नगरपालिका में कुछ अनियमितताएं थीं इस लिए सरकार ने सी० आई० डी० के सुपुर्द उस केस को किया था। सी० आई० डी० की रिपोर्ट के बाद कोई चार्जेज सिद्ध नहीं हुए इसलिए उनको बहाल किया गया।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस अधिकारी के निलम्बन के साथ-साथ वर्तमान सरकार में किसी मंत्री के खिलाफ भी सी० आई० डी० जांच कर रही थी। क्योंकि मंत्री जी को जांच से निकालना था इसलिये अधिकारी को भी निकाला गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सी० आई० डी० के सुपुर्द जो जांच की गई थी, क्या उस जांच में नगरपालिका के उप प्रमुख श्री राम प्रकाश के विरुद्ध भी आपत्तियां थीं ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच सी० आई० डी०को किस तारीख और सन् में दी गई थी। वह रिपोर्ट कब आई और माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट को क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

इसमें अध्यक्ष महोदय, सूचना की आवश्यकता है।

श्री नेकराम शर्मा--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था इस सदन में बराबर होने के पश्चात् भी कि माननीय मंत्री जी तैयार होकर आवें और जब भी आपकी व्यवस्थाओं और आपकी डायरेक्शन को न मानकर वे सदन में आयें तो आपके पास क्या चारा रह जाता है कि माननीय मंत्री जी से आप उत्तर दिलवायें ? अभी आपने सी० आई० डी० के केस की जांच करवाई, सी० आई० डी० से रिपोर्ट आ गई है और फिर बहाल किया गया। यह सब मौजूद है। मैं चाहता हूं कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट किस तारीख को दी गई। वह रिपोर्ट क्या है। उसको सदन में रखने में क्या आपत्ति है। मंत्री जी किसी भी बात के लिये नोटिस मांग लेते है और वैसे कहते हैं कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। परन्तु कार्य वही करते हैं जो उनके मन में है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैं कह चुका हूं और मेरी धारणा है कि सरकार की तरफ से प्रश्नों का समुचित उत्तर आना चाहिये। लेकिन तैयारी किस मात्रा में हो इसके लिये माप दंड प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस प्रश्न में अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा गया होता तो मैं बाध्य कर सकता था और टिप्पणी भी कर सकता था फिर भी इसमें सरकार के पास वह तारीख नहीं है कि जिसको जांच हुई या रिपोर्ट आई तो यह आम प्रश्न था। जो यह विशेष प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तारीख को जांच हुई और आई तो उसमें नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री ए० एन० सिंह के खिलाफ सरकार के पास शिकायत कब आई थी और किसके द्वारा आई थी जिस पर उन्हें निलम्बित किया गया ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में आपकी आज्ञा से जवाब देने से पूर्व चाहूंगा कि माननीय नेकर म शर्मा जी ने जो आरोप लगाया कि मंत्री जी तैयार होकर नहीं आये इस सम्बन्ध मे मैं सबसे पहिले श्री नेकराम शर्मा तथा प्रश्नकर्त्ताओं का ध्यान उनके प्रश्न के ऊपर केन्द्रित करना चाहता हूं।

"क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कि १ अप्रैल, १९६७, से लेकर १८ मई, १९६७ तक लखनऊ नगरमहापालिका के किन्हीं निलम्बित राजपत्रित कर्मचारी को उसके पद पर पुनः बहाल किया गया है ?" यह तो सरकार की और आपस की बात हुई। सरकार ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

यह भी स्पष्ट कर दूं कि जिन कर्मचारी के बारे में यह सूचना दी गई है वे राजपत्रित हैं या नहीं ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई कर्मचारी वहां राजपत्रित नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति डाक्टर हलीम करके हैं उन्होंने ए० एन० सिंह के खिलाफ चाजज लगाकर एक एप्लीकेशन दी थी जिस पर सरकार ने यह जांच कराई।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—

श्री ए० एन० सिंह का मामला सी० आई० डी० को····

श्री अध्यक्ष—

मूल प्रश्न राजपत्रित का है। ए० एन० सिंह के बारे में जो राजपत्रित नहीं हैं, मैं और प्रश्नों को अब अनुमति नहीं दूंगा। यह स्पष्ट हो गया है।

*११—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—तथा श्री हरीदत्त काण्डपाल—

[प्रश्नकर्त्ता के स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

*१२—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रामायण राय, श्री कल्याण चन्द मोहिले तथा श्रीमती कलारानी मिश्र—

[१७ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर महापालिका में काकादेव योजनान्तर्गत अध्याप्त जमीन

*१३—श्री बसन्त लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर महानगरपालिका के अन्तर्गत का काकादेब योजना म कितनी जमीन अभी तक लोगों को एलाट की गयी हैं ?

*१४—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लोगों को यह जमीन दीगयी उनमें आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी कितने हैं तथा अन्य सरकारी अधिकारी कितने हैं और आई० ए० एस० व आई० पी० एस० अधिकारियों को कितनी-कितनी जमीनें दी गईं तथा असरकारी कुल कितने लोगों को इस योजना में जमीन दी गई ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१५—१६—श्री दल बहादुर सिंह—

[३ रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २९–३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१७—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा तथा श्री वसी नकवी—

[२ रे गुरुवार के लिये प्र० सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१८—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

[१७ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया ।]

सहारनपुर जिले के धार क्षेत्र में पेय जल व्यवस्था

*१९—श्री मुल्की राज (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहारनपुर के धार इलाके में जहां कुएं नहीं हैं या बहुत गहरे पानी पर हैं, वहां के निवासियों की सुविधा के लिये नलकूप, पम्पिंग सेट, लगाने या अंग्रेजी राज में फौजी कम्पनियों द्वारा बनाई गई वाटर स्कीम जैसी कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

जी हां, इस क्षेत्र के ११ ग्रामों के लिये ३,०३,६०० रु० की एक योजना १९६५ के अन्त में आरम्भ की गयी थी जिसका कार्य प्रगति पर है तथा इस वर्ष गर्मियों में इन सभी ग्रामों को जिनके नाम नीचे दिये हुये हैं, पाइप लाइन डालकर पानी दिया गया है—

१—शहजांनपुर,
२—बारूगढ़,
३—चंडीगढ़,
४—फतेहपुर,
५—पेलियन,
६—बरकला,
७—रामपुर,
८—हबीबपुर,
९—इन्द्रपुर,
१०—दादल,
११—हिन्दुवाला ।

श्री मुल्की राज—

किन-किन ग्रामों में पीने के पानी के कुएं नहीं हैं ?

श्री मुल्की राज--

किन-किन ग्रामों में पीने के पानी के कुएं नहीं हैं ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

सूचना चाहिये ।

श्री मुल्की राज--

जिन गांवों में कुएं हैं वहां पानी कितने गहरे पर है और क्या पानी खींचने के लिए २, २ पुरुषों को एक साथ मेहनत करती पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें आधुनिक यंत्रों के द्वारा पानी सुलभ कराने की कृपा करेगी ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

नोटिस चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बार इलाके में ऐसे कितने गांव हैं जहां पीने के पानी की असुविधा है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय --

जिस क्षेत्र की योजना बनाई है उस धार इलाक म कुल गांव २,४२६ हैं, इन में से ११ गांवों को पेय जल दिया जा चुका है ।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी सर्वेक्षण करावेंगे कि किन-किन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है, इस धार इलाके में ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

इस पर विचार कर सर्वे करा लिया जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा --

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ११ के अलावा और कितने गांव लेने की योजना है, जहां पीने का पानी सुलभ कराया जायगा ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

वह सारा इलाका योजना में है ।

श्री मुल्की राज--

क्या यह सही है कि जहां कुएं बनाये गये हैं वहां सरकार का अनुदान बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुदान देने और कुएं बनवाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

अनुदान बन्द करने की जानकारी नहीं है। जानकारी की जायगी और अगर बन्द कर दिया गया है तो अन्य जगहों की तरह वहां भी जारी कर दिया जायगा ।

श्री ऊदल--

पेय जल की सुविधा देने के लिये भारत सरकार की एक योजना है जिसके लिए वह काफी रुपया देती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस वृहत् योजना को भारत सरकार के सामने रखेंगे और पैसा प्राप्त करेंगे ताकि इन २,००० गांवों को पानी दिया जा सके ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

सरकार ऐसा प्रयास कर रही है ।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना का अन्तिम चरण किस समय पूरा हो जायगा ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

योजना तो ६५ से चालू है । मगर वहां पहाड़ी इलाका है, पानी स्रोतों से लेना पड़ता है, इसलिये इसमें काफी समय लगेगा ।

अतारांकित प्रश्न

विदेशी गेहूं

१—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस सन से प्रदेशीय सरकार ने प्रदेश में पिछले ५ वर्ष के प्रत्येक वर्ष के पी० एल० ४८० का कितना गेहूं केन्द्र से मंगाया ?

श्री झारखण्डे राय—

पिछले ५ वर्षों में केन्द्र से राज्य सरकार ने वितरण हेतु निम्न मात्रा में विदेशी गेहूं प्राप्त किया :

वित्तीय वर्ष	मी० टन
१९६२–६३	२,६८,१९१
१९६३–६४	८,०६,८७८
१९६४–६५	१०,०८,३४८
१९६५–६६	७,२०,६९५
१९६६–६७	५,९०,३३८

यह गेहूं केवल पी० एल० ४८० में से है या इसमें यू० एस० ए० (U.S.A.) के अतिरिक्त अन्य देशों से मंगाया गया गेहूं भी सम्मिलित है इसके बारे में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

उपरोक्त गेहूं के अतिरिक्त ग्रामीण जन शक्ति योजना (Rural Man power Scheme) के अन्तर्गत पी० एल० ४८० टाइटिल टू में निम्न मात्रा में केन्द्र से गेहूं प्राप्त हुआ :

	मी० टन
१ जून, १९६५ से ३१ मार्च, १९६६ तक	५४०२.६.३
१ अप्रैल, १९६६ से ३० अप्रैल, १९६७ तक	३०९७.१.२
कुल योग ..	८४९९.७.५

नोट—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नों के उत्तर का समय समाप्त हो गया ।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

२—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुले बाजार में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्य को रोकने के सम्बन्ध में अपने द्वारा दिये गये बयानों को मूर्त रूप देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री झारखंडे राय—

खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां अब तक की जा चुकी हैं :

(१) बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़वाने के अभिप्राय से जखीरेबाजों पर लगाये गये व्यापारियों पर प्रतिबन्ध सख्ती के साथ लागू किये गये हैं। इसी वर्ष मार्च में प्रदेश के मुख्य नगरों में छापे मारे गये जिनमें काफी गल्ला बरामद हुआ और दोषी पाये गये व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

(२) प्रदेश में उपलब्ध गल्ले की प्राप्यता सुनिश्चित करने के लिये अवैध रूप से बाहर जाने वाले गल्ले पर कड़ी रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर चैकपोस्ट बना दिये गये हैं जहां कि पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस के मुबाईल स्क्वेड (भ्रमण करने वाली टुकड़ियां) बना दी गई हैं।

(३) रबी के अनाजों की खरीदारी उत्पादकों से की जा रही है और अब तक एक लाख पचासी हजार टन अनाज खरीदा जा चुका है। इस अनाज के भंडार द्वारा सरकार भविष्य में अनाजों की कीमतों की वृद्धि को कुछ हद तक रोक सकेगी।

राशन में एक किलो मोटा अनाज तीन किलो गेहूं व चावल के अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है।

मूल्य की समस्या अखिल भारतीय है। इसके मूल कारणों पर विचार करने के लिये भारत सरकार को सुझाव दिया गया। भारत सरकार मुख्य मंत्रियों की बैठक में शीघ्र ही इस पर विचार करेगी।

चमोली जिले को अन्न का कोटा

२—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जिले की जनता को भूख व अन्नाभाव से बचाने के लिये अनाज के कोटे में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो वह कितने परिमाण में बढ़ाया गया है ?

श्री झारखंडे राय—

जी हां। चमोली जिले को ५६० मी० टन गेहूं, आटा प्रति माह अतिरिक्त कोटे के रूप में अभाव ग्रस्त क्षेत्रों, यात्रियों तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अलाट किया गया है।

तारांकित प्रश्न को अतारांकित रूप में लेने पर आपत्ति

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कई प्रश्न दिये थे। इनमें से एक प्रश्न अतारांकित कर दिया गया और जो तारांकित थे उनको मंत्री जी न उत्तर न देकर आगे बढ़ा दिया और अतारांकित प्रश्न का उत्तर दे दिया। श्रीमन्, आप देखें मेरा, एक प्रश्न, प्रश्न संख्या १८ पर है, वह खाद्यान्न की समस्या से संबंधित है। वह इस प्रकार है "आगरा में आपने कहा है कि गल्ले को सूबे से अनधिकृत रूप में बाहर जाने से रोकने तथा चोर बाजारी मिटाने के लिये सरकार विशेष पुलिस की टुकड़ियां बना रही है और सरकार चोर बजारी आदि रोकने के लिये प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—]

का सहारा लेगी ? यदि हां, तो उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत सूबे में कितने व्यक्तियों पर दिनांक १५ मई, १९६७ से अब तक कार्यवाही की गयी है ? इसके लिये माननीय मंत्री जी ने समय मांग लिया, लेकिन इससे मिलता जुलता ही सवाल जो अतारांकित है, उसका उत्तर दे दिया । वह इस प्रकार है—"क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुले बाजार में खाद्यान्नों के बढ़ते हुये मूल्य को रोकने के संबंध में अपने द्वारा दिये बयानों को मूर्त रूप देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ? "इसका उन्होंने जवाब दे दिया है । इससे स्पष्ट है कि जो सवाल तारांकित होता है और जिसमें सप्लीमेंन्टरी पूछे जा सकते हैं, उनका तो उत्तर नहीं दिया जाता और जिस पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, उनका उत्तर दे दिया जाता है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मेरा कोई प्रश्न नहीं हो पाया है । अतः इस अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न करने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

बहुगुणा जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मंत्री जी को क्या करना चाहिये, इसके लिये तो मैं कह चुका हूं । दूसरी बात यह है कि आपके दो से अधिक प्रश्न थे इसलिये एक प्रश्न आपका अतारांकित हो गया । मुझे आपसे पूर्ण सहानुभूति है, लेकिन आपके दो प्रश्नों का जो भाग्य होना था वह तो हो गया । अब रहा आपका अतारांकित प्रश्न, उसको मैं इस समय तारांकित प्रश्नों में परिणत नहीं कर सकता ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिला है, इसलिये इस पर बहस करने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिख कर देंगे तो मैं उसे देख लूंगा । नियमों के अनुसार आपको जो अधिकार होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २१ जून, १९६७ की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २७ जून, १९६७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २८ जून, १९६७ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६७ का उत्तर प्रदेश का ३रा अधिनियम बन गया ।

श्री एस० जी० दत्त द्वारा "दैनिक जागरण" कानपुर के सम्पादक तथा प्रेस प्रतिनिधि के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

श्री एस० जी० दत्त ने मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना भेजी है, वह इस प्रकार है :

"निवेदन है कि कानपुर से छपने वाले पत्र 'दैनिक जागरण' ने अपने २ जुलाई, १९६७ के संस्करण के पृष्ठ ४ के स्तम्भ २ में मुझे 'निर्दलीय तथा कांग्रेस समर्थक विधायक' की संज्ञा दी है, जब कि मैं १९५७ से बराबर कांग्रेस दल का सदस्य रहा हूं । मेरा क्षेत्र कानपुर में कल्याणपुर है। यह पत्र भी कल्याणपुर क्षेत्र में छपता है और पत्र के संपादक एवं अन्य प्रतिनिधि भली भाँति इस बातसे परिचित हैं कि मैं कांग्रेस सदस्य हूं । मुझे बदनाम करने के लिये जानबूझ कर उन्होंने मुझे निर्दलीय सदस्य की संज्ञा दी है जिससे मैं अपने क्षेत्र में बदनाम हो जाऊं और एक सदस्य के नाते जो मेरे कर्त्तव्य हैं, मैं उन्हें पूरा न कर सकूं । इस समाचार का परिणाम यह हुआ कि मेरे दफ्तर में कल से लोगों ने मुझे घेर लिया कि हमने तो तुम्हें कांग्रेस के टिकट पर भेजा था अब तुम निर्दलीय कैसे हो गये । मेरे यह कहने के बावजूद भी कि मैं कांग्रेस का ही सदस्य हूं लोगों को इस बात पर विश्वास इसलिये नहीं हुआ कि उक्त 'जागरण' में समाचार छप चुका है । इस समाचार से सदस्य के नाते मेरे विशेषाधिकारों का हनन हुआ है और मैं आपके द्वारा सदन में 'जागरण' क सम्पादक तथा उसके प्रेस प्रतिनिधि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।"

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस पत्र के जो सम्पादक और जो कार्यकर्त्ता हैं वह सब मुझे जानते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं और इस पत्र ने मुझे हमेशा बदनाम करने की कोशिश की है । सन् ६६ में भी जब मैं मजदूरों के हक में.....

श्री अध्यक्ष—

वह पिछली बात छोड़िये ।

श्री एस० जी० दत्त—

मैं बता रहा हूं कि यह पत्र मेरे कितने खिलाफ है और मुझे बदनाम करने के लिये वह इस तरह की चीजें किया करता है ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि माननीय दत्त जी ने जो यह सवाल उठाया है, यह चीज प्रोसीडिंग्स में हुई है या वैसे ही कहीं छपा है ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि जो बाबू बदरे ने कहा.....

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)—

अध्यक्ष महोदय, आप जो पढ़ रहे थे, उस में आप ने पढ़ते समय एक चीज पढ़ी जिसे मैं सुन नहीं पाया, तो उनको घेर लिया गया या उन का घिराव कर लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

जो मेरे पास आया है, उसमें लिखा है 'घेर लिया गया' इस का मतलब कुछ भी होता हो, लेकिन वह अब उससे निकलना चाहते हैं ।

इसमें एक साधारण-सी बात ही मालूम पड़ती है, कोई स्लिप पेपर से हो गया है और मैं आशा करूंगा कि सम्बन्धित पत्र स्वयं इसका खंडन कर देगा और श्री दत्त के बारे में जो भ्रान्ति इससे फैली है, उससे वह दूर हो जायगी ।

श्री एस० जी० दत्त—

हमारी पूरी बात आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

वह बात तो अब समाप्त हो गई, जितना रोग हो, उतना ही उसका निदान हो सकता है ।

श्री गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड, कानपुर समिति के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

अब सदन को मुझे एक सूचना देनी है कि श्री गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड, कानपुर समिति के लिये श्री रामेश्वर सिंह, बलिया को मैं निर्वाचित घोषित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७

राजस्व उपमंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकिल २०७ के अधीन इस मनी बिल को यहां लाने के गवर्नर की सिफारिश नहीं है, इसलिये यह यहां पेश नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—

आप का आधार क्या है कि सिफारिश नहीं है ?

श्री अब्दुल मुईज खां—

उसका जिक्र नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है वह होना जरूरी है, इस पर पहले भी वादविवाद हो चुके हैं, मनीबिल के लिये गवर्नर की सिफारिश जरूरी है और वह न हो तो ऐसा बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस बिल के लिये माननीय राज्यपाल की सिफारिश आ गई है जो मेरे पास है, इसमें लिखा है कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद २०७ के खं० (१) के अनुसार मैं बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश यह सिफारिस करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित किया जाय।"

तो अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७, को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१ पर)

१९६७-६८ के आयव्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १४--कारागार

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम संख्या ९ पर विचार होगा।

*गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४--कारागार, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०७,९०,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४--कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०७,९०,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--पुलिस

*गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १५--पुलिस, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,६४,४३,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने जो अभी पुलिस का बजट रखा है, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है यह तो मैं नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा कार्य किया जायगा लेकिन जहां तक इसकी नीतियों का सम्बन्ध है इस में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में हमारे बहुत से माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त करेंगे और बहुत सी शिकायतें भी होंगी। यह मैं नहीं कहता कि पुलिस का काम कोई ऐसा कार्य नहीं है, जिसकी कोई शिकायत न हो या जिसकी कोई आलोचना न हो। परन्तु फिर भी पुलिस की आवश्यकता को समझ कर और विभाग की आवश्यकता को समझ कर यदि वह आलोचना की जाय तो वह हमारे लिये सहायक सिद्ध होगी।

जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है हमने प्रयास किया है कि पुलिस में काम करने वालों के रहन-सहन के स्तर में सुधार हो। दूसरे हमने २ टी० बी० के वार्ड्स स्थापित करने का विचार किया है जिसके लिए हमने ८५,७०० रुपये की मांग की है जिससे इलाहाबाद और फिरोजाबाद में एक-एक २० रोगी शय्या वाले पुलिस क्षय रोग कक्ष स्थापित होंगे। इसके अलावा हमने इसमें प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी की बैटालियनो की संख्या में वृद्धि होने के कारण उनके पृथक चिकित्सालयों की व्यवस्था की है। जहां तक यूनीफार्म्स का सवाल है यह पुलिस की शिकायत थी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रुस्तम सैटिन]

और सही थी, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गये हैं और जो अलाउन्स पहले दिया जाता था उसमें यूनीफार्म तैयार करना और बनाना मुश्किल था। अतः इसमें भी वृद्धि की है। जिसके कारण १ लाख ३०,४०० रु० की वृद्धि हुई है।

माउन्टेड पुलिस जो रहती है, उसमें जो साईस हैं उनको बहुत कम वेतन मिलता था, उनके वेतन को भी बढ़ाया गया है। दूसरी वृद्धि टी० ए० और डी० ए० में वृद्धि होने के कारण हुई।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है मैं आप को बताऊं कि अधिक मांग हमने नहीं की है क्योंकि पिछले वर्ष में १८ करोड़ ४० लाख १२,७०० रु०, पूरक अनुदान जो दिये गये उनको मिला कर, का खर्च लिया गया था। इस हिसाब से इस वर्ष केवल १ करोड़ २७ लाख, ६४,६०० रु० का खर्चा अधिक मांगा गया है पहले से। इसलिये यह बजट अपनी आर्थिक स्थिति को समझ कर के रखा गया है। दूसरे प्रान्तों से अगर आप हिसाब लगावें तो हमारी पुलिस का बजट किसी भी प्रान्त से अधिक नहीं है। थोड़ा अगर अधिक है तो मध्य प्रदेश से है। बाकी सब जगह से यह काफी कम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के अन्दर आज जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये, उसमें दो खास बातें हैं। एक बात तो यह है कि उसमें ईमानदारी और कार्य निष्ठा होनी चाहिये और पुलिस कर्मचारियों में योग्यता होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि किसी भी स्थान शीघ्रातिशीघ्र हमारे पुलिस कर्मचारी पहुंच सकें। अगर आकरेंस के स्थान पर जल्दी पहुंच सकें तो क्राइम सिचुएशन में बहुत अन्तर लाया जा सकता है। जहां तक ईमानदारी का सवाल है यह नहीं कहा जा सकता कि सभी पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी बेईमान हैं, या उनमें ईमानदारी नहीं है। लेकिन यह सही है ऐसे भी केसेज पाये जाते हैं और पिछड़े देश के अन्दर ऐसी बात है कि पुलिस के अन्दर बहुत केसेज होते हैं जहां ऐसे लोग होते हैं जो अदावतवश भ्रष्टाचारवश होकर गलत काम करते हैं और उनके साथ सख्त कार्यवाही की जाती है। लेकिन एक पिछड़े देश में जहां साइंटिफिक साधनों की कमी है, इस प्रकार की गुंजायश है और उस गुंजायश से कुछ लोग लाभ उठा सकते हैं।

जहां तक वैज्ञानिक साधनों की कमी का प्रश्न है उसकी पूर्ति हमारी आर्थिक दशा में बहुत कठिन है। आवश्यकता इस बात की है कि घटना-स्थल पर हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और इतने लम्बे चौड़े देश के अन्दर जहां सड़कों की बहुत कमी है, कच्चे रास्ते हैं, पुलिस घटनास्थल पर जल्दी पहुंच नहीं सकती जिसका एक बहुत खराब असर ला एण्ड आर्डर सिचुएशन पर पड़ता है। कई देश ऐसे हैं जहां पर मिनटों में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और जा करके व्यवस्था स्थापित करती है। जहां तक हमारी पुलिस के आचरण और चरित्र का सवाल है यह १०० साल की कहानी है। अंग्रेजी साम्राज्य का जो काल था, उस काल में पुलिस से ला एंड आर्डर के अलावा और भी काम लेने की कोशिश की गई थी और वह था भारत की जनता को डरा कर रखना जिससे वह कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सर न उठा सके। हमें अफसोस जरूर है कि इसके अन्दर कोई परिवर्तन आजादी के बाद नहीं किया गया और उसके अन्दर बहुत कुछ हालत वही बनी रही। अब हम इस बात की भी कोशिश में हैं कि उसके अन्दर इस बात का परिवर्तन करें। हम चाहते हैं कि पुलिस को सही करके उसे कार्यनिष्ठ और ईमानदार बनावें और जो कोई ऐसी शिकायतें हमारे पास आयें उनकी जांच करें और पता लगावें। अगर वह पुलिस कर्मचारी दोषी हो तो उसको सजा दें। या उसको सही रास्ते पर ला सकें। इसके लिये हमने कुछ कदम उठाये हैं। एक तो यह कि बहुत सख्ती के साथ हम हर शिकायत की जांच करते हैं। हर वर्ग के व्यक्ति को हमने पूरी इजाजत दे दी है कि वह आकर मिले किसी भी समय और हम उसकी शिकायत की जांच कराते हैं। बहुत से सदस्यों को शिकायत होगी कि जांच ठीक से नहीं होती और जांच उसी अफसर के साथ में दे दी जाती है। नियम यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच होगी उसका जो इमीडियेट आफिसर होगा उसके ऊपर का आफिसर उसकी

जांच करेगा। अगर इसकी अवहेलना होगी और हमारी जानकारी में यह बात आयेगी तो हम उसके खिलाफ सख्त कदम उठायेंगे। फिर हमारा प्रान्त इतना बड़ा है, पुलिस फोर्स की संख्या कम है, थानों की संख्या कम है, जिससे कारण जांच के कार्य में देरी होती है और कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिये।

पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमीशन की जो रिपोर्ट सन् ६२ में आई थी हमें अफसोस है कि अभी तक उस पर जिस तरह से कार्य होना चाहिये था वह नहीं हुआ। पिछले साल १५ सालों म पुलिस रिआर्गनाइजेशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि कानपुर जैसे औद्योगिक नगर को उसमें नहीं रखा गया जहां कि लॉ ऐण्ड आर्डर की समस्या बहुत कठिन है और जहां कि इतने बड़े नगर में चाकू चलने, राहजनी होने की बात रोजाना सुनी जाती है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

बनारस भी कानपुर से कम नहीं है?

श्री रुस्तम सैटीन—

मैं बनारस को कम नहीं कहता। लेकिन कानपुर औद्योगिक नगर है। मैं कानपुर की बुराई नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य मेरी बात को ठीक से समझें। कानपुर ऐसा नगर है जिस पर हमको गर्व है और शान्ति व्यवस्था वहां कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। रिआर्गनाइजेशन के अन्तर्गत जो हमने १५ जिले लिये थे उनमें हम देखें क्या किया गया? उसी आधार पर हम आगे उस स्कीम को बढ़ायें। रिआर्गनाइजेशन के अन्तर्गत १,०१३ थाने हो जाने थे ८३२ थानों से और इस तरह से हमारा खर्च बढ़ा। मेरा विश्वास है कि अगर हर जिले में थाने और पुलिस फोर्स बढ़ाई जाय तो ला ऐण्ड आर्डर सिचुएशन में जो धांधली है वह कम की जा सकती है।

दूसरी कोशिश यह की गयी है कि अगर किसी खास इलाके में अव्यवस्था फैलती है तो वहां के जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदार ठहराया जाय और उससे क्वैश्चन किया जाय और उसकी जांच की जाय। अगर वहां की शान्ति और व्यवस्था की सिचुएशन सीमा से बाहर जाती दिखायी दे तो फिर उसकी जांच करें, उनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी देनी चाहिये ताकि वह सही मानों में रोकथाम कर सकें।

हमने यह भी किया है कि जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है, उसको स्वयं अपनी आंखों से देखा। मैं इन थोड़े दिनों के अन्दर काफी पुलिस लाइनों में गया, उनको निरीक्षण किया और मुझे एक स्थान पर एक पुलिस अधिकारी ने यह कहा कि एक बार जब चौधरी चरणसिंह जी मंत्री थे पुलिस के तब वह हमारी लाइन में आये थे और आज आप हमारी लाइन में आये हैं। इस बीच में कोई और हमारी लाइन का निरीक्षण करने नहीं आया। यह मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि आप हमें शाबाशी दें या चौधरी चरण सिंह जी को शाबासी दें बल्कि मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि स्वयं जाकर देखने से उनकी भी समझ में आता है कि हमारे ऊपर कोई है, हमारा भी किसी को ख्याल है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

पालिटीशियन्स का कितना कान्टैक्ट होना चाहिये फोर्स के साथ माननीय चौधरी साहब अगर अपने भाषण में इसका कुछ जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री रुस्तम सैटिन—

पालिटीशियन्स का फोर्स के साथ सम्बन्ध रहे या न रहे मगर जिसकी जिम्मेदारी हो, उसको तो अपनी आंखों से देखना चाहिये।

[श्री रुस्तम सैटिन]

पुलिस अधिकारियों की भी बहुत सी समस्यायें हैं। अभी मैं कानपुर गया था। जो वहां पर चाकू चलने की वारदातें होती हैं, उनके सम्बन्ध में हमारे ऊपर के सदन में प्रश्न आया। मैंने स्वयं महसूस किया कि यह समस्या बहुत गम्भीर है। मैं कानपुर गया और वहां के अधिकारियों से बातचीत की, उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। मैंने केवल उनको उपदेश ही नहीं दिया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्षमा करें, कोई आपने घेराव के सम्बन्ध में भी उन्हें सुझाव दिया ?

श्री रुस्तम सैटिन---

मेरे भाई ने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब यही है कि घेराव के सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है वह माननीय चौधरी साहब इस हाउस में स्पष्ट कर चुके हैं। तो मैं, श्रीमन्, यह कह रहा था कि मैंने जा कर उनकी समस्या भी समझी। उन्होंने बताया कि इतने बड़े नगर में इतने कम थाने हैं कि करीब-करीब ढाई, तीन लाख व्यक्ति एक थाने के क्षेत्र में रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा व्यक्तियों की एक थाना ठीक से व्यवस्था नहीं कर सकता और इस स्थिति को बदलना हमारे लिये आवश्यक है।

जहां तक मुकदमों का सवाल है या और बातों का सवाल है, झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं। कुछ केसेज हमारे सामने आते हैं। इसके लिये मैं समझता हूं कि डायरी का ठीक समय पर लिखा जाना बहुत आवश्यक है और हमने यह हिदायत दी है कि मौके पर तुरन्त डायरी लिखी जाय और डायरियां खुली न छोड़ी जायं जिससे कि मैनिपुलेशन करने का मौका न मिले। हमने प्रयास किया, दो-तीन महीने का मौका मिला है, सौ साल से चली आ रही बीमारी को अगर कोई चाहे कि एक दिन में ठीक कर दें तो मुश्किल है। हमारी पुलिस का दूसरा पक्ष भी है। वह काफी जाफिशानी से काम करती है। आप जानते हैं कि थाने में सिविल पुलिस होती है। अगर कोई थाना मिसबिहैव करता है और जनता को शिकायत है तो गलत नहीं है। हमारी पुलिस लाइनों में आम पुलिस, पी० ए०सी० और दूसरी पुलिस सूबे में शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये रहती है। जो नौजवान अपना पूरा जीवन बैरक लाइफ में बिताते हैं, कभी अपने परिवार के साथ रह नहीं सकते। यह कोई मामूली समस्या नहीं है। हमारे सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं। बहुत-सी दिक्कतों के कारण हम उनको परिवार सहित रहने का स्थान नहीं दे सकते। मगर यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को २०-२१ साल तक अपने परिवार से अलग रखा जाय, अपने बाल बच्चों से अलग रखा जाय तो अवश्य ही उसकी मानसिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ेगा और उसके अन्दर जो सहृदयता समाज के सम्बन्ध में होनी चाहिये उसमें अवश्य ही कमी होगी। हम इस बात की चेष्टा में हैं कि उनको फैमिली क्वार्टर्स दिये जायं लेकिन इसमें हमारी आर्थिक स्थिति बाधक है। हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको यह सुविधा ज्यादा से ज्यादा दे सकें और सही माने में उनके जीवन को मानवीय जीवन बना सकें।

दूसरी बात यह कि हमारी पी० ए० सी० और दूसरे जवान जो हमारी सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं अगर उनके काम को देखा जाय तो वास्तव में हमें गर्व होता है कि किन कठिन परिस्थितियों में हिमालय की चोटी पर और दूसरी सीमाओं की रक्षा के काम में वे लगे हुए हैं और समय-समय पर अपनी जानें देते हैं। तो जहां तक हो सके हमें इन सब बातों को अनदेखा नहीं करना है। अगर हम सही समन्वय करके पूरी चीजों को देखेंगे तो यह जरूर मानेंगे कि पुलिस के अन्दर बहुत सुधार होना बाकी है, जिसकी काफी जिम्मेदारी पुलिस वालों के चरित्र से सम्बन्धित है। हम उन्हें पूरे साधन नहीं दे पाये या पूरी फोर्स नहीं दे पाये लेकिन हमें पुलिस के प्रशासन को अच्छा करना है जिससे हमारे सूबे का जीवन सुरक्षित हो, हमारे सूबे का जीवन शान्तिपूर्ण हो। हम सबका विकास, चाहे वह पुलिस का हो, चाहे समाज का हो हमारे सामाजिक जीवन के विकास पर निर्भर करता है।

श्री एस० जी० दत्त—

हमारी सीमाओं पर जो चीन के स्पाईज इधर-उधर घूम रहे हैं, उनके लिये आपने क्या प्रबन्ध सोचा है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें। माननीय दत्त जी, जो नितान्त आवश्यक बात हो, वही बीच में पूछनी चाहिये।

श्री रुस्तम सैटिन—

जिनको जो कुछ भी कहना हो, वे अपने हृदय को खोल कर पुलिस के बारे में कहें। कोई आलोचना करने या द्वेषपूर्ण बातें कहने से ही सुधार नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इस विभाग में सुधार हो लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि जब पुलिस की आलोचना की जाय, चाहे वह कड़ी आलोचना की जाय, वह तथ्य के ऊपर आधारित हो। साथ ही साथ पुलिस ने जो सही कार्य किया हो और उसके बारे में आप जानते हों तो उसको भी बतलावें। इसलिये नहीं कि आप पुलिस की तारीफ करें, बल्कि इसलिये कि पुलिस जो सही काम कर रही है, उन्हें आप बतलावें जिससे उसके लिये हम एक आम रूप बना सकें। पुलिस के लिये आप सुझाव भी दें। आपके सुझाव प्राप्त होंगे तो हम आपको इस बात का बचन देते हैं कि हम पुलिस प्रशासन में सुधार की भरसक कोशिश करेंगे। इस विभाग के सुधार में ही हमारा और आपका, सबका पूरा हित है। पुलिस से किसी को कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि पुलिस न रहे, उसकी सत्ता कमजोर हो जाय और उसकी कार्यक्षमता गिरे। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि इसको बढ़ाने में हमारा और आपका दोनों का योग होना चाहिये। इसमें विरोध पक्ष और सरकारी पक्ष का भेद नहीं होना चाहिये। सब को इस बात का प्रयास करना है कि पुलिस हमारे प्रदेश के लिये एक नमूने की पुलिस बन जाय।

बड़े गर्व की बात है कि हमारी पुलिस पर बहुत कम खर्च होता है। व्यक्तिगत रूप से भी हमारी पुलिस पर जो खर्च होता है, वह भी किसी दूसरे प्रान्त के मुकाबले में बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस के जवान अच्छा जीवन व्यतीत करें। और ज्यादा बेहतर जीवन व्यतीत करें, इसके लिए हमने कोशिश की है। हम लाइन्स में कुछ सोशल वर्क करते हैं। इसके द्वारा उनकी महिलाओं का जो वहां रहती हैं सामाजिक सुधार करने का प्रयास है। उनको शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको इस बात का मौका देते हैं कि वे कुछ कमा सकें और इस महंगाई के जमाने में वे अपने पतियों की आमदनी में कुछ वृद्धि कर सकें। सिलाई, कढ़ाई वगैरह के काम से ये महिलायें १०० रुपए माहवार के करीब कमा लेती हैं। यह केवल कमाई का प्रश्न नहीं है बल्कि यह देहात की औरतें हैं, कांस्टेबिलों की औरतें हैं जो कुछ काल के लिए यहां रहती हैं, ये सीने पिरोने और मशीन चलाने की शिक्षा लेकर जाती हैं और देहात में अन्य बहिनों के लिए अग्रदूत बनती हैं उनको भी यह काम सिखाती हैं। इस प्रकार से यह कार्य पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है। इन सारे कार्यों में वृद्धि हो और हम पुलिस को सही माने में जन सेवा का एक केन्द्र बना दें, इसको इतनी बड़ी शक्ति बना दें कि बजाय शिकायतों के पुलिस के ऊपर हमें गर्व होने लगे। इसी बात की हम कामना करते हैं और भरसक कोशिश करेंगे।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।*

अध्यक्ष जी, पुलिस विभाग पर इस कटौती के प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो गुरुतर भार है, उसके महत्व को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन मेरी शिकायत यह है कि मुख्य मन्त्री जी कुछ ऐसी पेचीदगी में फंस गये हैं कि उनके पास न तो समय है और न साहस ही है कि वे पुलिस को समय दे सकें।

श्रीमन्, तीन महीने से जब से मुख्य मन्त्री जी ने नये शासक के रूप में इस विभाग को सम्भाला है, तब से एक भी घोषणा उन्होंने नहीं की है और आज भी सदन में उन्होंने कुछ नहीं रखा है और सारे निर्देश और कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है माननीय रुस्तम सैटिन और झारखंडे राय जी के कंधों पर ही सारा काम दे रखा है। माननीय झारखंडे राय और रुस्तम सैटिन जी से हमें कोई विरोध नहीं है और उनके राजनीतिक जीवन का हम आदर करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि उनको अनुभव नहीं है। १५ जून को देवरिया में माननीय झारखंडे राय जी ने घोषणा की थी कि राजनीतिक दलों के राजनीतिक व्यक्तियों की देख-रेख करने से पुलिस विभाग को मुक्ति दे रखी है और पुलिस का सी० आई० डी० विभाग जो पोलिटिकल काम करता था, उसको समाप्त किया जाने वाला है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि आज की बदलती परिस्थिति में देश की मान्यताओं को स्थायी करने में सहायता हो, वे राजनीतिक दल जो लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं जिनकी राष्ट्र में आस्था हो, उनकी देख-रेख करने में पुलिस को समय व्यतीत नहीं, करना चाहिए। लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता है और प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश में कुछ ऐसे गिरोह हैं, कुछ राजनीतिक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी राष्ट्र के प्रति लोकतन्त्र के प्रति तथा शान्ति व्यवस्था के प्रति आस्था नहीं है। इसके अलावा पेकिंग का रेडियो भारत की जनता को उद्घोषित कर रहा है कि देश के साथ विद्रोह करो और प्रदेश की जनता से कह रहा है कि गांव-गांव में गड़बड़ी पैदा करो। आज चीन और पाकिस्तान का षड़यन्त्र हो गया है और प्रदेश में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति मौजूद है जिनका चीन और पाकिस्तान के साथ सक्रिय गठबन्धन तो नहीं है, लेकिन उनके साथ उनकी आस्था है। ऐसे समय में इस तरह की बात करना कितना अनुचित है, इसको मुख्य मन्त्री समझ सकते हैं। मैं इससे अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं....

अब मैं आता हूं कुछ वायदों पर जो संयुक्त विधायक दल ने इस प्रदेश की जनता से किया था। संयुक्त विधायक दल की ओर से १९ सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत हो चुका है। लेकिन मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त विधायक दल का १९ सूत्री कार्यक्रम प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है और वह एक शर्मनाम पुलिंदा बन कर रह गया है। कार्यक्रम नम्बर ११ में दिया हुआ है कि जो प्रदेश में गोलीकाण्ड हुए हैं, उनकी न्यायिक जांच करवायी जायगी और एक स्थायी जांच कमीशन की नियुक्ति की जायगी लेकिन माननीय रुस्तम सैटिन के शहर बनारस में एक गोली काण्ड हुआ। तीन आदमी मारे गये। वहां न्यायिक जांच नहीं करवायी गयी। इसलिए कि सम्भवतः माननीय रुस्तम सैटिन का दामन भी उस जांच में न फंस जाय। कालागढ़ में दूसरी घटना हुई १८ मई को। माननीय उग्रसेन जो कि सोशलिस्ट पार्टी के विधान सभा में नेता हैं उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी शकील साहब को कालागढ़ भेजा। शकील साहब ने पत्रों में बयान दिया कि कालागढ़ में डेढ़ सौ व्यक्तियों की हत्या हुई है और नवजीवन के सिटी रिपोर्टर की २६ जून की रिपोर्ट देखें उसमें लिखा है कि पी० ए० सी० की ट्रक लाशों को अज्ञात स्थान पर ले गयी है। आचार्य दीपंकर मौजूद नहीं हैं उन्होंने भी स्वीकार किया था कि यह सम्भव है कि पुलिस ने कालागढ़ में गोली न चलायी हो लेकिन यह निश्चित है कि वहां पर मजदूरों का उत्पीड़न हुआ था। हजारों मजदूर अपने घर से हटाए गए। कालागढ़ की घटना की इस विधान सभा में न्यायिक जांच की मांग की गयी लेकिन वह अस्वीकार कर दी गयी। इस विधान सभा में हमेशा यह मांग की जाती थी

---

*कटौती के अन्य प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२-८३ पर)

कि जब पुलिस के खिलाफ जांच की मांग की जाय तो उसकी जांच निस्पक्ष होनी चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री के घर जो महिलाओं के साथ घटना हुई, माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा पुलिस ने लाठियों से महिलाओं को नहीं पीटा। मैं उनकी बात स्वीकार करता हूं लेकिन वह इसको अस्वीकार नहीं कर सकते कि माननीय मुख्य मन्त्री के बंगले पर महिला कर्मचारियों और पुलिस के साथ कुछ ऐसा संघर्ष हुआ, जिससे महिलाओं को कुछ चोटें आयीं। इस घटना की भी निस्पक्ष जांच की मांग की गयी लेकिन नहीं मानी गयी। माननीय रुस्तम सैटिन ने दौरा किया और बड़ी डींगें हांकी कि पुलिस को आदेश दिये गये हैं कि जो लोग हवालात में हों, उनके साथ थर्ड डिग्री मेथड्स न स्तेमाल किए जायं। लेकिन इसी सदन में एक प्रश्न पैदा हुआ, शामली पुलिस स्टेशन पर होशियार सिंह की हवालात में हत्या की गयी। इस सदन में मांग की गयी कि इसकी न्यायिक जांच हो लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रदेश की जनता १९ सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में आशा लगाए हुए बैठी थी कि सरकार एक-एक कार्यक्रम स्वीकार करेगी लेकिन १९ सूत्री कार्यक्रम एक बेहयायी का पुलिंदा हो गया है जो कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है।

कार्यक्रम नम्बर १० है। माननीय विकल और झारखंडेराय ने घोषणा की कि जितने भी छात्र और राजनीतिक बन्दी जेल में हैं, वे तुरन्त रिहा किए जायंगे। जब मांग की गयी तो माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं रिहा किए जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि प्रदेश के युवकों को अपमानित करने से वह राष्ट्र को ऊंचा नहीं उठा सकते। संयुक्त विधायक दल के उन व्यक्तियों, जिन्हें वह मन्त्री बना कर बैठे हैं क्या यह सही नहीं है कि तीन चार महीने पूर्व उन्होंने विद्यार्थियों को भड़काया नहीं था, आज जब वे मुकदमे से ग्रस्त हुए और आज शर्मनाम काम करके, विश्वासघात करके तो माननीय मुख्य मन्त्री जो बात कहते हैं कि माफी मांगो, तो वह किससे माफी मांगें? आप का उसमें भले ही हाथ न रहा हो, लेकिन आप के संयुक्त विधायक दल के अन्य नेताओं का उसमें पूरा हाथ था। तो जिन्होंने उनको यह आन्दोलन करने के लिए भड़काया, उनसे ही अब छात्र माफी मांगें। तो इस प्रकार से सरकार को जनता का और प्रदेश के लोगों का मनोबल नीचे नहीं गिराना चाहिए। श्रीमन्, मेरी कठिनाई यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पुलिस अनुदान का जो साहित्य हम लोगों के सामने रखा है वह सन् ६६ का है और उस सन् ६६ के साहित्य में कांग्रेस राज्य की पुलिस के बारे में ही दिया हुआ है और संविद की सरकार ने, उनकी पुलिस ने इस ३ मास के अल्पकाल में जो कारनामे किए हैं, उनका कोई जिक्र उसमें नहीं है। मन्त्रिगण और संयुक्त विधायक दल के लोग मन्त्रियों के आदेश से २० वर्ष के कांग्रेसी कुशासन को हिज मास्टर वाइस की तरह इस सदन में रखा करते हैं। इस तीन महीने में रुस्तम सैटिन जी की पुलिस का जो रोल प्रदेश में रहा है, उसका कोई भी साहित्य नहीं रखा जा रहा है। इस सरकार न सैटिन जी की पुलिस का कोई साहित्य अथवा लेखा जोखा इस सदन में नहीं रखा है।

मैं इस प्रदेश के समाचार-पत्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं जो केवल एक मात्र साधन रहे हैं इस सरकार की पुलिस की अक्षमता और ज्यादती की कहानी जनता तक पहुंचाने के लिए। मैं मुख्य मन्त्री जी को दावत देना चाहता हूं कि वह प्रदेश के किसी भी समाचार-पत्र को चाय पीते समय एक दिन देख लें तो मैं समझता हूं कि वह उसमें कोई न कोई हत्या या डकैती की बात अवश्य पायेंगे, नहीं तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। इस सम्बन्ध में मैं अधिक समय देकर सारे स्थानीय समाचार पत्रों को तो नहीं देख सका लेकिन मैंने वाराणसी के 'आज' और यहां के 'नवजीवन' 'स्वतन्त्र भारत', 'पायनियर' और 'तरुण भारत' के जून महीने के समाचारों को हमने अवश्य छंटने का प्रयत्न किया और उनकी हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। केवल हत्याओं की घटनाओं का जिक्र जून के एक पखवारे में ७० दिया है। उन तमाम हत्याओं में कुछ ऐसी हैं, जिन पर मुख्य मन्त्री जी को अवश्य विचार करना चाहिए। श्रीमन्, सहारनपुर में अभी २ जून की बात है मास्टर खुशीराम जी, जो कि एक रिटायर्ड जिन्दगी व्यतीत कर रहे थे और जिनको लार्ड हार्डिग्ज पर बम फेंकने का गौरव प्राप्त हो गया था उनकी भी हत्या कर दी गयी और उसे भी पुलिस नहीं रोक सकी। दूसरी मुख्य हत्या, शंकरराव जी एम०एल०सी० जो इसी विधान सभा के

[श्री कृष्णानन्द राय]

सामने अनशन कर रहे थे, लोकतान्त्रिक ढंग से सफाई मजदूरों की मांगों और दिक्कतों के लिये लड़ रहे थे और उन्होंने यह भी सूचना दी थी कि वर्तमान स्वायत्त शासन मन्त्री के राज्य में जिस प्रकार से सफाई मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसके विरोध में उनकी यूनियन मन्त्री जी का घिराव करने जा रही है। ऐसे २५–३० वर्ष के नवयुवक कार्यकर्ता को इसी लखनऊ में गोली से मार दिया गया और आज समाचार पत्रों में निकला है कि वह मर भी गए हैं।

अब मैं उन अन्य तमाम हत्याओं का जिक्र करना चाहता हूं जो उनके ३ महीने के राज्य में हुई हैं। पूर्वी जिलों का मुख्य समाचार पत्र 'आज' है और लखनऊ के 'नवजीवन' और 'स्वतन्त्र भारत' आदि हैं, मैंने उन्हीं के माध्यम से रिपोर्ट संकलित की है। ३ जून के 'आज' में छपा है कि प्रतापपुर गांव में स्वामी की हत्या कर दी गयी। ९–१० जून के अंक में छपा है कि गाजीपुर में १७ हत्यायें हुयीं, २० जून को कानपुर में एक दिन में ६ हत्यायें हुयीं और ६ लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाई गयीं। १३ जून को फैजाबाद में भीटी पुलिस स्टेशन में दो भाई अपने खेत में खाद ले जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गयी। २१ जून को गाजीपुर के नन्दगंज स्टेशन पर २० वर्षीय युवक की हत्या की गयी। २५ जन को वाराणसी में भगोले अहीर की मुगलसराय में दिन दहाड़े बाजार में छुरे द्वारा हत्या कर दी गयी। बहराइच में २३ जून को तुलसीराम वकील और उनके पुत्र की हत्या कर दी गयी। २५ जून को कानपुर में सीसामऊ क्षेत्र में किरायेदार ने मकान मालिक की हत्या कर डाली। २४ जून को महोबा में डाकुओं ने एक व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया और एक आदमी की हत्या कर दी। २६ जून को बहराइच के अन्तर्गत नानपारा थाना के अन्तर्गत हमीद खां का गला घोंट कर हत्या कर दी गयी। २६ जून को मुरादाबाद में आर० एम० एस० के एक कर्मचारी की देहली–मुरादाबाद पैसेन्जर ट्रेन पर हत्या कर दी गयी। २८ जून को लखनऊ में चौक में स्थित विष्णु नामक व्यक्ति की छुरे से हत्या कर दी गयी। श्रीमन्, ७० घटनायें केवल २, ३ अखबारों में दो तीन दिन के अन्दर मैंने पढ़ी। इसी तरह से अनेक आपत्तियां रुस्तम सैटिन साहब की पुलिस के जमाने में यहां के नागरिकों पर पड़ी हैं। ३० जून को एक फौजी जवान जौनपुर में अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखकर वापस हो रहा था। जान की धमकी देकर कुछ लोग उसे एक घर में ले गए और उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। इसी लखनऊ में २५ जून को सुपर मार्केट में आयी एक १४ वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। अब डकैती के बारे में सुनिए। पहले चम्बल घाटी के डाकू मशहूर थे। अब तो प्रदेश भर चम्बल घाटी बन गया है। ८ जून को वाराणसी में बड़ागांव में डाकुओं का आतंक फैल गया। १६ जून को बस्ती में थाना सोनहा के अन्तर्गत अनेक गांवों में लोग रात-रात भर जाग-जाग कर बिता रहे हैं। पड़ोस के जंगल में डाकुओं का गिरोह आजकल जमा है। कई डकैतियां पड़ चुकी हैं। २४ जून को खागा में शीतलाधाम से लौटती हुई २५ स्त्रियों को डाकुओं ने घेर लिया और उनके सभी आभूषण उतरवा लिए। श्रीमन्, अभी तक चम्बल घाटी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ बीहड़ हिस्सों में डकैतों का जोर था लेकिन आज तो प्रदेश के गांव-गांव में डाकुओं का आतंक छाता चला जा रहा है।

कुछ कंसेशन भी सुन लें जो इनके अधिकारियों ने दे रखे हैं :—

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)—

श्री दरबारी लाल जो एम० एल० ए० आ रहे थे, उनका क्या हुआ था उसको भी बता दीजिए।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपको इस बात का गर्व है कि जनता आपको देवताओं की तरह पूजती है तो यदि मैं जनता के सम्मुख इस तरह की हत्याओं, बलात्कारों और डकैतियों की घटनाओं को रख रहा हूं तो आप

घबड़ाते क्यों है ? तो मै माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा था :—

20th June "National Herald"—
"Bad characters create panic in Gonda. No police to check them."

16th June—Nafen Varanasi—
Thieves had their golden day at Gangadeshera mela in Varanasi—Police ineffective.

16th June—Allahabad—
Mr. Jain, D. I. G. Range Kanpur admitted that in Kanpur and Allahabad stabbing cases have increased enormously.

12th June—Allahabad—
Post Office in Allahabad burgled. 30,000 cash in booty.

३० जून को रामपुर में हाइड्रो एलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने प्लानिंग की मीटिंग में बतलाया कि पिछले दो माह में ३५,००० रुपए के ताम्बे के इंसुलेटर्स और तार चोरी किये गये हैं। २६ जून को डाकुओं द्वारा मुरादाबाद में दिल्ली—मुरादाबाद पैसेन्जर ट्रेन में ५०,००० रुपए का माल लूटा गया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है। सरकारी सम्पत्ति भी सुरक्षित नहीं है। मैं उनकी खिदमत में निवेदन करूं कि २५ जून को एक पुलिस अफसर इलाहाबाद डाउन पैसेन्जर से भोपाल जारहे , उनकी स्त्री को रेलवे पुलिस के रहते हुए भी लूट लिया गया। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि माननीय रुस्तम सैटिन साहब ने जब से पुलिस का चार्ज संभाला है तब से क्राइम्स इस प्रदेश में निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी तो अपने मुख्य मन्त्रित्व को मजबूत करने में और उसको बचाने में इतना समय लगाते हैं कि उनके पास पुलिस विभाग, जिसमें ७५ हजार फोर्स काम करता है, उसको देखने का समय नहीं रह जाता है। वह रुस्तम सैटिन साहब के ऊपर ही इसको छोड़ देते हैं कि जिस तरह से चाहे वह इन्तजाम करें। इसलिए मैं रुस्तम सैटिन साहब की पुलिस की अक्षमता का प्रदेश के अन्दर दिग्दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रदेश में पुलिस प्रशासन की यह हालत है कि स्त्रियां पैदल चलती हैं तो उनको लूट लिया जाता है। दिल्ली–हरदोई बस के यात्रियों को लूट लिया जाता है। दिल्ली–मुरादाबाद बस के यात्रियों को लूट लिया जाता है। आर० एम० एस० के डिब्बे को लूट लिया जाता है। इनके राज्य में रेल की यात्रा भी सुरक्षित नहीं रह गई है। बस की यात्रा भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं और पैदल यात्रा भी सुरक्षित नहीं रह गई है। इस प्रदेश में इस समय एक ही चीज सुरक्षित रह गई है और वह यह कि माननीय मुख्य मन्त्री के अनुभवहीन मन्त्रियों का इस प्रदेश की जनता में अनर्गल प्रलाप।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन्त्रियों का उत्तर प्रदेश की जनता में अनर्गल प्रलाप भी सुरक्षित नहीं रह गया है। जगह-जगह पर इनका घिराव होना शुरू हो गया है। इस प्रकार की अव्यवस्था इन मन्त्रियों के लिए क्यों हो रही है और यह घिराव क्यों हो रहा है ? यदि मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे तो वह देखेंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की कैबिनेट के बहुत से मन्त्री स्वयं दोषी पाए जायेंगे। मुख्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि न्यायिक जांच यदि बनारस के साम्प्रदायिक दंगे की कराने की चेष्टा करेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। क्या बस्ती के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे का जो विष फैल रहा है, उसकी जांच कराने का वह प्रयास करेंगे ? यदि मुख्य मंत्री जी इसकी जांच कराने का प्रयास न करें तो इस सदन में विश्वनाथ प्रसाद जी गिरन से बात करने का प्रयास करें तो उनको मालूम हो जायगा कि बनारस में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ था उसमें किसका हाथ था। वहां पर जांच कराने के बाद जो नतीजा निकले वह हमको भी बताया जाय और हम भी उसको स्वीकार करेंगे। आज यह प्रदेश विचित्र स्थिति में है। श्रीमन्, इन मन्त्रियों की आज यह हालत हो गई है कि चोरों से उधर कहते हैं कि तुम चोरी करो

[श्री कृष्णानन्द राय]

और दूसरी तरफ साहू से कहते हैं कि तुम जागते रहो। उनके मतभेद और संघर्ष सुलझाया करते हैं। प्रभुनारायण सिंह जी ने जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा था कि यदि मजदूर घिराव कहीं पर अपनी मांगों के सम्बन्ध में करें तो उनकी मांगों के विषय में पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब कालागढ़ में एक मर्तबा सत्याग्रह और घेराव हुआ तो उसकी जांच मुख्य मन्त्री जी इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि वहां कालागढ़ में सोशलिस्ट पार्टी की यूनियन है जिसका सम्बन्ध प्रभुनारायण सिंह जी से है। उनके नेता, प्रभुनारायण सिंह जी घिराव के सम्बन्ध में सब बातें कह चुके हैं, मगर कालागढ़ के सम्बन्ध में जांच इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी के दामन पर काला धब्बा आएगा।

मैं आपकी सेवा में नवजीवन अखबार के एक समाचार की तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि गोली से भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक की मृत्यु हुई। उसके सिलसिले में शहर में पिछले कुछ दिनों से अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती चली जाती है। इसके लेख को यदि मुख्य मन्त्री जी चाहते हों तो मैं उनकी सेवा में भेज दूंगा। उसमें सम्वाददाता ने लिखा है कि पुलिस (अफसर से बात करते समय पुलिस) अधिकारी ने सम्वाददाता को बताया कि पुलिस इस प्रदेश में कानूनी व्यवस्था इसलिए नहीं कर पा रही है कि माननीय मन्त्रियों का इतना अधिक हस्तक्षेप हो रहा है कि यदि कोई भी घटना होती है तो किसी न किसी का टेलीफोन चला जाता है। कोई घटना होती है तो मंत्री जी की चिट या दरख्वास्त पर उन का इंडोर्समेन्ट चला जाता है और उस प्रेस संवाददाता ने यह भी कहा कि मुश्किल यह है कि हम मंत्री जी के टेलीफोन की घंटी सुना करें या राजधानी में होने वाली हत्याओं के बारे में प्रयास करें। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास में "नवजीवन" के संवाददाता की इस प्रेस कटिंग को अवश्य आप के माध्यम से भेज दूंगा।

श्रीमन्, यहां बहुत चर्चा होती है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार इस प्रदेश की राजनीति में इसलिये अवतरित हुई है कि इस प्रदेश से भ्रष्टचार को समाप्त किया जाय। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसका गान तमाम पार्टियां कांग्रेस क कुशासन क समय गाया करती थीं। १९६५ में ४,१९९ पुलिस अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी और उग्रसेन जी को मैं बताना चाहता हूं कि यह कार्यवाही जब स्वर्गीय हरगोविन्द सिंह जी यहां पुलिस मंत्री थे तब की गयी थी। पिछले साल जब वह पुलिस अनुदान पर बोल रहे थे तो उन को आप ने बोलने नहीं दिया था, हालांकि इतनी इतनी हत्यायें लेकर भी हमने रुस्तम सटिन साहब को बोलने दिया है। उस समय ११० पुलिस अफसर डिसमिस किये गये थे, ३४ रिमूव किये गये थे, ४४४ रिड्यूस हुये थे, ५३३ सस्पेंड हुये थे और ५१८ को कंपलसरिली रिटायर किया गया था। कितनों ही के इंक्रीमेन्ट रोक दिये गये थे। यह उस कांग्रेस सरकार न किया था जिसके पुलिस मंत्री को आपने बोलने नहीं दिया था। मैं मुख्य मंत्री जी तथा रुस्तम सैटिन साहब को दावत देता हूं कि वे बतलाय कि उन्होंने पिछले तीन महीनों में क्या रेकार्ड कायम किया है इस दिशा में। उसे उनको सदन में रखना चाहिये था।

माननीय रुस्तम सैटिन साहब ने कहा कि वे पुलिस लाइनों में सोशल वर्क करा रहे हैं और पुलिस को बहुत सी रिलीफ देने जा रहे हैं। अगर पुलिस अफसरों को, जब वे छुट्टी पर जाते हैं तो उनको नाना प्रकार क भत्ते नहीं मिलते, वे ही दिलाने के लिये वे कुछ प्रयत्न करते तो हम समझते कि उन्होंने कुछ किया है। आज १९ सूत्री कार्यक्रम का बड़ा बोलबाला है। इसमें सूत्र नं० ३ के अनुसार समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के तथा बैंक के चपरासी को ११० रुपया मासिक वेतन मिलता है, लेकिन एक कांस्टेबिल को ६०, ७० रुपया महीना ही वेतन प्राप्त होता है। आप उसे तो कम से कम उनके बराबर दिलाइये। यदि मुख्य मंत्री जी नाराज न हों तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आप लोकतंत्र का इतिहास उठा कर देख लें। यदि लोकतंत्र में कोई सरकार असफल रहती है और जुर्म को बढ़ने से नहीं रोक पाती, अथवा अपने द्वारा जनता के प्रति किये गये वायदों को पूरा नहीं कर पाती तो लोकतंत्र का तकाज

यह है कि उसे, उस मंत्री को अथवा उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। आप इस धोखे में न रहें कि जनता आपके लिये फूलमाला लिये खड़ी है। जैसे आपने बनारस और कालागढ़ में गोली कांड कराया है, जैसे अपने बंगले पर स्त्रियों का खून गिराया है और शामली में हत्या करायी है उसके बाद और श्रीमन्, आपको गर्व है कि जनता आपके साथ है, तो जनता आपके साथ नहीं है। आपके विश्वासघातों का भंडाफोड़ हो चुका है और अगर यह सरकार इस्तीफा नहीं देगी तो जनता जबरन इसको निकाल देगी।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध इसलिये करता हूं क्योंकि आज इतने बड़े प्रदेश की कानून और व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है, परन्तु एक समाजवादी होने के नाते मुझे यह कहने में शर्म भी होती है कि इस प्रदेश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार ने अभी तक इस पुलिस को कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किये .....

श्री अध्यक्ष--

१० मिनट में आप अपने भाषण का फैलाव कर लें।

श्री भारत सिंह चौहान--

कि वह अपने को जनता का नौकर, सेवक या सहायक समझें। मान्यवर, अभी तक थानों में अपराधों को तोड़ मरोड़ कर लिखा जाता है। गृहमंत्री जी ने कहा कि ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जनरल डायरियां रोकी न जायं, लेकिन मेरी जानकारी है और अन्य विधायकों को भी होगी कि आज भी थानों में जनरल डायरियां रोकने का वह रवैया चल रहा है जो कांग्रेसी रेजीम में चल रहा था। सही मानों में २० साल के कांग्रेसी निजाम ने इस नौकरशाही को निकम्मा और हरामखोर बना दिया है, जिसने जनता के सर पर.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

"हरामखोर" शब्द क्या संसदीय है? आपने कहा कि २० साल में पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को हरामखोर बना दिया गया है। इस शब्द को निकाल दिया जाय, यह असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष--

शब्द तो कोई असंसदीय होता नहीं है, सभी शब्द अच्छी भावना से बनाये गये हैं, उसका प्रयोग असंसदीय हो सकता है। अगर "२० साल" की बात से प्रदेश के प्रशासन पर कोई असर पड़ जाय और उस प्रसंग में कोई वर्ग उसके प्रभाव से "हरामखोर" हो जाय तो मैं उसको असंसदीय नहीं मानता। यद्यपि शब्द "हरामखोर" शोभनीय शब्द नहीं है।

श्री भारत सिंह चौहान--

प्रशासन और अनुशासन के नाम पर, मुझे खेद है कि प्रदेश की यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने पुरानी सरकार की भाँति नजरबन्दी जैसे काले कानून को लागू करके समाजवादी कहलाने वालों का सर शर्म से झुका दिया है। २० साल के कांग्रेसी शासन की आलोचना हम इसलिये किया करते थे कि निरोधक नजरबन्दी कानून एक काला कानून है, तो यह कहां तक उचित है कि जनतंत्रीय सरकार स्वयं इस काले कानून को इस्तेमाल करे? कालागढ़ में जो कांड हुआ, उसके संबंध में रुहेलखंड कमिश्नर ने कहा है कि ८०० पी० ए० सी० के जवान लगातार ५ घंटे तक मजदूरों से उलझे रहे। मैं समझता हूं कि वे ५ घंटे तक क्या करते रहे?

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुईं।)

[श्री भारत सिंह चौहान]

अगर कालागढ़ में कोई ऐसी बात नहीं हुई तो इस सदन के माननीय सदस्य श्री दीपंकर और लोकसभा के सदस्य, कामरेड जेड०ए०अहमद और संसोपा के राज्य मंत्री ने जो कहा उनके बयानों की जांच क्यों नहीं करायी गयी ? क्या मंत्री जी इन माननीयसदस्यों के बयानों को सदन के पटल पर रखेंगे ? अगर उनके बयान झूठे हैं तो कालागढ़ कांड की न्यायिक जांच कराने में आपको क्या एतराज है ? वहां की न्यायिक जांच करायी जाय । बनारस में जो गोली कांड हुआ उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिये ।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान उनके आदेशों की तरफ दिलाना चाहता हूं । १५ जून को माननीय उप-गृह मंत्री का एक आदेश इटावा के पुलिस कप्तान को भेजा गया जिसमें यह कहा गया कि फलां मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच होगी, जब तक वह जांच न हो जाय, चार्जशीट अदालत में दाखिल न की जाय । १५ दिन तक वह आदेश यहां से पुलिस कप्तान के पास नहीं पहुंचा । जो भी माननीय मंत्रियों के आदेश होते हैं, उनको यहां के सचिव लोग लालफीताशाही के कारण उलझा रखते हैं । मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पर विचार करें ।

मान्यवर, अगर यह सरकार सचमुच में अपने को जनवादी सरकार और जनता की सरकार कहती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सन् १९६४ में इटावा जिले में हुये मन्ना कोला गांव के उस हत्याकांड की जांच करायें जहां किसान मजदूरों के बेटों को पुलिस ने थाने में लाकर अरिन्द नदी के किनारे पेड़ से बंधवा कर गोली से मार डाला था । उसकी जांच का नाटक पिछली कांग्रेसी सरकार ने रचा था और उस सरकार ने उस कांड की कोई कारगर जांच नहीं करायी थी । मैं चाहता हूं आप इसी सदन के दो-दो माननीय सदस्य दोनों पक्षों के लेकर और एक हाई कोर्ट के जज को लेकर एक जांच कमेटी नियुक्त करें और इस बात की जांच करायें कि उस कांड के लिये पुलिस आफिसर्स दोषी हैं या नहीं और अगर यह साबित न हो पाये कि पुलिस ने गांव के ४ गरीब बेटों को गोली से भून दिया था, तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा । मैं यहां तक कहता हूं कि वे इटावा जिले के तमाम विधायकों से बात करें और यदि उन सब के द्वारा मेरी बात का समर्थन उन्हें मिले तो वे इसकी न्यायिक जांच करायें ।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इटावा जिले के मौजूदा पुलिस प्रशासन की ओर भी दिलाना चाहता हूं । चौधरी साहब ने यह स्वीकार किया है कि इटावा जिले में व्यापक पैमाने पर शक्कर और गल्ले की तस्करी होती है । नयी सरकार बनने के बाद जब वहां पर कई माननीय मंत्री और उप मंत्री गण जी गये थे तो वहां लोगों ने व्यापक पैमाने पर इस बात की शिकायत की थी कि इटावा का पुलिस कप्तान अपने अन्य थानेदारों की मार्फत तस्करी के मामले में तस्करी करने वालों से सांठगांठ किये बैठा है । इस सरकार से जनता को बड़ी-बड़ी आशायें हैं, मैं चाहता हूं सरकार इटावा के पुलिस कप्तान के खिलाफ खुली जांच कराये । उन्हीं के कारण आज इटावा जिले में रोज हत्यायें और डकैतियां बढ़ रही हैं । मध्य प्रदेश के डकैतों ने भी इटावा जिले में उत्पात मचा रखा है और वहां तस्करी का व्यापार भी जोरों से हो रहा है । चम्बल के भी भयानक डाकुओं ने परेशान कर रखा है । इटावा की जनता आज अपने को सुरक्षित नहीं समझ रही है । मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर पूरे प्रदेश पर राज करने का भार सौंपा गया है, आप सारे प्रदेश पर हुकूमत करते हैं, सारे प्रदेश के आफिसर्स आपको सलाम करते हैं, आप उनके कहने पर तो चलते हैं, मगर विधायकों की शिकायतों पर भी आपको ध्यान देना चाहिये । मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री से कहना चाहूंगा कि कोई भी सदस्य चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों, आप अपने विभागीय अधिकारियों को आदेश दें कि उनको किस तरह विधायक से बात करना चाहिए । आज हमारे प्रदेश में पुलिस का नंगा नाच हो रहा है । संगीन अपराधों में लोग पीड़ित हैं लेकिन इटावा का पुलिस कप्तान कानों में तेल डाले बैठा हुआ है और आप भी मान्यवर, कानों में तेल डाले बैठे हैं । जिस कप्तान

पर वहां की जनता की अमन और व्यवस्था की जिम्मेदारी है उसको वे पूरी तरह से निभा नहीं रहे हैं और जनता उनके द्वारा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। अगर आपने सही माने में नेता की भावनाओं का आदर नहीं किया, अगर आपने मौजूदा पुलिस को जनता की सेवा करना नहीं सिखाया तो मैं कहना चाहूंगा कि यह हमारे प्रदेश की जनता का और इस सदन का दुर्भाग्य होगा।

श्री चन्द्रकुमार (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने इस सदन में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। जैसा कि अभी माननीय रुस्तम सैटिन साहब ने अनुदान के पक्ष में बातें कहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस लाइन में समाज सेवा का कार्य होने जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। एक तरफ समाजसेवा की ओर उपेक्षा की जा रही है और दूसरी तरफ इसी बहाने से इसको पूरा किया जाय। पुलिस पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव डालने के लिये उनको इस प्रकार की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि समाजसेवा के क्षेत्र में जो भारी कटौती की गई है वह क्यों की गई है। जहां तक पुलिस की व्यवस्था और हमारे प्रदेश में जो पुलिस का भ्रष्ट प्रशासन है अगर मैं उसकी पूरी तफसील प्रस्तुत करना चाहूं तो बड़े समय की जरूरत होगी। इसके पहिले भी पक्ष और विपक्ष में सदस्य कह चुके हैं और उससे यह बात तय हो चुकी है कि इस अढ़ाई महीने के शासन में, इस स्टेट में पुलिस का जो शासन है, वह बिगड़ चुका है। वह शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिये कोई भी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। इस विषय में मैं कुछ ठोस सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में कुछ थाने बनाये गये हैं और उनमें उनकी सीमाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। उदाहरण के तौर पर मैं बाराबंकी जिले के रुदौली, मवई और पटरंगा की बात कहता हूं। कुछ गांव रुदौली थाने से दो मील पर हैं जिनको वहां न लगाकर ६-७ मील की दूरी पर लगा दिया गया है। रुदौली और पटरंगा तथा मवई थानों का रिआर्गेनाईजेशन बहुत गलत ढंग से किया गया है और वहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और निश्चित तौर पर थानेदारों को आदेश दिये जाते हैं कि धारा १०९ के अन्तर्गत प्रत्येक माह में कुछ न कुछ चालान जरूर किये जायं। थानों से जो चालान दफा १०९ में भेजे जाते हैं वह फर्जी भेजे जाते हैं। थानेदारों के करेक्टर रोल्स में जो ऐन्ट्री की जाती है उनसे पहले यही प्रश्न किया जाता है कि तुमने दफा १०९ में कितने चालान किये हैं। मैं पुलिस मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि दफा १०९ में जो अनिवार्य रूप से थानेदारों से चालान मांगे जाते हैं, इसको बन्द कर दिया जाय।

इसके अलावा ३२३, ११७ में जो रिपोर्ट थानों में लिखायी जाती है थानेदार लोग उनकी भी जांच नहीं करते। ३२३, ११७ में जो छोटी-छोटी घटनायें होती हैं वही ३२५ और ३०२ का रूप ले लेती हैं। इसलिये उनकी जांच न होने से अराजकता अधिक बढ़ रही है। अतः इन धाराओं में जब रिपोर्ट्स लिखायी जायं तो उनमें जांच किये जाने के लिये आदेश जारी किये जायं।

रुदौली कस्बे की आबादी १५ हजार से ज्यादा है। वहां पर अभी थाना कायम किया गया है। वहां पर बिजली ७ साल से है लेकिन थाने में न बिजली है और न टेलीफोन है। तमाम अधिकारियों को इस बारे में लिखा गया लेकिन अभी तक बिजली और टेलीफोन नहीं लग पाया है। इससे जनता और पुलिस के कर्मचारियों को बहुत असुविधा का समाना करना पड़ता है। इसके अलावा दो चौकियां भी हैं, इनमें टेलीफोन और बिजली नहीं है। इसके कारण सूचना भेजने में बहुत देर लग जाती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि टेलीफोन और बिजली की व्यवस्था इन स्थानों पर की जाय।

इसी क्षेत्र में एक भलेसर थाना था। अगर गौर से देखा जाय तो मालूम होगा कि पहले इस गांव में बहुत फिसाद हुआ करते थे। लेकिन अब यह थाना तोड़ दिया गया है। इसकी वजह से वहां पर घटनायें बहुत बढ़ गयी हैं। संयुक्त विधायक दल की गवर्नमेंट के ढाई महीनो में ही ७ से ज्यादा चोरियां वहां हो चुकी हैं। उनको रोकने में यह सरकार असमर्थ रही है।

[श्री चन्द्र कुमार]

जहां तक हवालात में मारे जाने का प्रश्न है, यह सर्वविदित है कि थानों में ऐसी वारदातें रोज होती हैं। जो पुलिस अधिकारी जांच करते हैं, वे हवालातियों को मारते तो हैं ही लेकिन उसके साथ ही साथ जांच के दरमियान उनका व्यवहार जनता के प्रति अच्छा नहीं होता है। शुक्रवार के दिन की बात है पुलिस के भ्रष्टाचर के सिलसिले में शिकायतें की गयीं लेकिन किसी अधिकारी ने उसकी सुनवाई नहीं की। जब कि रिपोर्ट आपके पास भेजी गयी तो रुदौली थाने के थानेदार को ४०० रुपया की रिश्वत में गिरफ्तार किया गया। अगर इस प्रकार के ठोस कदम न उठाये गये तो अराजकता फैल जायगी।

जब इस सरकार के मंत्रिगण दौरे पर जाते हैं तो शैक्षिक संस्थाओं में तथा स्वशासित संस्थाओं में पुलिस को ले कर जाते हैं। माननीय गंगाभक्त सिंह रुदौली पधारे। उस समय रुदौली में सुलतानपुर-बाराबंकी डिवीजन के क्षेत्र के चुनाव, स्वायात शासन के चल रहे थे। उस वक्त नेशनल इंटर सेकेन्डरी स्कूल के कमरों के, रात के १२ बजे अनधिकृत रूप से ताले खुलवाये गये और पुलिस को साथ में ले जाया गया, मंत्री, श्री गंगाभक्त सिंह जी अपने वहां अपने दल के साथ पहुंचे और दरोगा जी से कहा कि इन स्कूल के कमरों को सील बन्द किया जाये। मुझे भी जब पता लगा तो मैं भी वहां पहुंचा तो मैंने कहा कि इस मौखिक आदेश के क्या माने हैं, मैंने उसका खंडन किया और कहा कि इस तरह से स्कूल के कमरों को न तो दारोगा जी ही और न मंत्री जी ही सीलबन्द करा सकते हैं। इसके फलस्वरूप मंत्री जी वहां से रात के डेढ़ बजे वापस आये। मैं जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि यह कहां तक सही है कि रात के १२ बजे माननीय मंत्री जी जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को शैक्षिक संस्थाओं में अनधिकृत रूपसे पहुंचे, ऐसी चीजें बन्द होना चाहिये और इस तरह पुलिस की गलत मदद और दलबन्दी को रुकनी चाहिये। अगर इस तरह से पुलिस में राजनीतिक दलबन्दी घुसेगी और उसका प्रयोग किया जायगा और जैसा कि कहा गया कि मिनिस्टरों और पार्टी के लोगो के फोन से प्रभावित होकर काम किया जायगा तो जनता को न्याय न मिल सकेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस तरह की चीजों पर प्रतिबन्ध लगायें।

इसके अलावा पुलिस के द्वारा जितने लाठीचार्ज और गोली कांड होते हैं और जैसा कि आपका १९ सूत्री कार्यक्रम भी कहता है और जैसा कि उसके अन्दर आपने वादाभी किया था कि उस को पूरा करेंगे तो ऐसे केसेज में न्यायिक जांच कालागढ़ कांड, बनारस के गोलीकांड और लखनऊ में मुख्य मंत्री जी के बंगले के सामने महिलाओं पर हुई पुलिस अत्याचार की और लाठीजार्ज की जांच कराई जाय। मुझे अफसोस है कि हमारी न्यायिक जांच की मांग को तलसीम नहीं किया गया।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस समय सदन में पुलिस का अनुदान चल रहा है और कोई भी माननीय मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह सही है और मैं सरकारी पक्ष से कहूंगी कि ऐसे समय में किसी न किसी केबिनेट स्तर के मंत्री को यहां रहना चाहिये, मैं चाहती हूं कि इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री रामायण राय—

अधिष्ठाता महोदय, जब तक कोई मंत्री न आ जायं जब तब सदन की कार्यवाही रोक दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, सदन की कार्यवाही तो चलने ही दी जाय।

[श्री चन्द्र कुमार]

जब यह एस० बी० डी० की सरकार आई तो बड़ा शोर था कि अब पुलिस का बड़ा अच्छा इन्तजाम होगा और चौधरी चरण सिंह जी ने खुद इस विभाग को अपने हाथ में लिया है:

"थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंग पुर्जे,
देखने हम भी गये थे पर तमाशा न हुआ।"

लेकिन हमने देखा कि कोई सुधार नहीं हुआ। जहां तक रिश्वत का सवाल है मै आप को बता दूं कि अब थाने में जब कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो यह कहा जाता है कि पहले दूसरी सरकार थी अब चौधरी चरण सिंह की सरकार आ गई है, पहले तो दो रुपये में काम चल जाता था लेकिन अब वह लोग दस बीस रुपया यह कहकर मांगते हैं कि पता नहीं कब हमारी नौकरी ही खत्म हो जाय। इस तरह से चौधरी चरण सिंह के नाम पर थानों में रिश्वत और बढ़ी है।

*श्री गंगाराम (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आज जो अनुदान माननीय सदन के सामने प्रस्तुत है और जिस के खिलाफ एक कटौती का भी प्रस्ताव पेश किया गया है और उस में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त जितना दोष पुलिस में आया है वह केवल संयुक्त विधायक दल की सरकार की वजह से ही आया है। मैं आप के सामने एक रिपोर्ट से कुछ एक्ट्रेक्टस पेश करूंगा जिस से पता चलेगा कि यह दोष पहले से चले आते हैं या इन ३ मास में आये हैं। पुलिस में करप्शन है, उसका मारल गिरा है, यह सब बातें उसमें हैं लेकिन यह दोष ऐसे लगाये जा रहे हैं जैसा कि कांग्रेस सरकार में तो कोई दोष नहीं था और ये जितने दोष पुलिस में आये हैं, वे सब संयुक्त विधायक दल की सरकार में आये हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन की १९६०-६१ की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसमें कमीशन ने सरकार को कुछ सुझाव दिये थे जिन पर अभी तक कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि पुलिस में २ ब्रान्चेज होनी चाहिये, एक वह जो ला एंड आर्डर को रखे और दूसरी इन्वैस्टिगेशन ब्रान्च। परन्तु ये दोनों शाखायें अभी तक भी अलग-अलग नहीं की जा सकी हैं। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने २० वर्ष के शासन में कभी कोई ऐसा स्टेप तथा कदम नहीं उठाया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उन्होंने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रयास भी किया हो। माननीया, यही नहीं, इसके पूर्व भी १९४७-४८ में एक पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें भी ये सिफारिश की गयी थी कि ये दोनों शाखायें अलग-अलग होनी चाहिये परन्तु उन पर भी कुछ नहीं हुआ।

पुलिस कमिशन की रिपोर्ट १९६०-६१ के चैप्टर १२ के पैराग्राफ १४२ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि :—

"142 *Working of the scheme and proposals*—We have examined in details the working of this scheme at Lucknow and Kanpur, and are constrained to mention that the experiment was not given a serious trial and that the Investigation staff especially sanctioned by Government was not utilised exclusively for the investigation work."

जिसका तात्पर्य यह है कि हमने लखनऊ और कानपुर में इस स्कीम की वर्किंग को विस्तृत रूप में देखा और हम इस बात को कहने के लिये मजबूर हैं कि एक्सपैरिमेंट जो था, उसका ठीक से ट्रायल नहीं हुआ और इन्वैस्टिगेशन स्टाफ जो सरकार ने नियुक्त किया था, उसको ऐसा मौका नहीं दिया गया कि वह विशेष रूप से (एक्सक्लुसिवली) इन्वैस्टिगेशन ही करे।

इसमें आगे दिया हुआ है कि :

These new Sub-Inspectors were merged in the existing strength and were utilised like any other sub-inspector for both law and order and investigation duties.

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाराम]

दो किस्म के सब इन्सपैक्टर्स नियुक्त किये गये। एक ला एंड आर्डर मेन्टेन करने के लिये और एक इन्वैस्टिगेशन करने के लिये लेकिन इन्वैस्टिगेशन करने वाले इन्सपैक्टर्स की ड्यूटीज को ला एंड आर्डर मेन्टेन करने वाले इन्सपैक्टरों में मिक्स कर दिया गया और उनको अलग नहीं रखा गया। आगे उसमें दिया है :

"No satisfactory reason has been given by the Police Department for not complying with the clear instructions of Government.

जिसका तात्पर्य यह है कि शासन के स्पष्ट आदेशों को मानने के लिये पुलिस विभाग द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया कि उन्होंने इसीलिये इन्वैस्टिगेशन इन्स्पैक्टरों और ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करने वालों को अलग-अलग क्यों नहीं रखा।

जब कि पुलिस कमीशन ने १९६०-६१ में और पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने १९४७-४८ में इस प्रकार की स्पष्ट सिफारिशें कीं तो माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं अपने भाषण में यह स्पष्ट करने की कृपा करें कि उन्होंने इन सुझावों को क्यों नहीं माना।

इसी प्रकार से महोदया, आप देखेंगी कि आज पुलिस में जो करप्शन या भ्रष्टाचार है उसका कारण केवल यह है कि रिपोर्टों में जो मजमून या सिफारिशें होती हैं उनपर कोई गौर नहीं किया जाता है। इस कमीशन की रिपोर्ट के चैप्टर १३६ में दिया हुआ है कि :

"136. A large variety of complaints regarding the mal-practices of the Police in recording First Information reports were brought to our notice some of which as given below....."

इसका तात्पर्य यह है कि एफ०आई० आर० के लिखाने के बारे में पुलिस की बेउनवानियों के बारे में विभिन्न प्रकार की शिकायतें हमारे पास आयीं जो इस प्रकार हैं :

(i) Non-recording of first information report i.e. concealment.
(ii) Distorting of facts with a view to lessening the gravity of offence i.e. minimization.

बाकयात दूसरे बतलाए जाते हैं, उसमें दूसरी बातें लिख दी जाती हैं।

(iii) Introduction of new facts and distortion of facts in order to create evidence against the accused or for implicating innocent persons.

गलत बातें लिख दी जाती हैं, और मुल्जिमान के नाम लिख लिए जायेंगे और जो मुल्जिमान होंगे उनके नाम छोड़ दिए जायेंगे।

(iv) Demand of money or other considerations for recording or prompt recording of report.

रुपया मांगा जाता है रिपोर्ट लिखने के लिए। मुझे एक कहावत याद आ रही है कि पहले तो दो रुपया रिपोर्ट लिखने के लिए जाते थे लेकिन बाद में कहा जाने लगा कि बापू जो कह रहे हैं कि ५ रु० लो। तो रिपोर्ट लिखते वक्त रिश्वत ली जाती है, यह बात कमीशन ने कही है।

It was suggested that some other agency such as the Panchayat should also be authorised to record First Information Reports. We examine this suggestion and found that its only advantage would be that concealment and minimization may disappear. As against.....

पंचायत की बात तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। लेकिन उन्होंने कहा कि :

We recommend that a new Reporting Centre under the direct supervision of the Superintendent of Police should be set-up at district headquarters.

पुलिस कमीशन ने यह रिकमेन्ड किया कि एक नया मुहकमा बनाया जाय जो सुपरिंटेंडेंट पुलिस के अन्डर काम करे और जिस की रिपोर्ट ठीक न लिखी जाय वह जिले में जा कर सुपरिंटेंडेंट पुलिस के आफिस में अपनी रिपोर्ट लिखावे, और वह रिपोर्ट जो लिखी जायगी वह सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस के अन्डर सुपरवीजन लिखी जायगी।

इसी तरह से ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे आफेन्सेज हैं जैसे ३२४ में चाकू चलाने का जुर्म है, ३२५ दफा में हड्डी टूट जाने पर आयद होती है। ये आफेन्सेज काग्नीजेबिल नहीं हैं और पुलिस को पावर दी गयी है कि वह तहकीकात करे या न करे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक बड़ी भारी पावर है और इसका दुरुपयोग होता है। ऐसी पावर पुलिस के पास नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ये आफेंसेज काग्नीजेबिल बना दिए जायें और पुलिस को लाजिमी तौर पर इन्वेस्टीगेट करना चाहिए।

तो इन सब बजहों से करप्शन फैला हुआ था। मैं तो यह समझता हूं कि इस देश में या हर एक देश में दो किस्म के खतरे हैं जो काम करते हैं, एक तो एक्सटर्नल ऐग्रेशन और दूसरा इन्टर्नल ऐग्रेशन। इन्टर्नल डिसआर्डर या एग्रेशन तभी होगा जब पुलिस अपने काम को ठीक नहीं करेगी।

हमने कांग्रेस के राज्य में यह देखा कि पुलिस ने अपना काम ठीक नहीं किया जिस से गवर्नमेंट की इमेज खराब हुई और इसलिए डिसआर्डर हुआ। और भी बहुत से कारण थे, लेकिन एक यह भी था कि पुलिस का राज्य जो इस प्रदेश में रहा, जो इन्टर्नल डिसआर्डर हुआ, जो पुलिस में करप्शन और इतना गलत इन्तजाम रहा, जो गलत काम किए इन की वजह से भी कांग्रेस गवर्नमेंट बदनाम रही। एस० वी० डी० गवर्नमेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है इन सब बातों को ठीक करेगी और जो रिकमेन्डेशन्स कमीशन की हैं उन को पूरा करेगी जिस से आगे चल कर इन्तजाम ठीक से हो।

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

श्रीमन्, सब से पहले मैं माननीय तलवार जी के प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस को दो ब्रांचेज होनी चाहिए, एक इन्वेस्टीगेशन और दूसरे ला ऐंड आर्डर ब्रांच। उन्होंने किसी रिपोर्ट का हवाला भी दिया। यह बजट माननीय रुस्तम सैटिन ने पेश किया। आप यह बात तब कह सकते थे जब आप ने इन्वेस्टीगेशन ब्रांच और ला ऐंड आर्डर ब्रांच, दोनों को अलग कर दिया होता। और तब आप सवाल करते कि जवाब इस रिपोर्ट में तो यह था लेकिन पिछले २० साल तक आपने कुछ नहीं किया और हम आए तो हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर तलवार साहब यह समझते थे कि इन्वेस्टीगेशन ब्रांच और ला ऐंड आर्डर ब्रांच अलग-अलग पुलिस में होनी चाहिए थीं तो वे उत्तर प्रदेश के जनसंघ के अध्यक्ष तथा असेम्बली में एस० वी०डी० सरकार में बहुमत पार्टी के लीडर हैं उनका यह फर्ज था कि पुलिस के बजट के समय वे इसका प्राविजन करा दिए होते। तो यह कांग्रेस सरकार का कंडमनेशन उन्होंने नहीं किया बल्कि अपनी ही वर्नमेंट का कंडमनेशन किया है।

पुलिस विभाग की ओर से एक पैम्फलेट माननीय सदस्यों को दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि तलवार साहब तथा उस तरफ के बैठने वालों को भी वह मिला होगा। इस गवर्नमेंट के लिए से इससे बड़ा कंडमनेशन इस सरकार का दूसरा हो नहीं सकता। इसमें लिखा है "अनेक आन्दोलन और प्रदर्शनों का सामना करने में पुलिस के व्यस्त रहने के बावजूद भी सन १९६४ ६५ की अपेक्षा इस वर्ष सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में कमी हुई है। जन सम्बन्धी जुर्मों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। इसका कारण कुछ अंशों में देहातों में पार्टी बन्दी और दलबन्दी का होना तथा कुछ अंशों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा तोड़फोड़ करने और कानूनों का उल्लंघन करने की कार्यवाहियों को बढ़ावा देना है।" इस पैम्फलेट से यह साफ जाहिर है कि ये जो पार्टियां उधर

---

*तत्कालीन भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

बैठी हैं उन्होंने पुलिस के सामने तोड़-फोड़ की कार्यवाहियाँ कीं और ला ऐंड आर्डर की हालत को खराब किया। ऐसी हालत में हमें इस बात की खुशी है कि चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी उन्होंने उन पार्टीज को कंडम किया जिनको कांस्टीट्यूशट करके यह मौजूदा सरकार बनी। इस प्रकार के दामन पर कुछ धब्बे बड़े साफ नजर आते हैं। ये धब्बे हैं कालागढ़ के, बनारस के गोली कांड के, महिला कर्मचारियों की मारपीट के, फैजाबाद के विधायक पर कातिलाना हमला करने के, होशियार सिंह की हत्या के और पी०एन० शुक्ल को पी०डी०एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार करने के। मैं दलीलों में नहीं जाना चाहता। इसी सदन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य आए। सर में कांते की चोट लगी हुई थी। ३२४ के मातहत पुलिस इन्वेस्टीगेट कर रही है। अगर पुलिस का उसमें हाथ नहीं है तो फिर दफा ३०७ क्यों नहीं लगी? क्या कांते से हमला करके मार डालने का प्रयास नहीं था? लेकिन इस तरह से पुलिस ने क्राइम को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। होशियार सिंह की मिसाल जब इस सदन में पेश हुई—मुझको दुख यह है कि रुस्तम सैटिन साहब ने सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ा, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं वह, बनारस यूनिवर्सिटी में साथ रहे, उनको मैं बड़ा ईमानदार आदमी मानता हूं, क्या ह बात उनकी समझ में नहीं आयी कि अगर होशियार सिंह को थाने के बाहर किन्हीं आदमियों ने पीटा और लूटा होता तो वह खुद थाने में आ कर रिपोर्ट दर्ज न कराता? ऐसा कभी हो नहीं सकता कि उसको कोई मारे और व थाने में न जाय और दूसरे दिन उसके लड़के से एक रिपोर्ट लिखा दी जाय कि हमारे बाप को मारा पीटा गया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल साफ समझ में आती हैं। जब वह रिपोर्ट आयी थी माननीय मन्त्री जी के पास तो उन्हें उसकी टेलको ट्विस्ट करना चाहिए था कि यह एक्सप्लेनेशन जो आपने भेजा है, उसको हम हाउस में पढ़ने लायक नहीं समझते, हमारा मजाक बनाया जायगा। तो ये कुछ धब्बे हैं जो हटाए नहीं जा सकते। यह बात तो समझ में आती है कि कोई राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में बन्द कर दिया जाय, कोई हत्या करने वाला या कोई शातिर डाकू अगर अदालत से बच जाय तो उसे प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में बन्द कर दिया जाय, मगर अधिष्ठात्री महोदया, ऐसी मिसाल मैं समझता हूं सारी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होगी कि एक राज्य कर्मचारी जो अपनी रोटी की लड़ाई लड़े उसे प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट में बन्द कर दिया जाय। सारे हिन्दुस्तान में कभी ऐसा केस नहीं हुआ और जहां तक हमारी जानकारी है, सारी दुनियामें ऐसा केस नहीं हुआ। अगर दरअस्ल कोई जुर्म है तो उसके ऊपर रेगुलर मुकदमा चलाइए। मगर एक आदमी जो रोटी की लड़ाई लड़े, माननीय सैटिन साहब तो ट्रेड यूनियनिज्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उसका डिटेन्शन विदाउट ट्रायल हो यह सब से बड़ा कलंक है। एस० बी० डी० जिसे हम सिद्धांत विहीन दल कहते हैं, उसके उन सदस्यों से जो जनतन्त्र में विश्वास करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य कर्मचारी को बिला अदालत में ले जाए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देना कोई मुनासिब बात है?

मैं इस अनुदान के सिलसिले में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ गयी है। अभी आपने कहा कि ११३ या ऐसे ही कुछ थाने आप बढ़ायेंगे। मगर और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जिले जालौन की बात बताऊं। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो करीब १३० गांव देशी रियासतों के हमारे जिले में मिलाए गए। मगर थाना एक बन पाया। ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन को अगर यह सरकार ठीक करना चाहती है तो थाने और ज्यादा होने चाहिए। इसके अलावा चौकीदार की तनख्वाह की बात है। सारी दुनिया में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसकी तनख्वाह इतनी कम हो। मध्य प्रदेश में भी चौकीदार की तनख्वाह २८ रुपए महीना है। तो अगर आप चौकीदार के पद को गैर मुनासिब समझते हैं, पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में भी दिया हुआ है कि चौकीदार के बजाय ग्राम रक्षक नियुक्त किया जाय अथवा इन चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है। पुलिस स्टेशन्स जो आप नए खोलें, वह सड़क के किनारे खोलने चाहिए जहां आवागमन

की सुविधा हो। जो पुलिस स्टेशन्स मौजूद हैं वे भी रोड साइड से यदि कनेक्टेड नहीं हैं तो वे ला एंड आर्डर के सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकते। खासतौर से जहां आपरेशन एरिया है, जैसे बुन्देलखंड का एरिया है, जालौन का एरिया है, जहां रोज डाकू आते हैं। उन आपरेशन एरिया में जब पुलिस स्टेशन्स में डाकुओं के आने की सूचना यदि मिली जहां पी० ए०सी० नहीं है और वहां पुलिस स्टेशन भी रोड साइड के कनेक्टेड नहीं हैं तो डाकुओं की समस्या का समाधान किसी प्रकार नहीं हो सकता है।

एक निवेदन मैं और कर देना चाहता हूं। जैसे ग्रेटर बाम्बे में पुलिस कमिश्नर है, अहमदाबाद में भी पुलिस कमिश्नर है जहां की आबादी कानपुर से अधिक नहीं है। यहां के लिये कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर बहुत कुछ होती है, वे आई० ए० एस० होते हैं। इस प्रकार का पावर किसी पुलिस आफिसर को न दिया जाय, मगर कुछ न कुछ पावर देनी चाहिए। कानपुर के लिए कहा जाता है कि वहां हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जुर्म होता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस सुझाव पर गौर करेंगे कि जिस प्रकार ग्रेटर बाम्बे में जिस प्रकार अहमदाबाद में पुलिस कमिश्नर हैं उसी प्रकार से आप पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति अपने प्रान्त की राजधानी लखनऊ में और जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर कानपुर है, उसमें करेंगे।

एक बात मैं और आपकी इजाजत से आर्म्स ऐक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। जब कहीं से कारतूस बरामद होता है तो यह मानी हुई बात है कि वह किसी लाइसेंसी के पास से ही आता है। जब कहीं आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत रिवाल्वर या पिस्तौल तथा टवेन्व बोर गन का मामला कोर्ट के सामने आता है तो दो ही बातें होती हैं। या तो मामला बिल्कुल फर्जी होता है या जांच करने पर पता लगता है कि जो राइट लाइसेंसी है जिसके नाम रिवाल्वर या पिस्तौल का लाइसेन्स दिया गया है उसने डाकुओं को कारतूस वगैरह सप्लाई किया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आर्म्स ऐक्ट के सब केसेज की जांच सी० आई० डी० द्वारा होनी चाहिए ताकि फर्जी मामले न चलाए जा सकें। इससे यह भी पता लग जायगा कि जिन आदमियों को आर्म्स का लाइसेन्स दिया गया है उन्होंने इसका बेजा तरीके से इस्तेमाल किया और अपने आर्म्स को डाकुओं को सप्लाई किया। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हुकमसिंह (जिला आगरा)—

माननीया, जो कटौती का प्रस्ताव चल रहा है, उस पर जिस प्रकार के भाषण विरोधी दल की ओर से हुए हैं वह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आए हैं। क्योंकि पहले भी जब बजट बने हैं और पुलिस अनुदान की मांगें हुई हैं, ये ही लोग दूसरे स्वर में यहां बोलते रहे हैं। पिछले २० वर्ष में इस प्रदेश के अन्दर काफी अत्याचार जनता के ऊपर हुए हैं और आज कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने भाषणों द्वारा इस सरकार के ऊपर प्रहार कर रहे हैं जो सरकार अभी ३ महीने की ही है। कालागढ़ वाली घटना के सम्बन्ध में जो इतना कहा जाता है, उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी बयान दे चुके हैं और उसकी जांच कराने का भी आश्वासन दे चुके हैं और उसके सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करने का भी प्रयास सरकार कर रही है ताकि उसकी जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाया जाय। सुबह से मैं भाषणों को सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक एक भी सुझाव इस प्रकार का नहीं आया जिसे ठोस सुझाव कहा जा सकता हो। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए उद्धरण का जिक्र करके उन घटनाओं को बढ़ाना ही है, इसलिए मैं उन बातों की तरफ न जाते हुए, संयुक्त विधायक दल की सरकार के सामने आपके द्वारा कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं।

इस प्रदेश में यमुना-चम्बल घाटी के नाम से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हमेशा ही डाकुओं और पुलिस से पीड़ित रहा है। इस क्षेत्र में जहां एक ओर डाकू विचरते हैं वहां दूसरी ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकमसिंह]

इस क्षेत्र में पुलिस के जुर्म से भी जनता पीड़ित रहती है। वहां दो चक्कियों के पाट में जनता हमेशा पिसती रहती है। यह आज भी अन्याय उसी तरह से है जिस तरह से अंग्रेजी राज्य में था। आजादी मिलने के बाद जनता को बड़ी आशा थी कि हमारे यहां की डाकुओं की समस्या हल हो जायगी और डाकुओं तथा पुलिस के आतंक से जनता को राहत मिलेगी। लेकिन इन २० वर्षों में इस प्रदेश की सरकार ने जनता के प्रति अपनी आंखें मींच ली हैं और इस समस्या को हल करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। वहां एक तरफ तो डाकू आ जाते हैं और उस समय उनका साम्राज्य वहां छा जाता है और पुलिस तथा सरकार का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। जब डाकू चले जाते हैं तो पुलिस आ जाती है और पुलिस डाकुओं से भी अधिक जनता को तंग करती है। एक तरफ तो डाकू जनता को लूटते हैं और दूसरी तरफ पुलिस परेशान करती है। वह डाकू ग्रस्त एरिया है इसलिए यदि कोई पुलिस के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत करता है तो उसको भी झूंठे इल्जाम लगाकर फांस लिया जाता है। इस तरह से वहां पर पुलिस का आतंक छाया हुआ है।

आगरा जिले में बाह और फतेहाबाद तहसीलें ऐसी हैं जो डाकूग्रस्त हैं। यह आपरेशन एरिया है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां डाकू रहते हैं और अपना आतंक जनता पर छाए हुए हैं। ये डाकू तो जनता को लूटते ही हैं दूसरी तरफ पुलिस भी नाना प्रकार के जुल्म जनता के ऊपर करती है। इस क्षेत्र में पुलिस और डाकुओं का दोहरा शासन है। इन २० वर्षों में पुलिस ने डाकू समस्या को हल करने में कोई मदद नहीं की है बल्कि इसको बढ़ाया है। एक बहुत बड़ा पी० ए० सी० और पुलिस का दल वहां रहता है जिससे सरकार का बहुत बड़ा खर्चा होता है। लेकिन पुलिस डाकुओं की रोकथाम में कोई मदद नहीं करती बल्कि डाकुओं के नए-नए दल बढ़ते चले जा रहे हैं। विनोबा भावे ने जरूर डाकुओं को हाजिर कराया था और भारत सरकार ने भी इन्टरेस्ट लिया था। आज भी भारत सरकार एक कमीशन बिठाकर वहां की समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रदेशीय सरकार ने कुछ नहीं किया है।

मुझे यह जानकर बड़ी निराशा हुई है जब कि इस बजट में दूसरे पहलू बहुत अच्छे हैं। जहां भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कदम बढ़ाए गए हैं लेकिन जनता को इस समस्या को हल करने के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। जब तक यहां पर पी० ए० सी० और पुलिस इसी तरह से काम करेगी यहां की समस्या हल नहीं हो सकती है। इसकी वजह यह है कि यहां से जो लोग तैनात हैं वे १०-२० साल से हैं पुलिस के अधिकारी इतने माहिर हैं कि वे डाकुओं से मिले रहते हैं और समस्या को सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। बजाय इसके डाकुओं को पकड़े, नए दल पैदा होते जाते हैं। जनता बराबर दो चक्कियों के पाट में पिसती रहेगी।

मेरा सुझाव यह है कि इस समस्या पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। मैं सरकार को तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह कि इस पर विचार करने के लिए एक गैर सरकारी हाउस के सदस्यों की कमेटी बनाई जाय जो इस प्रकार की खोज करे कि चम्बल घाटी की जनता की समस्या क्या है और वह खास तौर पर चम्बल घाटी की समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान दें। दूसरे, कि जो पुलिस वहां बीसों वर्ष से तैनात है उस पुलिस को वहां से हटा दिया जाय और नए सिरे से स्पेशल पुलिस वहां रखी जाय जो डाकुओं का सामना करने के लिए ट्रेंड हो। उसी डाक्टर से इलाज कैसे हो सकता है जिससे रोग बढ़ता जाता है? वहां पर विशेष पुलिस का गठन किया जाय।

तीसरा सुझाव यह है कि जब तक चम्बल घाटी की समस्याओं का विशेष रूप से हल नहीं किया जायगा, यमुना और चम्बल के बीच के क्षेत्र की ओर जब तक विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जायगा, और करोड़ों रुपये की धनराशि उसके लिये विशेष रूप से नहीं रखी जायगी, उस क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। यह क्षेत्र बीसों वर्षों से उपेक्षित रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजों के काल में वहां अत्याचार होते थे, अब उससे बढ़ा हुआ है भ्रष्टाचार। गुप्ता जी को

मिनिस्ट्री में माननीय शिव प्रसाद गुप्त उप गृह मंत्री थे। उस क्षेत्र में उनका निरन्तर हस्तक्षेप होता था, फतेहाबाद क्षेत्र में। बाबू शिव प्रसाद गुप्त मुख्य मंत्री के दामाद थे, इसलिये जितने अधिकारी थे दामाद के आर्डर को मुख्य मंत्री के आर्डर से अधिक समझते थे। उन्होंने डाकुओं और पुलिस से साजिश की और अनेकों हत्यायें उस क्षेत्र में हुईं। वहां यह दशा है कि किसी भी आदमी को झूठे जुर्म में फंसाया जा सकता है। मैं ऐसी चार पांच घटनाओं का जिक्र कर दूं। लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय ने नोटिस दे दिया है एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले समय में पुलिस ने ऐसा षड़यन्त्र किया कि रातोंरात डी०एस०पी० और थानेदार दौड़ गये और लोगों को घर से पकड़ लाये और पतौछेड़ा बाग में दस बारह आदमियों को रखा गया और यह कह दिया गया कि पुलिस और डाकुओं में गोली चली है। आगरा जिले के सब लोग जानते हैं न गोली चली न वारदात हुई। लोगों को घर से पकड़ कर ले आये और डकैती करने के जुर्म में उनको फां गया। वह मुकदमा छूटा, लेकिन पुलिस से कोई जवाब तलब नहीं किया गया। वहां इस प्रकार की घटनायें निरन्तर होती रहती हैं। लेकिन वहां पर यह हालत है 'गुरु सिस अंध बधिर कर लेखा, एक नहिं सुनइ एक नहिं देखा।" एक सुनता नहीं, एक देखता नहीं। कोई जनता की फरियाद सुनने वाला नहीं है। वहां के लोग बड़े बड़े डेपुटेशन ले कर आये लेकिन आज तक किसी मंत्री ने उस क्षेत्र की समस्याओं को देखने की तकलीफ गवारा नहीं की। जब तक कांग्रेस की सरकार थी किसी मंत्री की हिम्मत ही नहीं हुई कि डाकुओं के क्षेत्र में जायं। बाबू चन्द्रभानु गुप्त, जो पूंजीपतियों के एजेन्ट हैं, उनके मंत्रियों की तो हिम्मत ही नहीं थी कि उस क्षेत्र में जायं। मैं समझता हूं कि संयुक्त विधायक दल के मंत्रियों में यह हिम्मत होगी कि वे उस क्षेत्र में जाकर उन समस्याओं का निराकरण करेंगे और उस क्षेत्र की जनता को स्वतन्त्रता का जीवन और सुविधापूर्ण जीवन जीने देने में सहायक होंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और बहुत आवश्यक प्रश्न भी है। खैर शान्ति व्यवस्था तो छोड़िय, इसी विधान सभा के सामने जो सड़क है, उस पर जब अभी मैं आ रहा था वहां पर १ छोटे से बच्चे को, ६० मील की रफ्तार से भागती हुई मोटर बच्चे को कुचलते हुये चली गयी और मोटर रुकी भी नहीं। बच्चा बरी तरह से घायल हुआ है और उसे अस्पताल ले जाया गया है जहां शायद वह जीवित भी बचे। जब कि यह नियम है कि विधान सभा भवन के सामने ५ मील से अधिक रफ्तार नहीं होनी चाहिये। इस छोटी सी चीज का भी इन्तजाम यह सरकार नहीं कर पा रही है। कम से कम यह तो इन्तजाम कर दिया जाए कि इस ५ मील की रफ्तार का हुक्म से पालन किया जाय।

***श्री** बंगला प्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस सदन का ध्यान उन आन्दोलनों की ओर आकर्षित करना हूं जो अभी हमारे प्रान्त में चले हैं। कानपुर बन्द, इलाहाबाद बन्द और प्रदेश बन्द अब अभी के चला करते थे और अब घिराव आन्दोलन की बारी आयी, इतना ही नहीं अब 'मारो आन्दोलन' की बारी हमारी वर्तमान सरकार की बेंचों में बैठे मंत्रियों द्वारा चलाई जाएगी, यदि यही सरकार रही। तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन जिन बड़े शहरों के मंत्री हैं वहां के थाने बन्द कर दिये जाएं और वहां की शान्ति व्यवस्था का प्रबन्ध वहां की स्थानीय मोहल्ला रक्षा समितियों के जरिये से किया जाय और गांवों में जहां जुल्म ज्यादा होते हैं, जहां जुल्मों का कोई आदाता नहीं रहा है। सन ६४ के डकैतियां ज्यादा हुईं, सन् ६६ में कम हुईं, लूटें सन् ६४ में कम हुईं और सन् ६६ में ज्यादा हुईं हत्यायें सन् ६४ में कम हुईं, सन् ६६ में ज्यादा हुईं, दंगे सन् ६४ में कम हुए, सन् ६६ में ज्यादा हुये, सनसनी सन ६४ में कम हुईं और फिर सन् ६६ में ज्यादा हुई। ये ज्यादातर हमारे देहात में हुईं। इन रिपोर्टों से मैं कुछ ऐसा

वक्ता ने भाषण का पुनरावलोकन नहीं किया।

[श्री मंगला प्रसाद तिवारी]

समझता हूं कि जब अधिकारी का जो इरादा होता है वह कर दिया जाता है, जिसको चाहा बढ़ा दिया जिसको चाहा घटा कर दिखा दिया, चाहे जिस जुर्म को मन आया, दर्ज किया और नहीं चाहा तो नहीं दर्ज किया। इसकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं होती है।

आज भी किसी थाने पर जैसा जुर्म हो, उस शक्ल में उसे दर्ज नहीं किया जाता है और उससे कहा जाता है कि किसी कागज पर लिख कर दो--उसे मैं देखूंगा, और फिर मुकदमा दर्ज करूंगा। हमारे जो सरकारी बेंच में बैठने वाले मित्र हैं वह यह समझते हैं कि २० साल में होने वाले जुर्म अब कम होंगे, किन्तु मैं बड़े अदब से कहूंगा कि शायद अब तक वह जुर्म और ज्यादा होंगे और अब शायद कोई कानून और रक्षा की व्यवस्था इस प्रदेश के अन्दर रह ही नहीं जाएगी। इसका नमूना आप सब के सामने नित्य आता रहता है। इन मंत्रियों के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के लोग जिस तरह से किसी स्कूल, किसी संस्था या किसी बैंक या दफ्तर में जाते हैं तो वे एक तरह का आतंक पैदा करते हैं और एक खतरा पैदा करते हैं तथा उस वर्ग के लिये बड़ी कठिनाई पैदा करते हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। दूसरी बात मैं आपके सामने एक घटना का जिक्र रखते हुये कहना चाहता हूं, सरकार उस पर ध्यान दे। एक कांग्रेस कार्यकर्ता को उसी के गांव में बदमाशों ने मार डाला और बाद में पता चला कि वह गायब है और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई तो उसी के घर से उसकी लाश बरामद हुई किन्तु उसका पोस्ट-मार्टम नहीं कराया गया और मामले को दबाने का प्रयत्न किया गया। इस तरह से पुलिस के जरिये से जो जुल्म बढ़ते हैं उन्हें रोकने में सरकार फेल रही है। तो आये दिन जो पुलिस की वजह से जुर्म बढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि यह सरकार उनको रोकने में असमर्थ रही है। मुझे क्षमा किया जाय कि पुलिस वालों का ज्यादातर सम्बन्ध जेबकतरों से रहता है, डाकुओं से रहता है और उस क्षेत्र में जुर्म करने वाले आदमियों से रहता है, दूसरी ओर बड़े-बड़े अधिकारियों से रहता है और सारी की सारी जनता पुलिस के हाथ में रहती है, जब रक्षा के लिये जनता जाती है तब पुलिस इशारा कर देती है और कहीं बलवे होते हैं और कहीं कत्ल होता है। ऐसे समय में समाज में से सुरक्षा की भावना निकल जाती है। मौजूदा सरकार से हमें थोड़ा सा विश्वास है कि शायद वह हमारी रक्षा करे, लेकिन वह रक्षा करने में कामयाब इसलिये नहीं होती कि कोई आदमी जब अपनी रक्षा के लिये पुलिस के पास जाता है तो पुलिस हंस कर उसको टाल देती है और इसी वजह से ऐसे केसेज हुआ करते हैं। यही नहीं, कत्लों की संख्या बढ़ी। नये किस्म का एक डाका चला है ब्लैक मार्केट के नाम पर, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उसमें अच्छे खासे लोग तंग किये जाते हैं और जो सचमुच दोषी हैं वह उसी में से छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिये मेरे यहां पुलिस ने गेहूं पकड़ा। सरकार ने मुकदमा कायम किया। डी० एम० को टेलीफोन हुआ। उसी में से एक अधिकारी ने कह दिया कि मैंने हुक्म दे दिया। तो इस तरह से सारा किया कराया बरबाद हुआ। वह केस छूट जायगा। तो इस तरह से जरायम को काम करने के लिये सरकार का ध्यान उस तरफ जाना जरूरी है।

एक बात इंवेस्टीगेशन के सम्बन्ध में कहूंगा। जब किसी मामले को खत्म करना होता है तो पुलिस अधिक से अधिक समय लगाती है। नतीजा यह होता है कि जुर्म बहुत कम कामयाब होते हैं। गवाहान को इतना टेरराइज किया जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती सच सच कहने की। मैं आपके द्वारा माननीय तलवार जी का ध्यान इसलिये आकर्षित करता हूं कि वे मेरे गांव में मेरे क्षेत्र में गये। वहां हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा हुआ था। बजाय शान्ति करने के उन्होंने जनसंघ के नाम पर एक पार्टी आर्गनाइज की और उसकी वजह से हिन्दू मुसलमानों में झगड़े बढ़ गये। बजाजों की दूकानों पर बैठनेवाले जो दर्जी थे उनकी मशीनों को तोड़ा गया और उनको मारा गया। ऐसे ऐसे लोगों में जब ऐसी भावनायें होंगी और जब पार्टी लाइन्स पर काम करेंगे तो देश की, जनजीवन की सुरक्षा कैसे रहेगी? मैं कहता हूं कि इस प्रान्त में रहने वाले हर आदमी को यह गारन्टी होनी चाहिये कि उसका जीवन सुरक्षित है, और अगर इतना भी नहीं होता है तो हम समझते हैं कि पुलिस पर जो १२ करोड़

रुपया खर्च हो रहा है वह बेकार साबित होगा और इस सबब से मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राजबली (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठता महोदय और माननीय सदस्यगण, आज पुलिस का बजट हमारे सामने पेश है और हम उस पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं जिसके कारनामे का निशान आज भी मेरे सिर पर ताजा ताजा है और पता नहीं कब तक रहेगा । आज हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार है और हम भी उसके एक अंग हैं । लेकिन एक अंग के और एक सदस्य होने के नाते हमारी भी ड्यूटी है कि अगर कहीं कोई अग सड़ा हुआ हो तो हम सड़े हुये अंग पर ध्यान रखें नहीं तो जहां जनता को तबाह करने वालों को दफा किया गया था वहीं हम भी दफन हो जायंगे । इसलिये मुझे कहना है कि मैं इस पुलिस के मेरे अपने जिले के जो कारनामे हैं उनको बतलाना चाहता हूं । आज मैं एम० एल० ए० हूं, लेकिन मेरे ऊपर सेशन में आगजनी का केस चल रहा है जिस केस की स्वयं पुलिस कप्तान ने जांच की और उसने स्वयं जांच करने के बाद कहा था कि यह केस तुम्हारे ऊपर साबित नहीं होता है, लेकिन आज सेशन में उस केस में मेरे ऊपर ट्रायल हो रही है। आज सरकार का वही पुराना रवैया है । हम समझते थे कि हमारी नई सरकार आयेगी तो पुलिस के रवैये में परिवर्तन होगा और पुलिस के ऊपर कंट्रोल होगा; लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आज भी पुलिस का रवैया वही है जो पहले था । कांग्रेस हकूमत के जमाने में जो जुल्म और भ्रष्ट रवैया चलता था वही आज भी पुलिस अपना रवैया बनाये हुये है । जनता के आन्दोलनों में लाठी और गोलियों से कुचलने का रवैया आज भी जारी है । उसमें किसी प्रकार से भी परिवर्तन नहीं आया है । तो मेरा आपसे कहना है कि फैजाबाद की मिसाल आपने देखी । हमारे सामने यहां पर एक रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई गई कि राजबली सिंह ने एक रिपोर्ट की । वह भाषण कर रहे थे और उसके बाद उनको कुछ ताव आया और १०, १५ आदमी लाठी ले कर आ गये और उनको जख्मी कर दिया । उस रिपोर्ट के बाद क्या कोई जरूरी सूचना नहीं मिल सकती है ? वह सूचना लेने का प्रयास किया जाय तो हासिल हो सकती है । सीताराम निषाद, वकील ने बताया कि एस० पी० को जनमोर्चा के सम्पादक श्री हरगोविन्द जी ने टेलीफोन किया और बताया कि राजबली सिंह पर हमला हो गया । एस० पी० को सूचना कर दी गई तो उन्होंने बताया कि मैं तो नहीं समझता था कि ऐसी घटना हो जायगी । अगर यह मान भी लिया जाय कि एस० पी० को रिपोर्ट नहीं थी तब भी वह जुर्म से बरी हो सकते हैं क्योंकि एस० पी० ने हरगोविन्द जी से खुद तसलीम किया था कि एल० आई० यू० ने दंगा होने की आशंका की सूचना उन्हें दी थी। इसके अलावा फैजाबाद की चोरी की बात आप देखिये । वहां पर २ कत्ल हो गये थे । जहां का यह वाकया है; गुसाई गंज पुलिस स्टेशन वहां से १ मील के फासले पर है । ३ घरों में डकैती पड़ती है । २ कत्ल हो जाते हैं और १७ आदमी छुरे से घायल हुये हैं । इस केस को हुए २ महीने हो गया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ।

(इस समय २ बजकर ११ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये ।)

उसके बाद १५ दिन का किस्सा हुआ है कि गुसाईगंज में एक चोरी होती है । एक ललिता बनिये के यहां २१ हजार रुपये की चोरी हो गई । उसने उस दिन ही माल बेचा था । १० हजार रुपया कैश उसके यहां रखा था और कुछ जेवरात थे । सेफ खोली जाती है और उस तिजोरी में से उसका माल चला जाता है । यहां से कुत्ते जाते हैं । माल पकड़ने वाला भी और चोरी पकड़ने वाला, दो तरह के कुत्ते भेजे जाते हैं । वह कुत्ता छोड़ दिया जाता है तो वह कुत्ता एक आदमी के घर के पास जाकर रुक जाता है । उस आदमी को थाने में पकड़कर लाया जाता है । वह १२, १४ आदमियों के नाम लेता है । उनके पकड़ने का प्रयास नहीं किया जाता । फिर बाद को उसको भी छोड़ दिया जाता है । माल के लिये कुत्ते को छोड़ा नहीं जाता है । वह इसी वजह से कि वे मिले हुये होते हैं । मैं आपको बतलाऊं कि जिस दिन

[श्री राजबली]

चोरी हुई है उस दिन ही २ आदमी उसके बगल के मकान में सोये हुये थे और रात में भी मौजूद थे। दो दिन तक बिजली जलती रही, लेकिन उस दिन बिजली बिलकुल बन्द रही। उसने नाम दिया लेकिन यहां पर दो आदमी सोये हुये थे। कप्तान साहब, ओंकार सिंह ललिता बनिये के यहां जाते हैं और कहते हैं कि तुम भूसा खाते हो और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम दिवाला निकालना चाहते हो इसलिये यह २५ हजार की चोरी तुमने लिखवाई है। वह चोरी नहीं हुई है। उसने कहा कि मेरे पास किसी दूसरे का माल नहीं आता है। मुझे दिवाला निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी का देना नहीं है। इसके बाद वह मन्त्री महोदय के पास दरख्वास्त देता है। जब दरख्वास्त वहां पर जांच के लिये जाती है तो पुलिस कप्तान गुर्राता है। उसको ही चोर बताया जाता है जो शिकायत करता है। गुसाईगंज की पुलिस चोरों से मिली हुई है। अब आप यह भी सोचिये कि उस की दरख्वास्त को उसी के पास भेजा जाता है, जिसकी वह शिकायत करते हैं। जब उसके पास ही जांच के लिये दरख्वास्त जायगी तो उसका नतीजा क्या होगा यह आप समझ सकते हैं। दरोगा जी ने उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अब आप देखिये कि उसके यहां चोरी हो जाय और उसको ही कहा जाय कि उसका दिमाग खराब है। एस० पी० साहब बुलाते हैं। दरोगा उन्हें बंगले पर पकड़ कर ले जाता है। वह कहते हैं कि क्या तुम भूसा खाये हो। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। उसने कहा कि हम तो मर गये हैं, हमारे पास खाने को भी नहीं है। इसी प्रकार पूरा गुसाईगंज का कस्बा परेशान है। जो वहां रहते हैं और मैं कहता हूं कि अगर ऊंचे स्तर की तहकीकात वहां करायी जाय तो सब कत्ल करने वाले तथा डकैती करने वाले पकड़े जा सकते हैं। लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की जा रही है। वहां का जन जीवन खतरे में है। थाना एक मील पर है, लेकिन वहां तीन तीन डकैतियां होती हैं। यह हाल है पुलिस के इंतजाम का और जब जनता आवाज उठाती है तो पुलिस डन्डे का सहारा लेती है। मैंने मुख्य मंत्री को लिखित दिया है। कई मामले मेरे हैं। अगर किसी के ऊपर इल्जाम है कि एक बैलगाड़ी रोक लेते हैं तो डकैती का केस चलाया जाता है, लेकिन गुंडों का गिरोह लेकर दरोगा रामपुर दुआरीमाझा में एक-एक सामान और जेवर लूट लेता है तो उसके लिये वह आई० पी० सी० की धारा नहीं है? क्यों नहीं उसे भी उसी धारा में सजा दी जाती? माननीय मंत्री जी ने खुद लुटा हुआ घर देखा। यहां बताते हैं कि थोड़ा सामान उल्टा पल्टा पड़ा था। ऐसी बात सुनने पर पुलिस वालों का हौसला और बढ़ जाता है और उन्हें जनता को लूटने में कोई खतरा नहीं रहता। चोरों, डकैतों से हिस्सा लेना और जिसका चाहे ०९ में चालान कर देना पुलिस का रोज का काम है। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस के बारे में मेरा कड़वा तजुर्बा है। मैं तो समझता हूं कि अंग्रेज हुकूमत की नाजायज औलाद आज भी मौजूद है और वह आज वही कर रही है जो उसने उस समय किया था। आपकी सरकार एक महीने की हो अथवा दो महीने की, इसकी चिन्ता नहीं लेकिन क्या आपका पुलिस के बारे में कोई दूसरा अप्रोच है? आपने अपना वही अप्रोच बनाया है जो कांग्रेस का था। जनता शिकायत करती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, अगर किसी कांस्टेबिल ने किसी के लिये कुछ कह दिया तो उसे डकैती में फाँस दिया जाता है।

मिसाल के लिये रामदेव एक हरिजन है। उसका खेत काट लिया गया। वह थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है, लेकिन उसका कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता और दूसरी तरफ पुलिस के कथनानुसार अगर किसी ने बैलगाड़ी रुकवा ली तो उस पर डकैती का केस चलाया जाता है। क्या यह प्रजातंत्र की रक्षा करने के लक्षण हैं? क्या यह सरकार इसी बुनियाद पर चल सकती है? यह चलने वाली नहीं है। अगर पुलिस को आप ठीक करना चाहते हो तो जनता को आजाद कर पुलिस के खिलाफ उसकी आवाज सुनिये। उसकी जायज शिकायतों पर बड़े से बड़े अफसर के खिलाफ भी ऐक्शन लेने में आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। पुलिस कप्तान को बुलाकर कहिये कि अगर चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार होगा तो तुम्हारे खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा। इसके लिये एक कमेटी बनाइये जिसमें सब पार्टियों के लोग हों और

उसमें अगर कमेटी किसी मामले में किसी पुलिस अफसर के खिलाफ रेकमेंन्ड करती है तो व भले ही बड़े से बड़ा अफसर हो, उसके खिलाफ आपको ऐंक्शन लेना चाहिये । मुझे आप कहना है कि जो मेरा सर कांग्रेस की हुकूमत में नहीं फटा वह हमारी इस हुकूमत में फटा हुआ है । मैं कहता हूं कि इंक्वायरी सेट अप कर दीजिये । अगर मेरी बात गलत निकलती है तं मुझे सजा दीजिये और अगर सही निकलती है तो आपमें हिम्मत होनी चाहिये कि पुलिस व खिलाफ ऐक्शन लिया जाय । यह चोरी वाला मसला है । डकैती में दो कत्ल हुये । आप इन मामलों को सी० आई० डी० को दे दीजिये तब गोसाईगंज थाने के राज खुलेंगे । पुलिस के थाने में जुआ होता है । जुए में, कांस्टेबिल मौजूद हैं, गुंडे घूम रहे हैं और पुलिस के कांस्टेबिल पीछे पीछे चल रहे हैं । जो माल चोरी जाता है उसमें वह हिस्सा लेते हैं । मुझे ऐसे आदमी से खबर मिली जो उसमें शामिल था और उसने बताया कि हमको पुलिस को हिस्सा देना पड़ता है । इस तरह से पुलिस की जानकारी में जुर्म होते रहते हैं । अगर आप चाहते हैं कि आपके दामन पर धब्बा न लगे, जनता की सही नुमाइन्दगी करना चाहते हैं तो इस नौकरशाही के बल पर आपकी हुकूमत नहीं चल सकती है । उसके बल पर जब अंग्रेज अपने को नहीं बचा सके, कांग्रेसी हुकूमत नहीं बचा सकी तो वह कैसे आपको बचा सकेगी ? जनता के सवाल को पहले अपने सामने रखिये और नौकरशाही के सवाल को बाद में । उसके खिलाफ ऐक्शन लेने में जनता आपका साथ देगी । चाहे पुलिस कप्तान हो, डी० आई० जी०, आई० जी० हो, किसी के साथ जुर्म साबित होने पर कोई रियायत नहीं करनी चाहिये । जनता का हित आपके सामने होना चाहिये । इसलिये मेरा सजेशन है कि कमेटी बनाइये और उनके खिलाफ ऐक्शन लीजिये; इनको लूटने के लिये तनख्वाह मत दीजिये । जनता का सेवक बना कर रखिये । इन शब्दों के साथ मैं पुलिस के जालिमाना रवैये का सख्त विरोध करता हूं । आशा है आप मेरी सही भावनाओं को सही रूप में समझ कर सही जन व्यवस्था कायम करेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उनको सुन कर हमारे पुलिस उप मंत्री गायब हो गये । आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ । वह उनके बोलने की वजह से चले गये, उनको अखर गयी इनकी बातें क्योंकि वह उन्हीं के पार्टी के सदस्य हैं । सरकार के समस्त विभागों में पुलिस का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सरकार के हर एक विभाग को चलाने के लिये पुलिस का सहयोग आवश्यक होता है । मैं विरोधी पक्ष में बैठने के नाते से केवल आलोचना करने के लिये आलोचना नहीं करता । यह सही है कि सरकार को इस विभाग के अधिकार और सुविधाओं की तरफ देखना चाहिये परन्तु साथ ही साथ अगर यह विभाग कोई अनावश्यक बर्बरतापूर्ण कार्य करे, निर्दयतापूर्ण कार्य करे और आतंकवादी मनोवृत्ति अपनाये तो ऐसे कृत्यों के लिये सरकार को आंखें नहीं मूंदनी चाहिये । उदाहरण के लिये इन्हीं के शासन काल में कालागढ़ बांध पर जो घटना हुई वह श्रीमान् जी को भी मालूम होगी । सरकार से जुडीशियल इंक्वायरी की मांग की गयी, लेकिन चौधरी साहब ने उसको ठुकरा दिया । यह ऐसा विभाग है जो प्रशासन की रीढ़ है, सभी विभाग एक तरह से इसके माध्यम से चलते हैं, और जब प्रशासन की रीढ़ ही खराब हो जाय तो प्रशासन ठीक तरह से चल नहीं सकता । इसलिये इस रीढ़ को पहले सम्हालने की जरूरत है । जब तक आप इसको नहीं सम्भालेंगे, न आपकी सरकार चल सकती है और न जनता का ही भला हो सकता है ।

श्रीमन्, बड़े खेद की बात है कि आज स्वतंत्र हुये हमें २० वर्ष हो गये । आज हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हम अपना कार्य करने लगे हैं । हर विभाग के नियमों आदि में कुछ न कुछ परिवर्तन हुये हैं, पर इस पर पुलिस विभाग का वही पुराना सड़ा गला मैनुअल है, वह आज तक वही चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । जब हम गुलाम थे तब अंग्रेज सरकार ने हम पर लाठी, गोली चलाने के लिये इस पुलिस मैनुअल को बनाया

[श्री रघुवीर सिंह]

था, तब से आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आज भी उसके अनुसार जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव पुलिस करती है। मेरा निवेदन है कि आप पुलिस मैनुअल में संशोधन लाइय। माननीय उप गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम पुलिस की आदतों में बदलाव कर रहे हैं, वह इस समय नहीं हैं, मेरा सुझाव उन तक पहुंचा दिया जाय कि पुलिस मैनुअल को आज बदलने की आवश्वकता है। आपको पुलिस कोड आफ कन्डक्ट को भी बदलना चाहिये।

भ्रष्टाचार की ओर माननीय उप गृह मंत्री जी ने संकेत किया। इस प्रश्न पर आपको ठंडे दिल से विचार करने की आवश्यकता है कि इस विभाग में भ्रष्टाचा को कैसे दूर किया जाय। यह एक ऐसा रोग है कि इसके लिये हमें इसके मूल कारणों पर विचार करना होगा। आज अंग्रेजी हटाने की तो माननीय सदस्य मांग करते हैं, परन्तु अंग्रेजियत हटाने की बात नहीं करते। जो माननीय सदस्य अंग्रेजी हटाने की बात करते हैं अगर उनके घर का रहन-सहन देखा जाय तो वह अंग्रेजियत से भरा हुआ होगा। उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते मिलेंगे। इस सब के लिये हमारी अंग्रेजियत शिक्षा प्रणाली ही दोषपूर्ण है। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं, जैसी उनकी वेशभूषा होती है, आगे चल कर वे उसी के अनुसार आचरण करते हैं। मेरा चौधरी साहब से निवेदन है कि इस निर्धन प्रदेश में आज शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसी भी भाषा अथवा किसी भी विषय के साथ आध्यात्मिक विषय अनिवार्य होना चाहिये ताकि हमारे देश का रहन-सहन का स्तर बदल कर सादा जीवन उच्च विचार हो और जब हममें सादा जीवन उच्च विचार की भावना होगी तो हमारे जीवन यापन का व्यय कम हो जायेगा तभी यह भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा। आध्यात्मिक शिक्षा के प्रभाव से वे समझेंगे कि उनके कर्त्तव्य क्या हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, तो आप कितना ही प्रचार करें, यह भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं।

श्रीमन्, कोई खराबी हो तो प्रायः यह कहा जाता है कि यह सब कांग्रेस सरकार की देन है। जब सरकार बदली तो नयी फसल आने के कारण एक दो दिन तो खाद्यान्न के भावों में गिरावट दिखायी दी, उस समय उधर के बैठे माननीय सदस्य कहते थे कि उनकी सरकार आते ही गिरावट आ गई। तात्पर्य यह है कि कोई अच्छा कार्य हो जाय उसका श्रेय चौधरी साहब की सरकार को और खराब काम हो रहा है वह कांग्रेस के मत्थे मढ़ा जाय। आज तीन महीने आपकी सरकार को हो गये हैं, खाद्यान्न के भावों में आप क्यों नहीं परिवर्तन कर रहे हैं? गल्ले की जबरिया वसूली लाने के लिये तैयार हैं? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग को जब तक ठीक तरह से नहीं देखेंगे और जब तक सरकार पुलिस के इस तरह के अनावश्यक बर्बरतापूर्ण कार्यों की जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं करायेगी तब तक उनकी आदत नहीं छूटेगी क्योंकि उनकी यह आदत पड़ गई है।

श्रीमन्, अब इसके पश्चात् मैं भ्रष्टाचार के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने के लिये थाने में दलाल लोग योगदान करते हैं। थाने में चार छ, दस व्यक्ति दलाल होते हैं। थाने में रहने वाले दलालों का पेशा होता है कि वे जैसा चाहते है वैसा ही अपना प्रशासन चलाते हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार यदि खत्म करना हो तो इसकी सी० आई० डी० से इन्क्वायरी कराइये या और कोई जरिया हो उसके द्वारा इन्क्वायरी कराके दलालों से थानों का छुटकारा कराया जाय। हमारे यहां थानेदारों में यह बहुत बुरी आदत है कि बड़े जुर्म को छोटा करके लिखते हैं। जैसे दफा १४७/३२५ को ३२३ दफा में परिणत कर देना, ३९५ को ४५८ में तबदील कर देना। सरकार ऐसे मामलों की जांच करवाये और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिये। श्रीमन, यहां भ्रष्टाचार के विषय पर साथ साथ एक बात और मैं कह देना उचित समझता हूं कि अगर किसी मामले में किसी कान्स्टेबुल का दोष है तो उसके साथ थानेदार को भी उस दोष का दोषी मानना चाहिये। क्योंकि नीचे के आदमी का दोष उससे बड़ा अधिकारी जानता है और यदि जांच कराई जाय तो ऊपर का आदमी बचाने

की चेष्टा करता है। इसके अलावा, आज हम यह भी कह रहे ह कि हमारे इस पुलिस विभाग का जनता से कोई सम्पर्क नहीं रहता है। उस सम्पर्क के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां विकेन्द्रीकरण के नाते बातें गांव पंचायतों के लिये की जाती हैं कि जनता का सम्पर्क अधिक से अधिक प्रशासन में हो, उसी तरह से हर एक ब्लाक के स्तर पर जो लाक की कमेटी हैं उसके सदस्य तथा और भी जो भले आदमी उस थाने के अन्तर्गत हो पुलिस की कमेटी का संगठन बना लिया जाय। जिस दिन ब्लाक की मीटिंग हो उस दिन पुलिस के अधिकारियों में से भी, चाहे वे सी० अ० हों या पुलिस अधीक्षक हों, उस मीटिंग में उपस्थित हो जाया करें ताकि उनका सम्पर्क जनता से बना रहे और जनता भी यह समझे कि देश के नागरिक होने के नाते उसका उत्तरदायित्व है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे कुछ समय और दे दीजिये। तो मैं यह कह रहा था कि जनता को भी यह ज्ञान हो कि हम भी किसी सभ्य देश के नागरिक हैं और पुलिस हमारे सम्पर्क में रह कर हमारा सहयोग कर रही है।

आजकल प्राय: ऐसा हो रहा है कि पुलिस दलालों को साक्षी बनाती है चाहे वे मौजूद हों या न हों, और इसी वजह से पुलिस के बहुत से केसेज खराब हो जाते हैं। यह तो पुलिस के दलाल रुपया लेकर दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं या उन्होंने देखा ही नहीं तो ठीक से शहादत नहीं दे पाते हैं। यह पुलिस के पुश्तैनी गवाह होते हैं। जनता यह महसूस नहीं करती है कि अपराध बढ़ने में हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें साक्ष्य में जाना चाहिये।

आजकल बढ़ते हुये अपराधों से इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि कोई कितना भी छोटा अपराध करने के लिये चले हथियार लेकर वह भी चलता है। हथियार इतने बनते हैं कि जिनकी शुमार नहीं है। पुरानी सरकार ने २, ४ छापे मार कर हथियार बनाने के कारखानों को बरामद किया, लेकिन इस सरकार ने अभी एक भी कारखाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया है। शस्त्रों के लाइसेंस देने में यदि उदारता बरती जाय तो अपराध कम हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे ह जो लाइसेंस लेना चाहते हैं लेकिन मन मार कर बैठ जाते हैं कि पचासों बार जिला हैडक्वार्टर पर जाना होगा और ५००, ७०० रुपया खर्च करना होगा। नाजायज हथियारों का मुकाबला लाइसेंस के हथियारों से ही किया जा सकता है। ऐसा कोई गांव नहीं रहना चाहिये, जहां २, ३ लाइसेंस वाले हथियार न हों।

पुलिस को बड़े-बड़े अधिकार देने पड़ते हैं मगर उनको देखते हुये उनका वेतन कम है। वेतन में और अधिकारों में संतुलन की नितान्त आवश्यकता है। कांस्टेबिल की तनख्वाह बहुत कम है। उसकी और थानेदार की तनख्वाह अवश्य बढ़नी चाहिये जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें और भ्रष्टाचार के लिये उन्हें एकदम से बाध्य न होना पड़े।

जनता में यह निष्ठा नहीं है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिये है। जब तक यह विश्वास सरकार पैदा नहीं करती है तब तक यह विभाग सफल नहीं हो सकता है और न शान्ति व्यवस्था कायम हो सकती है।

श्री राम अधार (जिला इटावा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पुलिस बजट का समर्थन और कटौती का विरोध करना चाहता हूं।

आज पुलिस में जनता की रक्षा के बजाय बिलकुल उलटा काम हो रहा है। गांवों में आम तौर से दफा १०९ में गरीब लोग ही पकड़े जाते हैं। सड़क पर, मोटर में चलते, स्टेशनों पर या थाने के आस पास अगर वे रात में आकर सो गये तो अगर किसी कांस्टेबिल को कोई न मिला तो ऐसे ही आदमी को पकड़ कर एक मोम बत्ती, दियासलाई और एक लोहे का टुकड़ा, उसके पास निकला हुआ दिखाकर सजा करा दी जाती है। धीरे धीरे ऐसे लोगों को पुलिस बदमाश बनाने का

[श्री रामअधार]

प्रयास करती है। इस बुरी प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये और मैं चाहता हूं कि दफा १०९ बिलकुल निकाल देनी चाहिये। गरीबों के लिये तो यह बिलकुल काला कानून है। पुलिस के अधिकारों में कमी करनी चाहिये। होता यह है कि इस जमाने में भी पुलिस को बराबर अधिकार मिलते जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि २० साल में कांग्रेसी राज्य में क्या हुआ। जो कुछ हुआ वह सबने देखा। मैं जिस जगह से चुनकर आया हूं, वहां सितम्बर सन् ६४ में नदी के किनारे मन्ना कोदा गांव में केवल पुलिस पदक पाने के लिये या कोई ऊंचा दर्जा पाने के लिये डी० एस० पी० श्री राय ने, जो किसी मंत्री के रिश्तेदार होते थे, बेगुनाह लोगों को, जिनकी न कभी निगरानी हुई और न कभी उन पर मुकदमा चला, घर से बुलाकर, जबरदस्ती अपनी कार में ले जाकर, नदी के किनारे, उनके आंखों पर पट्टी बांधकर उनको गोली मार दी और यह दिखला दिया कि पुलिस और डाकुओं की मुठभेड़ हो गई। जनता ने बहुत विरोध किया और बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उस समय के शासन में कोई सुनवाई नहीं हुई। सी० आई० डी० को मामला दिया गया और पता नहीं कि उसमें क्या हो रहा है। अभी हमारे यहां बेला थाने में एक गिरोह पकड़ा गया। इस तरह से आम तौर से पुलिस झूठे गिरोहों को पकड़ती है और मेरा तो विश्वास है कि अगर किसी इलाके में कोई डकैती होती है तो उसमें पुलिस का हाथ अवश्य होता है। पुलिस रिश्वत लेने के लिये १०७, ११७ खुद पैदा करती है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि झगड़ों में राजनीतिक दलबन्दी का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस राजनैतिक लोगों की बहुत आड़ लेती है, लेकिन वह अपना पैसा पैदा करने के लिये आम तौर से लोगों में गुटबन्दी पैदा कराता है और कभी इधर से पैसा ले लिया और कभी उधर से ले लिया। अगर सरकार चाहती है कि गांवों में कुछ सुधार हो, तो गांव की पुलिस को गांव पंचायत के सुपुर्द कर दिया जाय, क्षेत्र स्तर को पुलिस को क्षेत्र के और जिला स्तर की पुलिस को जिला परिषद् के सुपुर्द कर दिया जाय। इससे पुलिस प्रशासन में बहुत बड़ा सुधार होगा।

आज पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि अगर माननीय मंत्री कोई आदेश करते हैं तो महीनों तक उसका पालन नहीं होता है। लगभग २ महीने हो गये, मैंने माननीय मंत्री जी से एक काम के लिये कहा था। दसियों बार पुलिस को रिमाइंड कराया गया, लेकिन आज तक वह पुलिस की फाइल नहीं मंगा सके हैं। सब विभागों में परिवर्तन हुआ। माननीय चौधरी चरण सिंह जी की सरकार जब से आई हर विभाग में परिवर्तन और सुधार नजर आया, लेकिन पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। संयुक्त विधायक दल की सरकार ने जो मान्यतायें दी हैं, जैसे अभी कालागढ़ में पुलिस ने अत्याचार किये, मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कौन सी बुरी बात है कि निष्पक्ष जांच कराई जाय? नियुक्त कीजिये किसी जज को जो कि उसकी जांच करे और जिन्होंने अन्याय किया है उन्हें सजा मिले। बनारस में गोलीकांड हुआ। जब हमारी सरकार नहीं थी हम बराबर यह मांग करते थे और हमारी पार्टी सदा इस बात के लिये लड़ती रही कि प्रत्येक गोली-कांड की जांच जज के द्वारा करायी जाय, लेकिन आज अपनी सरकार से हम इस बात की मांग नहीं कर सकते हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि बनारस गोली कांड की निष्पक्ष जांच करायी जाय।

कहा गया कि जहां भी डकैती होती है पुलिस तुरन्त पहुंच जाती है। मेरे ही क्षेत्र में रामनगर एक गांव है वहां डकैती हुई, एक आदमी मारा भी गया लेकिन वहां पुलिस २४ घंटे में पहुंची। मैंने डिप्टी एस० पी० से कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि दरोगा को आज्ञा दी थी लेकिन वह दूसरे क्षेत्र में चले गये हैं। इसके अलावा आज भी पुलिस में बदले की भावना मौजूद है। मन्नाकोला कांड का बदला आज भी पुलिस ले रही है। कांग्रेस के राज्य में तो हमारी हिम्मत पुलिस के बारे में कुछ कहने की होती ही नहीं थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह के जमाने में पुलिस का खतरा और भी बढ़ गया है। पुलिस और भी ज्यादा निरंकुश हो गयी है। पुलिस गांवों से निरपराध लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ झूठे मुकदमे

दायर करती है। अगर हम लोग कोई शिकायत भी करते हैं तो अफसर लोग उन्हीं के पास इंक्वायरी के लिय भेज देते हैं और बाद में पुलिस उनसे कहीं न कहीं बदला लेने को कोशिश करती है। इसलिये मैं पुलिस मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह पुलिस पर जरा सख्ती करें। सब बड़े बड़े आफिसरों के तबादले कर दिये जायं। यहां से हुक्म जारी होता है लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई परवाह नहीं करते। दफा ११७ और १५१ में लोगों के झूठे चालान कर दिये जाते हैं। उनको दुतरफा बन्द कर दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं की जाती है। थाने में जो रिपोर्ट लिखायी जाती है वह न लिखी जाकर दूसरी लिख दी जाती है और बेपढ़े लिखे लोगों से उस पर निशानी करा ली जाती है। अगर फिर दूसरी रिपोर्ट लिखायी जाती है तो कहा जाता है कि इससे मामला खराब हो जायगा, अदालत से छूट जायगा। अभी कड़ा गांव में चोरी हुई। मैं कप्तान पुलिस से २ बार मिला, लेकिन आज तक कोई भी वहां पर इंक्वायरी करने के लिये नहीं गया। मैं सोचता था कि कांग्रेस का २० साल का प्रशासन ही खराब था, लेकिन ढाई तीन महीने के प्रशासन में हम एक इंक्वायरी भी न करा सके। आज पुलिस का प्रशासन निरंकुश हो गया है। हम इस विभाग का पहले भी विरोध करते थे, इसकी आलोचना करते थे लेकिन इस संयुक्त विधायक दल की सरकार पर जनता विश्वास करती है। इसलिये आपको ऐसा कार्य करना चाहिये कि पुलिस पर कुछ अंकुश रखा जा सके। पुलिस के अधिकारों में कमी की जाय, उसको समझाया जाय कि वह जनता की सेवक है, शासक नहीं है। लेकिन दरोगा और थानेदार लोग सब समझते हैं कि वे जनता के हाकिम हैं। उनकी जनता पर आतंक जमाने की मनोवृत्ति आज भी नहीं गयी है। लोकप्रिय सरकार की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि इस आतंकवादी रवैये को समाप्त किया जाय और सेवा की भावना को बढ़ाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं फिर आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जब संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी तो इस सरकार ने एक अपने १९ सूत्री कार्यक्रम की घोषणा सदन में की थी और देहाती क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया था। आज ढाई तीन मास बाद जब उस के हिसाब-किताब का लेखा जोखा हो रहा है, यह बहस हो रही है और अब हम इस बजट पर विचार कर रहे हैं तो यह अहसास होता है कि इस सरकार ने जिस तरह से हमारे हाथ व्यवहार किया है और जैसा आज भी पुलिस कांस्टेबिल, चौकीदार और दारोगा हमारे और ग्राम की जनता के साथ व्यवहार करता है, उससे हमें कोई संतोष नहीं होता। इस देश में हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की ७५ प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। हमें गहराई से विचार करके इस बात को सोचना चाहिये कि हमने उस गरीब देहात की जनता के लिये क्या किया है और आज जनता को हमारे पुलिस प्रशासन से कहां तक राहत मिली है और क्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंची है जहां ५-५ और ६-६ मास तक पुलिस का सिपाही या चौकीदार नहीं पहुंचता ? मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां का आधा भाग तराई में है और जहां पर ऐसे ब्लाक हैं जहां पर एक भी मील पक्की सड़क नहीं है। जब सूखा होता है तो बहराइच में तीन-तीन बार बाढ़ आती है, वहां के गरीब किसान हैं जिन्हें भर पेट रोटी नहीं मिलती, नंगी भूखी जहां की जनता है। इस सरकार को सोचना चाहिये कि जिस इलाके के लोगों को हम रोटी नहीं दे रहे हैं, जिन के स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था नहीं है, जहां के लिये हम सड़क नहीं दे पाये हैं तो कम से कम उन की सुरक्षा की तो जिम्मेदारी हमें लेनी ही चाहिये। हमें दुख है कि इतना भी यह सरकार नहीं कर पाती है। न जान की सुरक्षा है, न महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा है, मनमानी चोरियां और डकैतियां होती हैं। गांवों में इस तरह के गिरोहबन्द लोग रहते हैं कि जो कुर्बीजवार के लोगों को आज भी आतंकित किये हुये हैं, उन गरीबों को परेशान किये रहते हैं, आज भी वहां वही मुसीबत है जो ब्रिटिश जमाने में थी और कांग्रेस हुकूमत में भी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरजाशं र]

जब यह शासन आया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली तो उन्होंने एलान किया था कि अब किसान का बेटा मुख्य मंत्री हुआ है और मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि किसान का बेटा उसी तरह से मुख्य मंत्री हुआ है, जिस तरह से कुल्हाड़ी का बेंट अपनी ही जाति की लकड़ी को काटने में मदद करता है। किसानों की तरफ जैसा ध्यान दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया। किसान के साथ आज क्या व्यवहार हो रहा है ? जिस गांव के चौकीदार को आप आज भी ५ रुपया वेतन देते हैं, हमें सोचना चाहिये कि आज के जमाने में उसको ५ रुपया देकर हम उससे किसी अच्छे प्रशासन की आशा कर सकते हैं। उनको थाने बुलाया जाता है और उनसे दो चार दिन काम लिया जाता है। वह कैसे ५ रुपये में सही काम कर सकते हैं ? हमारे संयुक्त विधायक दल की सरकार को चाहिये कि वह इन चौकीदारों का वेतन बढ़ाये और केवल ऐसे चौकीदारों की नियुक्ति की जाय जो पढ़े लिखे हों,जो अपने समाज के कर्तव्यों को पूरा करें और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिये सहयोगी हों। हमें ऐसे चौकीदारों को हटाना चाहिये जो व्यक्ति गुटबन्दी में सहायक होते हैं या जो गांवों में पुलिस से सांठ गांठ करके चोरियां और डकैतियां करवाते हैं या जिनका काम ही यह होता है कि वे बाहर के लोगों से मिलकर खेतों को कटवाते हैं और उनकी रिपोर्ट भी थानों में नहीं करते हैं। श्रीमन्, मेरा तो यह अनुमान है कि या तो वे दबाये हुए होते हैं या ऐसे कामों में दारोगा हिस्सा लेते हैं। चोरियां गांवों में होती हैं लेकिन थानों में न रिपोर्ट लिखी जाती है और न इनका कोई लेखा जोखा ही रखा जाता है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अगर हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार गांवों के लोगों को कुछ राहत देना चाहती है, तो उसको चाहिये कि वह अपने एस० पी० के द्वारा या और किसी अधिकारी के जरिये से गांवों का सर्वे कराये और जहां पर चोरियों और डकैतियों के वाकयात होते हैं, जो उस गांव के लिए कलंक हैं, उस थाने के दारोगा और उस गांव के चौकीदार को तुरन्त हटाना चाहिये औ उनके स्थान पर अच्छे चौकीदार, जिसका वेतन भी बढ़ाना चाहिये, और अच्छे दारोगा को थाने में नियुक्त करना चाहिये।

जहां तक कांस्टेबिलों का संबंध है, मैं देखता हूं कि एक एक कांस्टेबिल के पास २०-२० या २५-२५ मील का रकबा होता है। श्रीमन्, मैं तो ऐसे इलाके में रहता हूं कि जहां पर ५–६ महीनों में थानेदार नहीं पहुंच पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इतने बड़े इलाके के लिये एक कांस्टेबिल काफी होता है ? आज हमारे गांवों में कांस्टेबिलों का बड़ा आतंक होता है। हमारी तरफ जहां पर डकैतियां हुयी हैं, वहां पर देखा गया है कि ये बाहर के लोगों की सांठगांठ से हुयी हैं। कुछ आदमी गांवों में मौजूद रहते हैं और उन्हीं के जरिये से बाहर के लोग आते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तो हमारे क्षेत्र में डकैतियां या चोरियां होती हैं, वे बाहर के लोग करते हैं और इनकी जानकारी कांस्टेबिलों को होती है, उन कांस्टेबिलों के जरिये दारोगा को होती है और इन दारोगाओं के जरिये कप्तान को होती है और उसमें उनका भी हिस्सा और पैसा मिलता है। मेरा सुझाव है कि वे कांस्टेबिल जो गांवों में जाकर पड़ जाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।

अभी जो पुलिस की रिपोर्ट पढ़ी गयी, उससे स्पष्ट है कि आज जो कत्ल होते हैं, पार्टीबन्दी के कारण होते हैं। माना कि वे राजनीतिक दलों के कारण होते हैं, परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हो सकता है और ऐसा है लेकिन ये ही कांस्टेबिल, ये ही दारोगा गांव वालों को भड़का कर या उनको प्रोत्साहन देकर ऐसे काम करवाते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते है। वे ऐसे अपराध कर बैठते हैं कि उनके पूरे के पूरे ऐसे परिवार तबाह हो जाते हैं। अन्त में मुझे यही निवेदन करना है कि थानों में सी० आई० डी० के जरिये या अन्य साधन से, जो भी सरकार उचित समझे, इसकी जांच करायी जाये कि लोगों की रिपोर्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सही लिखी जाती हैं या नहीं, और अगर सरकार उचित समझे तो थानों के बाहर ऐसी पेटियां रखनी चाहिये जिसमें जनता, अगर किसी की रिपोर्ट न लिखी जाय, अपनी शिकायत लिख कर डाल दे। इससे जनता को जो परेशानी होती है वह दूर हो जायगी और गरीब को सही और सस्ता न्याय मिल सकेगा जब कि हमारा ध्येय है कि सबको न्याय सस्ता और जल्दी मिलना चाहिये।

हमारे क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं, जिनमें असलहा का कोई प्रबन्ध नहीं है। ऐसे आदमी हैं जो बन्दूक नहीं खरीद सकते। इसलिये ऐसे गांव में ग्राम प्रधानों को या ऐसे आदमियों को जिनका चाल चलन अच्छा हो, अगर उनके सामने आर्थिक कठिनाई है, यह अधिकार दिया जाय कि गांव समाज के पैसे से बन्दूक खरीद सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुशीलकुमार विद्यार्थी (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं अनुदान का समर्थन करता हूं; लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं स्वयं, जहां तक मुझे पुलिस कर्मचारियों का अनुभव है, उससे बहुत असंतुष्ट हूं। जैसा एक पूर्व वक्ता ने कहा, अभी तक पुलिस की मनोवृत्ति में कोई अन्तर नहीं आया है। आजाद होने के पहले, ब्रिटिश सरकार के जमाने में जो उनकी मनोवृत्ति थी, जो उनमें अमानुषिकता थी, क्रूरता और वैमनस्य की भावना थी शायद उसमें अब भी कोई कमी नहीं हुई है और मैं आशा करता हूं कि समय के परिवर्तन के साथ, सरकार के परिवर्तन के साथ पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगी और जो उसकी ड्यूटीज हैं, दायित्व सरकार और प्रदेश की जनता के प्रति है, अब वह भविष्य में उसकी अवहेलना बिलकुल नहीं कर पायेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है कि पुलिस के ऊपर कुछ अंकुश रखा जाय और केवल आज्ञायें देने से या पुलिस मैनुअल या रेगुलेशन्स में चेंज करके उन आदेशों का पालन नहीं हो सकेगा। इसलिये आवश्यक हो गया है कि जो आदेश दिये जायें उनका पालन भी अक्षरशः कराने का प्रयास किया जाय।

अभी बहुत सी बातें पुलिस के संबंध में कही गयी हैं, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल दो, तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह यह है कि यदि पुलिस की मनोवृत्ति में कोई अन्तर यह सरकार ला सके तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो कटु आलोचना पुलिस के बारे में की गयी है वह सब खत्म हो जायगी और इस बात की सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपने जीवन को संयमशील बनायें, अपने कार्य कलाप से नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्यशील होने के प्रति प्रेरित करें। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का आज भी वही रवैया है, वही रहन सहन है और वही नौकरशाही कार्य प्रणाली है और इसी कारण नीचे के अधिकारी निश्चिन्त होकर मनमानी करते हैं। प्रतापगढ़ जिले के एक सब इन्स्पेक्टर की एक वकील साहब ने कमिश्नर के पास शिकायत की तो वह आरोप पत्र उसी सब इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया। आप स्वयं सोचें कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की जाय वही स्वयं उसकी जांच करे। इस पद्धति को बदलना होगा। अगर नहीं बदल सकेंगे तो फिर पुलिस के कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन और प्रगति नहीं हो सकेगी।

पुलिस के अधिकारी चाहे जिस श्रेणी के हों एक ही भावना से काम करते हैं कि जो भी आदमी उनके सामने पेश किया जाता है कि वह अपराधी अवश्य है। उनके बातचीत करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुशील कुमार विद्यार्थी]

तथा व्यवहार करने का ढंग इतना अनादरपूर्ण तथा अपमानजनक होता है कि सामान्य नागरिकों की उनसे बातचीत करने की हिम्मत तक नहीं पड़ती। आप को स्वयं अनुभव होगा कि थाने पर जाने से कोई भी भला आदमी हिचकता है। इतने अविश्वास का वातावरण पुलिस के प्रति जनसाधारण में उत्पन्न हो गया है कि किसी भी प्रकार से उसकी ईमानदारी अथवा निष्ठा पर विश्वास ही नहीं रह गया है। यही कारण है कि मुमकिन है कुछ पुलिस के अधिकारी निष्ठा से, ईमानदारी से कार्य करते होंगे, करना चाहते होंगे लेकिन वातावरण इतना दूषित हो गया है कि मौजूदा सेटअप में यह संभव नहीं है कि पुलिस तथा जनता के बीच में कोई समझदारी तथा विश्वास का वातावरण पैदा हो सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मेरा विश्वास है कि पुलिस की कार्य प्रणाली में, उसके रवैये में सुधार होना संभव नहीं होगा। पुलिस के हर विभाग में, चाहे जी० आर० पी० हो अथवा पी० ए० सी० हो उसमें यही भावना है।

इसके अलावा पुलिस के हर सामान्य कर्मचारी अथवा अधिकारी में मैंने कार्य के प्रति अवहेलना की भावना देखी है। वही पुराने घिसेपिटे ढंग से खाना पूरी करने की वे कोशिश करते हैं। अपनी फाइलों का पेट भरते हैं और अपनी जेबें भरते हैं और वही पुराने ढंग से काम करेंगे। अभी थोड़े दिन हुये एक बाजार लग रहा था और सभी अधिकारी वहां पर आये हुये थे, लेकिन पुलिस वालों ने अवैध रूप से बाजार वालों से पैसा लिया। किसी दूकानदार से सामान लिया और रिक्शा और तांगों पर सवारी करना और उनको पैसे न देना, यह तो मैं समझता हूं वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही समझते हैं। तो जो आलोचनायें की गयी हैं उनमें से बहुत सी सत्य हैं। लेकिन इन सबका एक ही इलाज है कि अगर हम पुलिस कर्मचारियों की मनोवृत्ति को बदल सकें और उनमें अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करें तो इन सब आलोचनाओं का निराकरण हो जायगा और वह भारत के नागरिक होने के नाते अपने दायित्व को समझेंगे। अभी तो वह समझते हैं कि केवल खानापूरी करके ही महीने की तनख्वाह लेकर और अवैध तरीके से रुपया लेने के हकदार हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री सुशील कुमार विद्यार्थी--

इन चन्द शब्दों के साथ मैं जो आज मांग प्रस्तुत हुई है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री राज बहादुर (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आज सदन में जो पुलिस विभाग के बजट पर चर्चा चल रही है, मुझे अवसर दिया कि उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करूं। यों तो आज कई दिन से सदन में बजट के ऊपर सामान्य चर्चा और ब्योरेवार बजट पर विचार विनिमय हो रहा है पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त किये हैं। मैंने सदन में हुई उन सारी चर्चाओं को बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास किया, जिसमें माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार से एवं विद्वतापूर्ण ढंग से तर्कमय शक्ति से सारे के सारे विचार प्रकट किये हैं। श्रीमन, उनका अपना अपना स्थान है। कुछ सदस्यों ने बीस साल की कांग्रेस सरकार की बात कही और बड़ी आलोचना के ढंग से, जो उनका अपना तरीका है और कहा जा सकता है वही उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि से बात कही है कि बीस साल में क्या हुआ? सारे का सारा दोष उस बीस साल की व्याख्या ही करने में समाप्त कर दिया गया। सोचने की बात यह है कि बीस साल पहले हम किस स्थिति में और कहां थे? हमारे देश, प्रदेश, हमारे अंचल और हमारे ग्रामों की क्या स्थिति थी? क्या यह सच नहीं है कि इन बीस वर्षों में हमने जो लम्बी कमी थी,

उसको दूर नहीं किया ? अगर यह देखा जाय तो ऐसा लगेगा कि हमने बहुत सी कमियां दूर की हैं। कमियां अब भी हैं, यह भी सत्य है। लेकिन आलोचना और प्रत्यालोचना का विषय तो वही है जो ठीक तरीके से मार्ग का प्रदर्शन करते हुये ऐसा मार्ग प्रशस्त करता चले जिसमें जनसाधारण एवं विशेषज्ञों को ऐसा जाज्वल्यमान प्रकाश मिले जिससे तिमिर रूपी अन्धकार विनष्ट हो जाय।

मैं अब पुलिस बजट की ओर आता हूं। मुझे इसमें विशेष रूप से कुछ बातें आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करनी हैं। यों तो प्रत्येक शासन और प्रत्येक युग के शासन में पुलिस का अपना गौरवमय स्थान होता है, किन्तु उस गौरवमय स्थान की परिभाषा सीमित है और उस सीमित परिभाषा के अन्तर्गत शासन के उन माननीय मंत्रियों व अन्य सहयोगियों को सोचना होता है कि क्या गौरवमय कार्य उनके विभागों और उनकी सरकारों द्वारा सम्पादित हुए हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो यह समझना होगा उस सरकार को और उस सरकार के अन्य सहयोगियों को कि वे हैं कहां पर। मिसाल के तौर पर मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। पुलिस जन साधारण के जीवन की रक्षा की व्यवस्था करती है। सुरक्षा का प्रश्न उसके कंधे के ऊपर है जिसका निर्वहन करना संबंधित सरकार का दायित्व हो जाता है। आज क्या स्थिति है शांति व सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? एक उदाहरण आप ले लीजिये। आज जन साधारण की जो सुरक्षा है वह अरक्षा में बदल गयी है। आंकड़े तो इतने प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनका एक लम्बा व्योरा हो जायगा एक लम्बी कहानी हो जायगी, लेकिन मैं सदन का सारा समय उन आंकड़ों में न ले जाकर उस मार्ग की ओर ले जाऊंगा जो तथ्यों से ओतप्रोत हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सुरक्षा की बात है, वह सफल नहीं हो सकी।

उदाहरण के तौर पर ग्राम रक्षा की जो बात है, उसमें शस्त्र का एक अपना स्थान है। लेकिन आज एक औजार से वह व्यक्ति समाज में वंचित हो जाता है जिसके पास वह होना चाहिये। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि सज्जन आदमी उतनी दौड़ धूप पसंद नहीं करता। जिन भ्रष्ट तरीकों से, जिनके माध्यम से वह लाइसेंस प्राप्त होता है उन्हें वह पसंद नहीं करता है, फिर उसे यह लाइसेंस कैसे मिल जाय ? आप बड़े जनप्रिय अपने को बतलाते हैं, जिस दिन आप लोगों की सरकार बनाने की बात थी, ऐसा मालूम होता था कि सारा स्वर्ग यहीं उतर आयेगा। क्या यह कल्पना नहीं थी ? अभी तक जितनी बातें कही गयीं हैं हमारे माननीय मंत्रियों द्वारा व अन्य वक्ताओं द्वारा, हमारे मंत्रीगण ने बड़ी बड़ी बातें कहीं। लेकिन एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं निकला जिसने उनकी प्रशंसा की हो। एक ने आज जो बात कही, दूसरे ने दूसरे ही दिन उसका खंडन कर दिया। मैं देख रहा हूं कि किसी ने भी पुलिस की प्रशंसा नहीं की। अगर इनको कोई प्रगतिशील कार्य करने थे तो काम करने वाले के लिये तीन महीना भी कोई कम नहीं है। २० वर्ष में २४० महीने होते हैं और उसका अस्सीवां अंश ३ महीना होता है। इस तरह से अस्सीवां अंश भी काम इस बीच में इनके द्वारा नहीं हुआ है। वे केवल एक ही बात कर देते कि एक आदेश कर देते कि प्रत्येक गांव वाला जो अपनी बन्दूक खरीद ले वह एस०पी० या कलेक्टर से अपनी लाइसेंस ले जाय लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। आज स्थिति यह है कि लोगों को लाइसेंस के लिये आने जाने में ही समय व पैसे का काफी खर्चा होता है, लोगों को पता नहीं रहता कि जांच का क्या परिणाम होगा। समाज के ऐसे तत्व जो चोर व डाकू हैं, उनके पास तो हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का होना सुलभ है, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिये उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, वे उनको प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। आप के ये कार्यकलाप हैं। तो कहां गयी आप की वह जन मानस की इच्छा की पूर्ति करना, कहां गयी आपकी वह बात जिसके ऊपर आप दावा करते हैं कि आप जन-प्रिय सरकार हैं ? श्रीमन्, पुलिस संगठन को सुचारु रूप से चलाने के लिये कुछ मौलिक बातों

[श्री राज बहादुर]

की आवश्यकता होती है। माननीय सैटिन जी बता रहे थे कि वे पुलिस लाइन देखने गये और वहां वे महिलाओं के काम से बड़े प्रभावित हुये। पिछली बार मुझे भी नैपाल की तरफ जाने का मौका मिला। गौरी घाट कंटा नाम का एक स्टेशन है। जहां से नैपाल की हद शुरू हो जाती है। वहां एक पुलिस चेक पोस्ट है। उसका सिपाही किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, उसको मंत्री जी देखने की कृपा करें। वह झोपड़ी के नीचे रह रहा है। राइफल की भी ठीक तरह से रखने की व्यवस्था नहीं है। खाने को क्या खाता है कुछ पता नहीं। इसको देखने की जरूरत है। यह जो विभाग सरकार को चलाने के बड़े हिमायती हैं वह क्या नहीं सोच पाते कि हमारे पड़ोसीवर्ती क्षेत्र के पास जो हमारा कर्मचारी रहता है वह किन हालतों में रहता है? पुलिस विभाग दो भागों में बंटा हुआ है। एक तो पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की वे कठिनाइयां हैं जिनको शासन क. दूर करना चाहिये। दूसरे वह जो विशेष परिस्थितियों में अपनी मनमानी करके जनता को दुखी करते हैं, जनता को त्रस्त करते हैं ये सारी की सारी बातें हैं। भला सोचिये इस तरह से यह विभाग किस तरह से अपना काम पूरा कर सकेगा। कैसे हम आशा करें कि आप शासन में कोई सुधार ला सकेंगे या पुलिस के राज में कोई जन सेवा हो सकेगी? यह तो एक कल्पना है।

श्रीमन्, बजट प्रत्येक वर्ष आता है और सरकार का कार्य होता है कि वह ब्योरेवार बजट को सदन के सामने रखे और पास कराने के याद चुप रहे। सदन में जो चर्चा हो उसको सुनता रहे। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मैं थोड़ा और कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट का और समय दिया जाता है।

श्री राजबहादुर—

५ मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

असम्भव है।

श्री राजबहादुर—

अच्छी बात है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि गांव वाले गांव प्रधान को अपनी रिपोर्ट लिखा दें और वहां से वह थाने चली जाय और उस पर आवश्यक कार्यवाही हो जाये? थाने में जाने की क्या जरूरत है? इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। राजकीय आदेश हैं कि जो बोले वह रिपोर्ट लिखी जाय। इस तरह से होने में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रह सकती है। इसी तरीके से कोई दरख्वास्त दी गई पुलिस के खिलाफ तो उसे उसी थाने के अधिकारी के सुपुर्द कर दी जाती है। अब सी०आई० खत्म कर दिये गये हैं, एस०ओ० से सीधा सम्बन्ध डी० एस० पी० से हो जाता है। उसी के पास जांच आ जाती है जब कि एस०पी० के पास जानी चाहिये थी। दूसरे शिकायतों में एक लम्बी अवधि हो जाती है जिससे शिकायत करने वाला हतोत्साह हो जाता है और जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है वह उसको परेशान करते हैं और शिकायत को दबा देते हैं और सुलह कर लेते हैं। ऐसे मामलों में आप निर्णय कर सकते थे। अन्य मामले जिनमें सुलह नहीं हो सकती वैसे ही मामलों में शिकायत हो तो उसमें सुलह नहीं हो सकती। जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, वह मौजूद हैं वह भी देखेंगे यह कैसे हो रहा है। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ इस पुलिस की ज. अयोग्यता और तरीके चल रहे हैं, जिनके कारण सरकार असफल रही है उन क. ओर ध्यान दिलाते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की परिपाटी रही है कि जो लोग कटौती का प्रस्ताव देते हैं, उनको बोलने का समय अवश्य दिया जाता है। मेरी कटौती का प्रस्ताव निरन्तर रहता रहा, लेकिन किसी दिन भी बोलने का समय नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अवसर देने का प्रयास किया जायगा। आप पुराने सदस्य हैं, सब जानते हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो विरोधी दल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किस लिए विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं? बीस वर्ष का कांग्रेसी कोढ़ तो समाप्त हुआ परन्तु अभी १७० वर्षों की बीमारी का हमें इलाज ढूंढ़ना है। इसीलिए बड़े दुरुह कार्य का भार संयुक्त विधायक दल की सरकार पर आया है। उसके लिए बहुत ही ताकत और ईमानदारी की आवश्यकता है और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाने की भी आवश्यकता है। जो पुलिस जनता की रक्षा के लिए संगठित हुई, वह भक्षक क्यों बन गयी? इसका कारण ढूंढ़ना होगा। यह ऐसा रोग है जिसका इलाज साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता। आज पुलिस, गुंडे, बड़े आदमी, इनका एक त्रिकोण बन गया है। पिछले बीस वर्षों में इस त्रिकोण को मजबूत करने की ही कोशिश हुई है। पिछले बीस वर्षों की जब हम बात करते हैं तो विरोधी दल के लोग हम पर आक्षेप करते हैं कि हम बीस वर्षों की बात क्यों करते हैं। अगर भूत की अनुभूति न हो, वर्तमान के बारे में ज्ञान हो और भविष्य की कल्पना न हो तो कोई नया काम हम नहीं कर सकते। मथुरा के आचार्य जी इस समय नहीं हैं, हम लोग बीस वर्ष का बार-बार झुनझुना बजाते हैं, वह इसलिए कि झुनझुने से आप के साथ प्रेम का व्यवहार हो जाय, बाहर जो आपने लाखों करोड़ों जनता के साथ अन्याय किया है, उसके लिये आप को पत्थरों का सामना न करना पड़े। कांग्रेस पार्टी के लोगों को हमारा इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। इधर से जितने भी सदस्य खड़े हुये, उन्होंने इस बात को छिपाने की कोशिश की कि सरकार की जहां तक नीति का प्रश्न है, इस देश को नये रास्ते पर ले जाने का सवाल है उसमें हम किसी भी प्रकार विचार व्यक्त करने में कोताही नहीं करते। लेकिन पिछले वर्षों में कांग्रेस ने नीति के मामलों को तो छिपाया और व्यक्तिगत मामलों को उभारा है, जैसे चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मन्त्री बनें या कमलापति त्रिपाठी बनें। संयुक्त विधायक दल की सरकार बनने के बाद आज हम सबूत दे रहे हैं कि जहां तक नीतियों का मामला है हम अपनी सरकार के सामने भी अपना स्पष्ट मत व्यक्त कर दे रहे हैं। हमें विश्वास है अपने मुख्य मन्त्री पर, विश्वास है संयुक्त विधायक दल के मंत्रिमंडल पर, विश्वास है हमें अपने पर तथा हमें जो दुरूह कार्य करना है आपके पापों का जो फल हमें भुगतना पड़ रहा है और जो काम हमने अपने कंधों पर लिये हैं, हमें विश्वास है कि उन सब को करने में हम सफल होंगे। गुंडे, पुलिस और बड़े आदमियों का जो त्रिकोण बना हुआ है, उसको तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, यह तो बहुत कठिन व बड़ा काम है। पुलिस के बारे में तो यह कहा गया है। मान्यवर, १८५७ का स्वतन्त्रता संग्राम जब समाप्त हुआ, जिसको अंग्रेजों ने सिपाही म्युटिनी कहा था, उस संबंध में एक अंग्रेज अफसर विलियम एडिनबरा ने कहा था जिसे मैं अंग्रेजी में न कह कर हिन्दी में कहूंगा, कि एक सिपाही को अपने अफसर से ज्यादा डरना चाहिये बनिस्बत अपने शत्रु के। और यह बुनियाद डाल दी गयी है श्रीमन्, चाहे पुलिस का प्रशासन हो या अन्य कोई प्रशासन हो। यही कारण है कि पिछले २० वर्ष में उसी लीक पर चलकर हमने पुलिस प्रशासन को और ज्यादा बर्बाद कर दिया। जो थानों पर आज होता है, उसका मैं भुक्तभोगी हूं, लेकिन मैंने तो २० वर्ष इसे भुगता है। एक बार एक मीटिंग थी मान्यवर, मैं उससे वापस आ रहा था। सुचेता जी की सरकार थी। मीटिंग के स्थान से चल कर एक जगह मेरी बस रुकी,

[श्री मधुकर दिघे]

बस में ४ आदमी थे और ४ आदमियों के होते हुये, वहां पुलिस के होते हुये मुझे बस में से खींच कर मारा गया ....

श्री मंगला प्रसाद तिवारी—

किस नेता ने कहा था कि शत्रु का ध्यान कम करो अपने अफसर का ज्यादा ध्यान रखो ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये बीच में इस तरह से व्यवस्था के प्रश्न ही उठाये जा सकते हैं अन्यथा नहीं। जब एक सदस्य बोल रहे हों तो उसे सुनते रहें।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि पुलिस, बदमाशों और बड़े आदमियों का किस तरह से त्रिकोण बनता है, उसका अनुभव मुझे स्वयं है। मैं बस में बैठा रहा, गुंडे आते हैं, मुझसे पूंछते हैं कि आप किसी सभा में गये थे। मैं जवाब देता हूं कि मैं गया था और इस पर मुझे बस में से खींच कर मारा जाता है। पुलिस वहां पर खड़ी ताकती रहती है, बड़े आदमी बन्दूक लिये तमाशा देखा करते हैं, वहां पर खड़ी जनता बेबस देखती रहती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। श्रीमन्, मैं अपने जिले में इतना असर तो अवश्य रखता हूं कि २०–२२ आदमियों से हर समय सरोकार रखता हूं। पिछले २०–२२ वर्षों से लगातार चाहे वह राजनैतिक कार्यकर्त्ता हो, चाहे साधारण आदमी हो, उसकी जिन्दगी की कीमत घटा दी गयी और पुलिस थानों पर एक त्रिकोण बना कर वहां पर बैठा दिया गया। मान्यवर, उसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। मैं एक बात माननीय पुलिस मंत्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं। अभी प्रतापगढ़ जिले में एक अजीबोगरीब घटना हुई है। १६ तारीख को हमारी पार्टी के एक कार्यकर्त्ता बुद्धराम, जो लगातार किसानों और मजदूरों के आन्दोलनों में पुलिस और बदमाशों का विरोध करते रहे हैं, और जो बड़े आदमियों का विरोध करते रहे हैं, उनके वहां के एक बड़े आदमी गफ्फार खां ने रात को जाकर जब बुद्धराम अपने बच्चों को लेकर सो रहा था गोली मार दी। गफ्फार खां जो एक बहुत धनी व्यक्ति है जिसको कांग्रेस राज्य में बहुत से परमिट्स मिले हैं मोटर चलाने और जिसके पास काफी धन है, जो अपने को कांग्रेसी भी कहते हैं उसको पुलिस ने ८ दिन तक गिरफ्तार नहीं करवाया। ३०७ का मुकदमा दाखिल हुआ है। जो आदमी गोली खाया था उसको अस्पताल में रखा गया और यही सूचना दी जाती रही ८ दिन तक कि उसकी तबियत ठीक है। आठवें दिन जब यहां से टेलीफोन हुआ तो पता चला सिविल सर्जन की रिपोर्ट से कि उस व्यक्ति की तबियत बहुत खराब है। उसको इस अस्पताल से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता है। लखनऊ से अम्बुलेंस जाती है स्वास्थ्य मंत्री जी की कृपा से, उस आदमी को बलरामपुर अस्पताल में लाया जाता है और वह २३ तारीख को मर जाता है। उसके बाद गफ्फार खां ।जिसके ऊपर ३०२ का मुकदमा चलाया जाना चाहिये था उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, इलाहाबाद में जाकर शहर ए० डी० एम० उसकी जमानत कर लेता है। तो इस तरह से पुलिस, गुंडे और बड़े आदमियों का एक त्रिकोण बना हुआ है। उसका नतीजा है कि हम पर साधारण काम नहीं आ पड़ा है, हमको इस त्रिकोण को तोड़ने के लिये पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि बड़े बड़े मंत्रियों को हथकड़ियां लगानी पड़ें। इन लोगों ने क्या क्या कुकर्म नहीं किये हैं और हमारे जैसे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतमाता की गुलामी की शृंखला तोड़ने के लिये भारतमाता के चरणों में कुछ बलि चढ़ाये हैं उन्हें १०७, ११७, ११९, ३०७, ३२३, और ३३२ न जाने किन किन दफाओं में फंसाया गया। हमारे ऊपर गोलियां चलायी गईं और कांग्रेसी मन्त्रियों ने उन कुकर्मियों को उन हत्यारों को छुड़ाने की कोशिश की और राष्ट्रपति तक सिफारिश की। (व्यवधान) आप लोग क्रोध न करें। हम तो अब इधर आ गये हैं। अब तुम भी जब उन जुल्मों को सहोगे, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो तुमको

भी पता चल जायेगा। (व्यवधान) कि हमने २० वर्षों में कितनी यातनायें भोगी हैं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा प्रयत्न यह है कि जो अनुभव हमने किया है वह अनुभव उत्तर प्रदेश में अब किसी को भी न हो। मान्यवर, अदना से अदना व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित क्यों न हो, उस पर पुलिस के डंडे कभी न बरसें। हम अच्छे कामों के लिये बढ़ना चाहते हैं; उस काम को करने में हमारे मार्ग में मत आओ यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। अत्याचार का विरोध करने वाले राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को पुलिस अलग अलग दफाओं में बन्द करती रही है और यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न की तरफ हम सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि इस बात की तरफ ध्यान ले जाना पड़ रहा है और जिसका जिक्र माननीय तिवारी जी की तरफ से भी हुआ है और वह महत्वपूर्ण बात भी है और जिसका समावेश पता नहीं कैसे हो गया है। हमें ऐसा लगता है कि जिसे लिखा नहीं जाना चाहिये था वह कैसे लिखवाया गया, यह हमारा अपमान है और सभी का अपमान है पुलिस विभाग के कार्य विवरण १९६६ के पृष्ठ २ पर इसमें लिखा गया है कि इसका कारण कुछ अंशों में देहातों में पार्टीबन्दी का होना तथा कुछ अंशों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा तोड़फोड़ करने और कानूनों का उल्लंघन करने की कार्यवाहियों को बढ़ावा देना है। मैं आप का शुक्रगुजार हूं तिवारी जी कि आपने भी मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाया। मैं भी पुरजोर शब्दों में इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता के प्रति इसमें जो दृष्टिकोण रखा गया है, वह अच्छा नहीं था। यह गलत बात हो गई और इस रपट से उसको निकाल देना चाहिये।

मान्यवर, एक जन संपर्क कमेटी बनाई गई थी। अब उसका निर्माण नहीं हुआ है। कांग्रेस राज्य से ही वह चली आती है। वह बेमतलब की बनी हुई है। मैं चाहता हूं उसको बदला जाय और मेरी यह स्पष्ट राय है कि उसको बदलना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक जिले के स्तर पर और प्रान्त के स्तर पर भी एक पब्लिक विजिलेन्स कमेटी के रूप में एक कमेटी बननी चाहिये ताकि जनता के प्रतिनिधियों का और राजनैतिक कार्यकर्ताओं का पुलिस से ज्यादा सम्पर्क बढ़े, न कि गुंडे, बदमाश, बड़े आदमी और पुलिस का त्रिकोण बने। इसलिये मैं, मान्यवर, आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसकी तरफ उनका ध्यान जाय तो बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो पुलिस मन्त्री भी रहे हैं, उन्होंने पुलिस में सुधार करने के सम्बन्ध में स्वयं कई बातें कही हैं। आज पुलिस विभाग उनके पास है। मैं चाहता हूं कि सुधार करने के सम्बन्ध में जो कदम उन्होंने उस समय उठाये थे उसको अब कार्यान्वित करने के लिये हिम्मत से काम करें, करना चाहिये। संयुक्त विधायक दल की सरकार का एक एक विधायक उनके इस काम के लिये, उसमें चाहे कितना ही खतरा मोल लेना क्यों न पड़े, उनके पीछे है और बराबर उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलता रहेगा। हम यह आश्वासन उनको देना चाहते हैं।

अन्त में मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के लिये भी कुछ बातें हमें करना चाहिये। पुलिस के लोगों के लिये वेलफेयर की बातें भी करनी चाहिये। अगर उनको आराम नहीं मिलेगा या उनको कोई शिकायत रहेगी तो हम उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि अपना काम वे ठीक से अंजाम दें। यह उचित ही बात हुई कि उनके लिये टी० बी० अस्पताल खोला गया है। ऐसे कदम और भी उठाने चाहिये। अभी दिल्ली में जो पुलिस का आन्दोलन हुआ था उससे भी हमको सबक लेना चाहिये। पुलिस और जनता का सीधे संपर्क होना चाहिये ताकि पुलिस और जनता में प्रेम बढ़े और दोनों में जो भेद-भाव है वह खतम हो। इसकी हमको कोशिश करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जिस रूप में यह अनुदान पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री श्रीराम बिवारी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस दिन हमारी सरकार बदली थी और इस संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी उसके पूर्व जनसंघ के लोग, जो इस सरकार में शामिल हैं वे कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहते थे और उन्होंने ही स्वयं इस विभाग का भार आज एक कम्युनिस्ट सदस्य के जिम्मे किया हुआ है। मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि इसमें वे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल हैं जो जनसंघ के लोगों को सम्प्रदायवादी प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी कहते थे और आज उन्होंने ही जनसंघ का उप मुख्य मंत्री इस सरकार में बनाया है। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि कांग्रेस सरकार तो जा रही है। लेकिन वह जा रही है कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से ज मुख्य मन्त्री बनने के लिये लालायित थे, मन्त्री बनने के लिये उत्सुक थे। इस लोभ से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा जिसमें वह बराबर २० साल से बने रहे, २० वर्ष के शासन की खामियों के लिए वे लोग अधिक जिम्मेदार हैं जो २० साल बराबर सरकार की कुर्सियों पर रहे। वे अधिक दोषी हैं और अब उन्होंने कुर्सी की वजह से पार्टी को छोड़ा है। हम साधारण कांग्रेसी सदस्य कम दोषी हैं। परन्तु जहां मुझे अपनी सरकार के जाने का विषाद था वहां इस बात का हर्ष था कि संयुक्त विधायक दल की सरकार १९ सूत्री कार्यक्रमों को लागू करेगी और चौधरी चरण सिंह जैसा विचार प्रकट किये थे उससे जनता का हित होगा। हम साधारण कांग्रेसी सदस्य कम दोषी हैं। संयुक्त विधायक दल ने १९ सूत्री कार्यक्रम रखा था और उस दिन चौधरी साहब ने अश्रु पूरित नेत्रों से एक भाषण दिया था। मैं नहीं समझता था कि यह कार्यक्रम हाथी के दांत दिखाने के ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप विषय पर आ जायं तो अच्छा होगा। इस समय पुलिस बजट पर बहस हो रही है।

श्री श्रीराम तिवारी--

मैं पुलिस विभाग पर ही आ रहा हूं। इस विभाग के बारे में कुछ कहने के पूर्व इसका जिक्र करना जरूरी है। संयुक्त विधायक दल ने अपने दसवें कार्यक्रम में यह रखा था कि छात्रों तथा राजनैतिक बंदियों को छोड़ दिया जायगा। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लगान माफ करने व सिंचाई की दरें घटाने में तो आप को वित्तीय दिक्कतें थीं, लेकिन इन राजनैतिक बंदियों को तथा छात्रों को छोड़ने में क्या बाधा थी ? यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जो मंत्री आज उधर कुर्सियों पर बैठे हैं उन्हीं के भड़काने से, उन्हीं के नारों पर इन छात्रों ने इन आन्दोलनों में भाग लिया था, लेकिन आज उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। मेरे जिले की घटना है कि वहां ३६ छात्रों पर मुकदमा कायम है। जिला प्रशासन की एक रिपोर्ट है, शिक्षा प्रशासन की दूसरी रिपोर्ट है। मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन दोनों रिपोर्टों को मंगा कर देख लें कि उसमें दोष किसका है। प्रदेश के भावी नागरिक जिनमें से कुछ नेता होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, उन पर मुकदमें चल रहे हैं और जो वायदा सरकार ने किया था उसे आज तक पूरा नहीं किया गया।

दूसरा कार्यक्रम ११वें नम्बर पर है कि सभी गोलीकांडों की जांच के लिए एक स्थायी आयोग बनाया जायगा। इस सरकार के समय में कालागढ़ और बनारस के गोलीकांड की बे दुर्दांत घटनायें हुई हैं कि जिनके बारे में अनेक सदस्यों ने अपने बिचार प्रकट किये हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि कालागढ़ में पुलिस वालों ने अत्याचार किये हैं और जैसा आचार्य दीपंकर ने कहा, पुलिस वालों ने घड़ियां और रेडियो सेट तक लूटे हैं। बहुत से श्रमिक अभी तक वहां काम पर वापस नहीं आये हैं। पहली सरकार के जमाने में जो गोली कांड बनारस में हुआ था उस के लिये जांच नियुक्त की गयी थी। पर इस बार वहां न्यायिक जांच क्यों नहीं करायी जा रही है ? लखनऊ में मुख्य मंत्री जी के बंगले के सामने महिलाओं

पर अत्याचार हुए हैं और ऐसे अत्याचार किये गये हैं कि जो मुंह से बयान नहीं किये जा सकते; उनको सुन कर शर्म आती है। उन्होंने जलियांवाला बाग तक को मात कर दिया है। एक बाग में मीटिंग हो रही थी और उसमें विदेशी सरकार ने गोली चलायी, लेकिन यहां कोई मीटिंग नहीं थी, कोई वायलेंस नहीं था। महिलाएं अपने पेट के लिए, नौकरी के लिए मुख्य मन्त्री से मिलना चाहती थीं। उन्हें मिलने नहीं दिया गया और जो कुछ किया गया वह सदन के सामने है। न मालूम कितनी महिलाएं घायल हो कर अस्पताल में गयीं, क्या क्या व्यवहार हुआ। यह भी हो सकता था कि वहां फायर ब्रिगेड भेज दिया जाता और अगर वह वायलेंस कर रही थीं और श्री चरण सिंह की सरकार के लिए खतरा थीं तो उन पर पानी डाला जा सकता था, लेकिन उनको जूतों से रौंदा गया। लाठी-चार्ज हुआ या नहीं हुआ, चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं हुआ, हम कहते हैं कि हुआ है, तो क्या आपत्ति थी एक न्यायिक जांच में? यही नहीं, सदन के एक माननीय सदस्य राजबली सिंह के साथ जो घटना घटी है, चाहे वह मुख्य मन्त्री स्वीकार न करें, उप गृहमंत्री स्वीकार न करें, लेकिन इसमें दो राय नहीं हैं कि उनके साथ जो घटना घटी है उसमें पुलिस का हाथ जरूर है। होशियार सिंह की श्यामली थानेमें पुलिस ने हत्या कर डाली। ३० मार्च को माननीय प्रताप सिंह जी ने, जब वह उधर बैठते थे तो कहा था कि यह बड़े शर्म की बात है कि सरकार माननीय सदस्यों के कहने पर विश्वास नहीं करती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में विश्वास करती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रताप सिंह उधर हैं, मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि बार्डर पर चीनी फौजें हैं और मुख्य मन्त्री ने कहा कि बार्डर पर चीनी फौजें नहीं हैं। मुख्य मन्त्री ने निश्चय ही डी० एम० और एस० पी० की रिपोर्ट पर यह कहा। पहले हो सकता है कि किसी माननीय सदस्य की बातों पर डी० एम० को तरजीह दी गई हो लेकिन आज मुख्यमंत्री जी मिनिस्टर की बात पर वरीयता देते हैं एस० पी० और डी एम० को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा कटौती का प्रस्ताव है, मुझे ५ मिनट का समय दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष—

आप का कटौती का प्रस्ताव कृष्णानन्द जी ने पेश कर दिया है। मैंने आप को समय दिया है, आप चाहेंतो २ मिनट और बोल सकते हैं।

श्री श्रीराम तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, इसी नगर में दो दिन पहले कौंसिल के भूतपूर्व सदस्य शंकर राव पर हमला किया गया और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी। अस्पताल में पहले कहा गया कि वे खतरे से बाहर हैं। तो उनकी हत्या की गयी जान-बूझ कर और उसमें ये शामिल रहे। उपाध्यक्ष महोदय, ३३ सूत्री कार्यक्रम में संयुक्त विधायक दल ने कहा है कि आर्म्स ऐक्ट खत्म कर दिया जायगा, लेकिन आज साधारण आदमी को बन्दूक का लाइसेंस नहीं मिलता है, जो रिश्वत देता है उसके फेवर में रिपोर्ट पुलिस करती है, उसी को मिलता है। मेरे जिले में कितने ही बन्दूक के लाइसेंस के केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज स्थिति यह है कि जहां जनसंघ का जोर है वहां जनसंघ हावी है सरकारी कर्मचारियों पर और जहां कम्युनिस्ट पार्टी का जोर है, विधायकों के लिये नहीं कहता, लेकिन दूसरे कार्यकर्ता हावी हैं खाद्य विभाग और पुलिस विभाग पर और उन्हीं को बढ़ावा देते हैं माननीय उपगृह मंत्री और खाद्य मंत्री उन्हीं के कहने पर मीटिंग करने जाते हैं और उपगृहमंत्री उनको लेकर जांच करने जाते हैं न्यायालयों की, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ।

अब मैं आपको दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। मेरे जिले में अजगैन, अचलगंज, और बांगरमऊ, इन तीनों थानों के लिये बिल्डिंग्स की स्वीकृति हो चुकी है, मगर वह अभी तक बनी नहीं हैं। इसी प्रकार अजगैन, हसनगंज तथा असोहा थाने में टेलीफोन की बहुत आवश्यकता है। इस बजट में वहां टेलीफोन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां टेलीफोन लगना चाहिये। जो तीन नये थाने हमारे जिले में खोलने की बात थी, उनके खोलने की ओर भी इस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

[श्री श्रीराम तिवारी]

भ्रष्टाचार की बात कही गयी। एक उप मंत्री जी हैं, उनके लड़के पर डकैती का केस चल रहा था। उनके उप मंत्री बनते ही वह मुकदमा खत्म हो गया। उनके प्रेशर से जुडीशियल आफिसर ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने झूठी चार्जशीट लगायी थी तो आपने एस० पी०, एस० ओ० वगैरह के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? और अगर सही चार्जेज थे तो जुडीशियल आफिसर को उसे सेशन सुपुर्द करना चाहिये था।

निरोधक नजरबन्दी कानून के बारे में पहले यह लोग उसको खत्म करने की दलील दिया करते थे और आज यह जब सरकार में आ गये तो सबसे पहले उन्होंने किस पर इस कानून का इस्तेमाल किया, पी० एन० शुकुल पर जो सरकारी कर्मचारी है, जो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

मैं विरोधी दल की तरफ से प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पुलिस की आलोचना करते हुये माननीय सदस्य ने सारे इलजाम इस सरकार पर लगाने की कोशिश की, मगर मैं बतलाना चाहता हूं कि पुलिस की जो बिगड़ी हुई हालत है यह सुधरेगी, आप घबराइये नहीं, आप भी सुधरेंगे। दिक्कत यह है कि जो व्यवहार आप लोगों ने हमारे साथ किया, वही सुलूक हम आपके साथ नहीं करना चाहते। क्या इसी पुलिस से आपने हम लोगों पर झूठे मुकदमे नहीं चलवाये? जो माहौल आपने अपने समय में इस पुलिस को दिया क्या आप चाहते हैं कि हम उसको २-३ महीने में बदल दें? हम इसको बदलेंगे, हमें समय दीजिये। अभी दो, तीन महीने पहले की ही बात है कि आपके सामने जिस जांच की भी बात की जाती थी आप इनकार कर देते थे, आपसे सच्ची बात कही जाती थी, आप नहीं मानते थ और हमसे आप झूठी बात मनवाना चाहते हैं। जहां तक पुलिस का संबंध है, उसके कुछ तौर तरीकों में खराबी है और वह सुधारी जाने के लिये मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं लेकिन

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

"हम आह भी करते है तो हो जाते हैं बदनाम और वह कत्ल भीकरते हैं तो चर्चा नहीं होती" पिछली दफा राज्य कर्मचारियों का जो ऐजीटेशन सुचेता सरकार में हुआ था और पुलिस न जो तौर तरीके अपनाये थे उसे क्या यह सरकार नहीं कर सकती थी? क्या अपने भूतपूर्व मंत्रियों को यह सरकार जेल नहीं भिजवा सकती थी? किन्तु हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि यह सरकार बदले की भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहती है। आपन जो बीस साल के अन्दर प्रशासन में धब्बे डाल दिये हैं उनको हम साफ करना चाहते हैं और धो देना चाहते हैं। अगर हम उसको नहीं कर सकते हैं तो आपको हक होगा कि आप इस सरकार को बदल दें। मैं माननीय उप गृह मंत्री जी स कहना चाहता हूं कि पुलिस के कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ शिकायतें थीं और जिनके बौर तरीके अच्छे नहीं थे, उनकी तरफ आपको देखना है। कानपुर में जो एस० पी० (सिटी) महोदय थे उनका मैंने सिर्फ यह विरोध किया था कि जब पाकिस्तान और चीन का आक्रमण हुआ था तो उन्होंने अपनी पदवी के जरिये से अपने परिवार के लोगों को एक सैनिक की पत्नी को निकाल कर रक्खा था, और उसका हमारी पार्टी ने डट कर विरोध किया था। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने दो मुकदमे डी० आई० आर० के मेरे ऊपर भी चलाये और कोशिश की कि यह मामला विधान सभा में न उठाया जाय; किन्तु मेरे साथी सदस्यों ने इस मामले को विधान सभा में उठाया था। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को सरकार नहीं देखेगी तो मैं यह समझता हूं जो पुलिस का तरीका पहिले था वह अब भी रहेगा। क्योंकि उसी एस० पी० सिटी की लखनऊ में नियुक्ति हुई है। वह गलत है, लेकिन मुझे

आशा है कि यह तरीका बदला जायेगा और ऐसे लोगों को सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जहां तक पुलिस के कर्मचारियों का सम्बन्ध है। बीस सालों में आपने कभी भी पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं सोची, आपने जब भी सोचा तब अपने परिवार के लोगों को अफसर एवं कमिश्नर बनाने के लिये ही सोचा। उनकी उस संख्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के सिनेमा घरों में पुलिस चौकी का ज्यादा फोर्स पहरा देने जाता है, अगर एस० पी० परिवार के लोग जायं तो चार, पांच सिपाही आगे पीछे चलते हैं पर अगर उस इलाके में कत्ल हो जाय और पुलिस की जरूरत पड़े तो पुलिस मिल नहीं सकती। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सिनेमा मालिकों से पुलिस रक्षा का उचित पैसा लिया जाय या पुलिस पहरा हटाया जाय। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सी० आई० डी० की जो पुलिस है उस पर सरकार का बहुत कुछ दारोमदार है, इनकी ईमानदारी मैं समझता हूं कि सी० आई० डी० पुलिस ज्यादा ईमानदार है। सी० आई० डी० पुलिस को दो रुपया वर्दी अलाउन्स सन् १९६५ से मिलता था, जो काट दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि आप इस मामले में विचार करें और वर्दी अलाउन्स पुनः मिलना चाहिये। सी० आई० डी० का ऐसा डिपार्टमेंन्ट है जिससे सरकार को सही चीजों का पता लगता है। पहले की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन आज की सरकार पर जनता का इतना विश्वास है कि अगर किसी को चीफ साहब के खिलाफ भी कोई शिकायत होती है तो वह सीधा पुलिस मंत्री और मुख्य मंत्री के पास दौड़ कर आता है कि हमको चीफ साहब ने गाली दी है। क्योंकि वह समझता है कि वे लोग जनता के ही हैं। उनका इतना मंहगा भाव नहीं जितना कि कांग्रेस के मंत्रियों का था। उनसे बातें करने को मिलती हैं, उनको शिकायत को सुना जाता है। अगर जिला स्तर पर उनकी शिकायतों के सुनने का प्रबन्ध हो जाय तो मंत्रियों का बहुत सा काम कम हो जाय।

पहले हमारे साथी इधर बैठते थे, अब उधर बैठते हैं। इधर से वे जो बातें कहते थे उनमें और अब वे जो बातें कहते हैं, उनमें फर्क नजर आता है। वे कहते हैं कि चरण सिंह साहब ने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस के साथ उन्होंने गद्दारी की। आप लोगों को कुछ तो हया या शर्म आनी चाहिये। क्यों ? इसलिये कि आप के साथ में रह कर कोई भी ईमानदार आदमी प्रदेश की भलाई, उसका सुधार नहीं कर सकता था। आप बेईमानी में इस कदर डूब गये थे कि ईमानदार आदमी की वहां कोई सुनवाई ही नहीं थी। आपके अन्दर वह दिल और दिमाग ही नहीं रहा था कि आप प्रदेश की जनता की तकलीफ को समझ सकते। (शोर) अब शोर न मचाइये। अब गाड़ियों के परमिट नहीं मिल सकते। सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद। आज वह हालत है कि आप में हिम्मत ही नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी की बात को जनता में जाकर कहें। आप में हिम्मत नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले को लेकर आप जनता के सामने जायं नहीं तो आपने उठा ही क्या रखा था। इसी प्रकार से लेवी के विरोध में आपने क्या बाकी रखा था लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जनता के सामने जा सकें क्योंकि आपने ईमानदारी से कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की। आज चौधरी चरण सिंह जी का विरोध राजनैतिक कुछ लोग भले ही कर लें जिनकी कुर्सी छिन गयी है, विशाल बंगले छिन गये हैं, लेकिन साधारण जनता उनके साथ है। गरीब मजदूर किसानों के दिल दिमाग में चौधरी चरण सिंह बैठा हुआ है। मैं एक रिक्शे में बैठा हुआ था कि एक सिपाही ने उसको रोका तो रिक्शेवाला कहने लगा कि यह गुप्ता जी की सरकार नहीं है, कायदे से बातें करो, यह चरण सिंह की सरकार है। इस प्रकार के लोगों के भाव हो गये हैं। जनता इस सरकार के साथ है। जिन लोगों ने चुनाव में अलग-अलग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ा, लेकिन वे सब जनता के हित के लिये एक दिल होकर, इकट्ठे होकर आपके पापों को धोने के लिये यहां बैठे हैं और आपकी सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं। यह सरकार जिन नीतियों को लेकर बनी है अगर उन नीतियों पर डटी रही तो आप लोगों के पाप सदा के लिये धुल जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं; वह यह कि पलिस के छोटे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर अवश्य

[श्री बाबू बदरे]

बनाये जाने चाहिये। बड़े आफिसरों के लिये तो बनाये जाते हैं लेकिन उनके लिये कोई नहीं बनाये जाते। अगर उनका कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो वे बच्चों के लिये, मकान के लिये तरस जाते हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात फिर निवेदन कर दूं कि अभी जब पूर्ववक्ता बोल रहे थे तो उधर से एक माननीय सदस्य बड़े जोर से कुछ कहने लगे और इधर के बाकी दसरे लोग उनको रोकने लगे। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि ऐसा व्यवहार सदन में हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, अगर कोई माननीय सदस्य सदन में अनुचित व्यवधान भी करता है तो उसे रोकने का अवसर मुझे दें, न कि सब लोग बोलने लग जायं।

श्री माता प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, उधर से जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे वह कह रहे थे कि इधर के सदस्यों की अब हिम्मत नहीं है कि वे जनता के सामने जाय। मैं उनको बता दूं कि जब से उन की सरकार बनी है उसके बाद से प्रदेश में ३ विधान सभा के और एक विधान परिषद् का चुनाव हुआ है और इनमें से २ सीटें कांग्रेस के लोगों को ही मिली है। यह कहना कि हम जनता के सामने नहीं जा सकते बिलकुल गलत चीज है। मुख्य मंत्री जी से.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

फिर वही बात कुछ इधर से और कुछ उधर से होती है, साधारण व्यवधान को तो बुरा नहीं मानना चाहिये।

श्री माता प्रसाद—

एक सुझाव मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूं। पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ, कांस्टेबिल, दरोगा सब-इन्सपेटर के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच करने वाली एजेंसी दूसरी होनी चाहिये न कि जिसकी शिकायत हो वह उसी के पास जांच के लिये पहुंच जाय। होता यह है कि सब-इन्स्पेक्टर की अगर शिकायत है तो एस० पी० उसी के पास जांच के लिये भेज देते हैं, इस तरह से जांच ठीक नहीं हो पाती। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसके लिये कोई दूसरी व्यवस्था करें। हमारे जौनपुर में धोखाधड़ी बहुत चल रही है। अगर किसी गरीब आदमी को फंसाना होता है तो उसको किसी दूसरे शहर कलकत्ता बम्बई से झूठे केस में फंसा देते हैं और इ स्पेक्टर दरोगा से उसको वहां पकड़ कर भेज दिया जाता है, यद्यपि इन्स्पेक्टर यह जानता रहता है कि वह आदमी उस तारीख को यहां मौजूद रहा है लेकिन चूंकि उस पर वहां जाकर केस चलाया जाता है इसलिये यह जानते हुये भी पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं और वहां भेज दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे केसेज में सरकार उनकी जमानत का इंतजाम यहीं जिले में कर दे ताकि उनको दूसरे सूबे में न जाना पड़े, वह दूसरे सूबे में जाते हैं तो उनकी जमानत नहीं होती।

एक और चीज की तरफ जैसा कि मैंने कटौती के प्रस्ताव में भी कहा है, ध्यान आकृष्ट करूंगा, कि लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी रेन्ज के जितने जिला हेडक्वार्टर हैं जहां पर कि कांस्टेबुलों को मेस में खाना दिया जाता है वहां पर अनुसूचित जातियों के खाने की अलग से व्यवस्था है और उनके साथ भेदभाव बरता जाता है, इससे उनमें बड़ा असन्तोष

है और ऐसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिये। इसके अलावा पुलिस छुआछूत के केसेज बहुत कम दर्ज करती है, केसेज होते हैं, रिपोर्ट होती है, लेकिन वह दर्ज नहीं किये जाते या चलाये नहीं जाते। मैं चाहता हूं कि ऐसे केसेज चलाये जायं। इसके अलावा शहरों में ट्रक्स से चौराहों के कांस्टेबिल २–२ और ३–३ रुपया रोज वसूल करते हैं। जौनपुर में इसी तरह से शहर के कांस्टेबिल ट्रक्स रोक कर रिश्वत लेते हैं और आने जाने वाले दूसरे ट्रैफिक की लम्बी लाइन लग जाती है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की गलत प्रथा को बहुत सख्ती के साथ रोका जाना चाहिये।

श्रीमन्, एक चीज की ओर और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुलिस विभाग में जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे आई० जी० व डी० आई० जी०, एस० पी०, डी० एस० पी० उनका जनता से व्यवहार काफी अच्छा है, परन्तु हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं जैसे सब इन्सपेक्टर व कांस्टेबिल आदि, जिनका जनता से अधिक संपर्क भी रहता है, उनका व्यवहार अत्यन्त अनुचित रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे आदेश प्रसारित करें जिनसे इनके व्यवहार में सुधार हो सके। देखा यह गया है कि यदि ये लोग किसी व्यक्ति को परेशान करना चाहते हैं तो किसी भी मामले में गरीब लोगों को फंसा देते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि वे इस ओर ध्यान दे ताकि जनता को आराम मिल सके।

यह भी देखने में आया की कांस्टेबिलों का पोस्टिंग उनके जिलों में जहां के वे रहने वाले होते हैं, नहीं किया जाता बल्कि व लोग दूसरी जगहों पर ही रहते हैं और उनके आवास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती है। उनके लिये क्वार्टर की भी व्यवस्था होनी चाहिये और उनका वेतन, जो बहुत कम है, वह भी बढ़ना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो पुलिस कमीशन नियुक्त हुआ था उसकी रिपोर्ट के अनुसार इनके वेतन बढ़ने चाहिये। आज हमारे पुलिस के कर्मचारी कम वेतन होने के कारण घूस लेते हैं। मौजूदा सरकार को चाहिये कि उनका समुचित वेतन बढ़ायें ताकि वे घूस लेना छोड़ दें।

जहां तक गांव के चौकीदारों का प्रश्न है, उनको केवल ५ रुपया प्रतिमाह मिलता है और इसके लिये उनको महीने में २ बार थाने में जाना पड़ता है जहां पर उनसे पूरे महीने भर के वेतन के बराबर काम ले लिया जाता है। इन लोगों का भी वेतन बढ़ाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर के पक्ष से बार-बार यह कहा जाता है कि कांग्रेस के २० साल में यह सब हुआ। मान लीजिये कि इधर बैठने वालों से गलती भी हुयी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका यह भी है कि अपना दोष स्वीकार न किया जाय और इधर के बैठने वालों के ऊपर ही सारे दोष आरोपित किये जायं।

जहां तक सी० आई० डी० का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य के कथन से सहमत हूं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो यह चाहूंगा कि यदि सरकार से हो सके तो इनकी संख्या में वृद्धि करे और जिला स्तर पर जो सब इन्सपेक्टरों या कांस्टेबिलों के विरुद्ध शिकायतें की जायं, उनकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी जाय ताकि बहुत से मामलों का सही ज्ञान हो सके।

हर विभाग में अनुसूचित जातियो के लिये संरक्षण रखा जाता है परन्तु सब-इंस्पेक्टरों और कांस्टेबिलों की नियुक्ति के समय इसका बिलकुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं चाहता हूं कि जो भी भविष्य में भर्ती की जाय, उनमें १८ प्रतिशत या इससे अधिक, जैसा कि हर विभाग में होता है, उनमें रिजर्वेशन का कड़ाई के साथ पालन किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। हमारी प्रक्रिया नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ४ बज से कार्य-स्थगन या दूसरे जो प्रस्ताव होते हैं, उन्हें लिया जाय। क्या इस मामले में ४ बजे से शुरुआत हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने दो, तीन रोज हुए माननीय सदन से परामर्श किया था कि जब तक बजट पर मतदान चल रहा है तब तक के लिये ऐसा होगा कि ४ के बजाय मैं साढ़े ४ बजे से उस विषय को लिया करूंगा जिस से बीच में वाद विवाद में रुकावट न डालनी पड़े। केवल बजट के दिनों में ही ऐसा रहेगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, एक सूचना दे दूं कि कल या परसों की बात है कि साढ़े ४ बजे नियम ५१, ५२ के प्रश्न लिये गये और ५, १० मिनट में वह खत्म हो गये उसके बाद सदन ऐडजर्न हो गया जिस के कारण २० मिनट का सदन के समय का प्रयोग नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष---

आपका सुझाव क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

नियमों में जो प्रोवीजन है कि ४ बजे से ले लिया करें वही रखा जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस मामले में सदन की इच्छा पर चलना चाहता हूं। लेकिन यह भी कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है कि वह इच्छा रोज बदले। अभी दो रोज पहले मैंने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया था, जो माननीय सदस्य यहां मौजूद थे, हो सकता है कि आप न रहे हों, उन्होंने विचार विनियम के बाद यह बात तय की। तो आज तो यह दिक्कत उठती नहीं है क्योंकि दो रोज का इस अनुदान पर वाद-विवाद है। एक बात मैं और देख लेता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज आधे घंटे का समय नहीं लगने वाला है तो मैं साढ़े ४ बजे को भी बढ़ा देता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

तो मैं ऐसा समझूं कि जब तक वह बातचीत पूरी न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ा हुआ माना जायगा।

श्री अध्यक्ष---

वह तो १५ मिनट का मुझे अधिकार है और सदन जितना समय चाहे बढ़ा सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय बहुगुणा जी जो फरमा रहे हैं वह अवैधानिक है क्योंकि सदन का समय तभी बढ़ेगा जब सदन बढ़ाना चाहेगा।

श्री अध्यक्ष---

वही मैं कह रहा हूं कि सदन ही समय बढ़ा सकता है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

इसमें क्या एतराज की बात है कि आप ४ बजे से जो प्रक्रिया नियमावली में दिया हुआ है उसके हिसाब से ५१, ५२ की सूचनायें लें। अगर उनमें पूरा समय लगता है तो ठीक है, और अगर बीच में खत्म हो जाता है तो वाद विवाद फिर जारी हो।

श्री अध्यक्ष

किसी बात में कोई हर्ज नहीं है। एक भाषण की रौ चलती रहती है इसलिये उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहते। इसलिये यह प्रश्न उठा था। अब अगर आप कोई और परिवर्तन चाहेंगे तो हो सकता है। लेकिन अभी जैसा मैंने साढ़े ४ बजे की बात जो सदन ने स्वीकार की उससे काम में कोई रुकावट नहीं आती। अगर कुछ आगे बैठने की इच्छा होगी तो आगे बैठ सकते हैं।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस अनुदान के ऊपर अपने विचार प्रकट करते हुए यह उचित समझता हूं कि आज के पुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में और जो कार्य कलाप एवं नीतियां और कानून पुलिस के फंक्शन्स के सम्बन्ध में हैं उनके ही बारे में सीमित हो कर कुछ बात कहूं। यद्यपि एक परम्परा ही हो गयी है कि आज के युग की आलोचना करते समय हमारे बीच में एक धारा बह चली कि हम पिछले २० साल के युग की भी आलोचना करें। पिछले २० साल के युग की आलोचना जनता ने और समाज ने स्वयं कर दी और पता नहीं हमारे मित्र जो कांग्रेस की बेंचों में बैठे हुए हैं, कामरेड लेनिन ने कहा है कि राजनीतिक जीवन की शुद्धि के लिये आलोचना और प्रत्यालोचना, ये दो महान अस्त्र हैं। आलोचना हम दूसरे की करते हैं और आत्मालोचना स्वयं की करते हैं। इसलिये पिछले २० साल के बारे में पुलिस के सम्बन्ध में हमारे कांग्रेस के मित्रों की और पूरे सामान्य प्रशासन के बारे में उनकी क्या आत्मालोचना है उससे उन्होंने क्या सबक लिये हैं यह तो मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूं।

लेकिन इतना मैं जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस के काम करने की जो प्रणाली है उसमें और आज से ३० साल पहले ब्रिटिश सरकार के जमाने में अथवा २० साल पहले कांग्रेस सरकार के जमाने में जो प्रणाली थी, एक तिल मात्र भी अन्तर पैदा नहीं हुआ। जनता का रुख पुलिस के प्रति अथवा पुलिस का रुख जनता के प्रति जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को थाने में बुला लिया जाय और अचानक कोई सिपाही आकर कहे कि चलो दरोगा जी बुला रहे हैं तो वह व्यक्ति बूचड़खाने में जाना पसन्द करेगा लेकिन थाने में जाना पसन्द नहीं करेगा। यह क्यों है? इसी तरह से यह बात अपनी जगह सही है कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस के प्रशासन के संबंध में जो कानून बनाया गया था उसको उन बुजुर्गों ने जो कांग्रेस बेंचेज पर बैठे हैं न कोई तब्दीली की और न हमने ही आज तक कोई इनिशियेटिव इस दिशा में लिया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जब विरोधी दल में हम बैठते थे तो हम दूसरी बात कहते थे लेकिन अब हमने जब संयुक्त विधायक दल के प्लेटफार्म पर सरकार बनायी है तो हमारा एटीट्यूड एंटायरली चेंज हो गया है। इसलिये आज मैं अपनी आत्मा लोचना करता हूं। कल जो मित्र शासन की कुर्सियों पर बैठे थे वह जो बातें हम कहा करते थे वही वे कहने लगे हैं और इस तरह से एक परम्परा चल पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी ही अध्यक्षता में कालागढ़ के बारे में एक विचार विनिमय हुआ था। आज प्रशासन में एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो गया है कि एक भी व्यक्ति आज संतुष्ट नहीं है। एम० एल० ए० समझता है कि मैं हेल्पलेस हूं। किसी मिनिस्टर से बातचीत कीजिए, वह समझता है कि मैं हेल्पलेस हूं और मुख्य मंत्री यह समझते हैं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

वह अजीबोगरीब घुटन में आ कर फंस गये हैं । जरूर कोई न कोई पोलिटिकल क्राइसिस है और मेरे दृष्टिकोण में कोई ऐसी घुटन है जिससे हर व्यक्ति अपने आप को हेल्पलेस समझता है ।

कालागढ़ में न्यायिक जांच नहीं हो सकती थी । मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट उससे एम्बरेस होती है तो मैंने उस पर जोर नहीं दिया, लेकिन कालागढ़ के मामले में जो लोग बातचीत करने यहां आये थे १४ तारीख को उनके खिलाफ भी वारंट निकल गये हैं । कोई मंत्री उन वारंट्स को खत्म नहीं कर सकता । जब लेबर मिनिस्टर को दरख्वास्त दी तो जवाब मिला कि सिंचाई मंत्री का मामला है । सिंचाई मंत्री व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र हैं, पहले भी दोस्त थे । उनसे मैंने निवेदन किया कि कम से कम ये तो फरियाद लेकर आये हैं, उनके वारंट वापस होने चाहिये । उनका कहना था कि चौधरी साहब से बातचीत करनी पड़ेगी । दोनों मिल कर चौधरी साहब के पास गये तो वे यह समझते हैं कि यह इनका घरेलू मामला है, कोई बीच में साजिश है । उनका यह एटीट्यूड रहता है । अब अगर संविद की सरकार को छोड़ता हूं तो पिछले २० साल का काला इतिहास है वह सामने आता है और अगर इसमें रहता हूं तो एक घुटन होती है । मजदूर और किसान की सेवा करने के लिये एक सत्ता को हटा कर दूसरी सत्ता का संगठन किया, लेकिन अपने हाथों से बनाई हुई रस्सी से अगर अपने ही पैर बंध जायं तो हममें घुटन क्यों नहीं पैदा होगी ? कालागढ़ में पुलिस की फायरिंग नहीं हुई । कोई नहीं कहता कि फायरिंग हुई । जो दोस्त कहते हैं वे गलत कहते हैं, लेकिन जो ज्यादती हुई वह किसी से छिपी नहीं है । कालागढ़ के लोग आ कर बताते हैं कि किस तरीके से आज भी पुलिस लोगों को चिढ़ाती है कि क्या कर लिया और वह लोग जो बड़े अच्छे टेक्नीशियन हैं, पांच-पांच, छै-छै सौ रुपये तनख्वाह पाते हैं और ५०-५० लाख रुपये की कीमत की मशीनों को संचालित करते हैं आज वे दर-दर मारे-मारे फिरते हैं और समझते हैं कि हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं यह पुलिस का एटीट्यूड है । होशियार सिंह के बारे में अभी आपने अवसर दिया था विचार विनिमय करने के लिये, आपने एक परम्परा कायम कर रखी है, हम तो आपके बहुत आभारी हैं कि कम से कम आपके जरिये हमको अपनी बात को कहने का मौका तो मिल जाता है । आज एक लेटर आया और जो बात हमने प्रश्नों के रूप में पूछी थी वह स्पष्ट है कि कैसे पवन कुमार से पुलिस ने ज्यादती करके, उसे हवालात में बन्द कर के, रिपोर्ट लिखायी और किस तरह से तेरह सौ रुपये उससे लिये गये । आप यह भी जानते हैं कि पुलिस दमन और हिंसा का साधन भी है । मैं यह नहीं मानता हूं कि पुलिस में जो भी शामिल हो गये हैं वह सारे के सारे बेईमान हैं और पालिटिक्स में जो आ गये वह सब ईमानदार हैं । यह सर्वव्यापी भ्रष्टाचार काली टोपी, सफेद टोपी, नीली टोपी, सब में है और जो लोग पुलिस में हैं उनके अन्दर भी है । (व्यवधान) पुलिस का संगठन जिस मकसद से अंग्रेजों ने किया था कि राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन किया जाय वही एटीट्यूड आज भी जारी है । मैं अपने कांग्रेसी दोस्तों को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता । उन्होंने हमारे दर्द को कभी महसूस नहीं किया । आज तक पुलिस ने उनके ऊपर कोई लाठी नहीं चलायी.....

श्री अध्यक्ष—

आचार्य जी, आप अपना बाकी भाषण पांच मिनट कल कर लें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है माननीय राजाराम पांडेय जी के द्वारा । यह जिस घटना से संबंधित है वह बहुत पुरानी हो गयी है, २२ अप्रैल की, उस पर ध्यान आकृष्ट कराया २५ अप्रैल को । उसमें इतना विलम्ब हो गया है कि कार्य-स्थगन के रूप में उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है । उसमें यह विषय है कि देवरिया जिले में भटनी पर एक शुगर मिल ब्रान्च है । उसमें वह कहते हैं कि एक हजार श्रमिक नियोजित हैं । कारखाने के प्रबन्धक ने २२ अप्रैल से बीस श्रमिकों

को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया है। और उनका कहना यह है कि कारखाना नहीं खुल रहा है। कारखाना बन्दी की घोषणा कर दी है जिससे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)--

इसके संबंध में थोड़ी सी स्थिति मैं साफ कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजाराम जी, स्थिति तो साफ मैंने कर दी कि वह अस्वीकृत हो गया। अगर उसके पहले मुझे कुछ पूछने की आवश्कता होती तो मैं आपको आवाहन करता। अब तो वह बात हो चुकी और उससे कुछ फायदा नहीं होगा।

श्री राजाराम--

यों तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन वहां की स्थिति इतनी गंभीर है.....

श्री अध्यक्ष--

फिर और तरह से ध्यान दिलायें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

अगर आज्ञा हो तो.....

श्री अध्यक्ष--

इस विषय में तो नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मुख्य मंत्री जी बैठे हैं इसलिये कहना चाहता हूं वरना कहता भी नहीं। सारे सूबे की चीनी मिलों की यह बीमारी है जो आप कह रहे हैं। इससे हलचल सब जगह है, अकेले भटनी में ही नहीं। बेहतर हो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आ जाय कि क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। बड़ी बेचैनी लोगों की खत्म होगी अगर बात मालूम हो जाय। इसलिये अगर चाहें तो इस सवाल को माननीय मंत्री जी के पास भेज दें ताकि उनका बयान आ जाय, जिससे सारे प्रदेश में जो व्याप्त असन्तोष और परेशानी है, वह खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

एक तो ऐसा है कि संबंधित अनुदान सदन के सामने आवेगा, उस समय या सामान्य प्रशासन पर अनुदान के समय, या जिस तरह से भी आप चाहें, उस तरफ सरकार की तवज्जह दिला सकते हैं।

श्री राजाराम--

श्रीमन्, मिल मालिक ने वह कारखाना बन्द कर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजाराम जी, सदन के नियम के अनुसार अगर आज घटना हो तो कल उस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ सकता है। मैं समझता हूं कि जिस घटना का उल्लेख आपने किया है वह कई दिन पहले घटी, फिर कई दिन के बाद उसकी आवश्यकता क्या रही? आप इसको देख लें, मैंने विस्तारपूर्वक उसका कारण लिख दिया है। लेकिन आज मैं यहां इस पर किसी तरह की चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं।

भूतपूर्व विधान परिषद् सदस्य, श्री शंकर राव, की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मेरे पास नियम ५१ के अन्तर्गत ५ सूचनायें आयी हैं। इसमें से ३ को तो मैंने अस्वीकृत कर दिया है, शेष दो में एक तो श्री श्रीराम तिवारी और माननीय हेमवतीनन्दन बहुगुणा की सूचना है, जिसका विषय यह है---

"उत्तर प्रदेश के एक सार्वजनिक सेवक एवं भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, श्री शंकर राव, को गत शुक्रवार की रात्रि में ९ बजे कुछ लोगों ने गोलियां मारीं जबकि वे अपने एक और पड़ौसी श्री मंडल के यहां से अपने घर लौट रहे थे।

घायल अवस्था में उक्त श्री शंकरराव और श्री मंडल को सिविल अस्पताल, हजरतगंज लाया गया जहां (सिविल अस्पताल) में ही २ जुलाई को प्रातःकाल श्री शंकरराव का देहान्त हो गया।

श्री शंकर राव के हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गये हैं। साथ ही इन खबरों से भी जनता में बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि श्री शंकर राव की एकाएक इस प्रकार की मृत्यु हो जाने से कि क्या पुलिस और अस्पताल के अधिकारी अपना कार्य पूर्ण दक्षता से नहीं कर सके हैं?"

इसको मैंने नियम ५१ में तो स्वीकृत नहीं किया है, इसलिये और तरीकों से इसके बारें में आप जानकारी कर सकते थे लेकिन इस बात को देखते हुये कि एक विधान परिषद् के सदस्य की मृत्यु से सम्बन्धित है और इस सम्बन्ध में जिस तरह की बातें हैं उससे लोगों के मन में गतलफहमी रह सकती है, इसलिये मैंने उसको सरकार के पास वक्तव्य के लिये भेज दिया। तो माननीय मुख्य मंत्री जी, इस पर कब वक्तव्य होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें तो अभी मालूम हैं ; अगर आज्ञा हो तो अभी वक्तव्य दे दूं?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

*श्री चरण सिंह---

३० तारीख की रात के सवा ९ बजे श्री शंकर राव अपने पड़ोसी श्री मंडल जो कि रेलवे में मुलाजिम हैं, उनसे मिलने के लिये गये। श्री शंकर राव पेपर मिल कालोनी में रहते थे। वे जैसे ही उनके मकान से निकले कि दो आदमी आये। एक ने तो उन पर लाठी दी। वे शायद लड़खड़ा रहे थे कि दूसरे ने शायद एक कंट्रीमेड पिस्तौल से उनके ऊपर कई वार गोलियों का किया। जब उनके मित्र श्री मंडल जिनसे वे मिलने गये थे, उनकी रक्षा के लिये आये तो उन लोगों ने उनके ऊपर भी फायर किया, जिससे उनको भी चोट लगी। फिर वे दोनों आदमी भाग गये। वे थाने में ले जाये गये, थाने में इत्तिला हुई और वे उसी दिन अस्पताल गये। कल सुबह ५ बजे श्री शंकर राव की मृत्यु हो गयी। अब पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति ने, उनकी धर्मपत्नी ने या उनके किसी रिश्तेदार तक ने भी कोई यह संकेत नहीं दिया है कि अमुक आदमी का यह काम हो सकता है। पुलिस तो वहां मौजूद थी नहीं, हो भी नहीं सकती हर जगह मौजूद। तो फिर कोई तो मदद करे किसी तरह की। किसी पड़ोसी ने या किसी व्यक्ति ने उनकी आइडेंटिटी नहीं की है, जुर्म करने वालों की। और अभी तक पुलिस का मोटिव क्या है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मालूम नहीं हुआ । एक बात मालम हुई है, उसमें संदेह है, इसलिये मै कहना नहीं चाहता हूं। सुपरिटेंडेंट ने लिखा है कि हम पूरी कोशिश कर रहें हैं और बहुत अच्छे अफ़सरान लगाये गये हैं। इस समय तक पुलिस का फेल्योर कहा जाये या नहीं, मैं समझता हूं कि कोई कोताही नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब शंकर राव जी सिविल अस्पताल में आये तो उनका उपचार किया गया और कुछ गोलियां उनके शरीर से नहीं निकाली गईं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि डाक्टरों ने असावधानी बरती या क्या स्थिति थी ?

श्री चरणसिंह—

मुझे मालूम नहीं है। मैं मालूम कर लूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके जीवन इतिहास को देखते हुये उनके नाबालिग बच्चों की शिक्षा आदि के संबंध में मदद करने पर विचार करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, फिलहाल मैं किसी तरह का कमिटमेंट करने के लिये तैयार नहीं हूं। लेकिन देखेंगे कि कुछ हो सकता है या नहीं ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि शंकरराव जी का डाइंग डिक्लेरेशन हुआ होगा तो उन्होंने किसी का संकेत किया या शुबहा जाहिर किया ।

श्री अध्यक्ष—

अभी उन्होंने बताया कि किसी को कोई संकेत नहीं किया ।

श्री चरणसिंह—

यह मुझे नहीं मालूम कि डाइंग डिक्लेरेशन हुआ या नहीं। जो रिपोर्ट आई, उसमें जिक्र नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, अस्पताल में कह दिया कि शंकरराव जी आउट आफडेंजर है । उसके बाद हालत खराब हुई और वे मर गये । तो क्या मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि लापरवाही के कारण तो उनकी डैथ नहीं हुई ? यदि अच्छी तरह से देखभाल करते तो शायद उनकी मृत्यु न होती ?

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत बारीकी में चले गये ।

श्री चरणसिंह—

जैसा मैंने अर्ज किया, मुझे मालूम नहीं है । मै मालूम कर लूंगा ।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि अस्पताल में कोई अधिकारी गये और उनका बयान लिया ?

श्री चरण सिंह—

मुझे नहीं मालूम

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके अतिरिक्त नियम ५२ में मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है, इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है। यह माननीय अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' और जितेन्द्रनाथ जी की है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, की अनियमितता के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नम्बर १२: उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, में अनियमितता के संबंध में श्री राममूर्ति अंचल, श्री मंगलप्रसाद तिवारी तथा श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम ५१ के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का वक्तव्य। आप बैठकर बोल सकते हैं। मुझे सूचना मिली है कि आपको कुछ कष्ट है।

सहकारिता मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)—

माननीय,

सहकारी संस्थाओं में यह देखा गया है कि कुछ प्रतिनिधि लगातार वहां के संचालक मंडल में बने रहते हैं और नये लोगों को अवसर नहीं मिलता है। यह भी देखा गया है कि किसी संस्था में बहुत समय तक संचालक बने रहने से निजी स्वार्थ भी पैदा हो जाने की संभावना रहती है जो कि संस्था के लिये हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसी दृष्टि से संस्थाओं ने भी अपनी नियमावली में इस बात का प्राविधान किया है कि लगातार दो अवधि तक संचालक रहने के बाद बिना अनुमति प्राप्त किये हुये किसी को निर्वाचित होने का अवसर न दिया जाय। इस विषय की ओर संपरीक्षण अधिकारियों ने भी ध्यान आकर्षित किया है। इन सब बातों का विचार करके इस बार निबन्धक महोदय ने यह निर्णय किया कि जो निर्धारित अवधि या उससे अधिक समय तक संचालक रह चुके हैं उन्हें पुनः निर्वाचित होने की अनुमति नहीं दी जायगी और साथ ही साथ किसी के साथ कोई पक्षपात न हो इसका विचार करके जिन कुछ संचालकों ने समय से बहुत पूर्व ही भूतपूर्व निबन्धक से इस प्रकार की अनुमति प्राप्त कर ली थी उसको भी वापस लेने का निर्णय लिया है। इसी निर्णय के अन्तर्गत श्री दिगम्बर सिंह को दी हुई अनुमति निबन्धक महोदय ने वापस कर ली है। इस संबंध में यह कहना सही नहीं है कि इसमें शासन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की गई है।

जहां तक प्रतिनिधियों के नाम स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रश्न है, शासन से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि प्रजातांत्रिक संस्थायें अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन अपने नियमानुसार करती हैं। किसी सूची को स्वीकार या अस्वीकार करना चुनाव अधिकारी या आर्बीट्रेटर का कर्तव्य है। इस बार दिनांक २८ जून, १९६७ को होने वाली उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा के लिये प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं से कुल २४६ प्रतिनिधि पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से केवल ११ प्रतिनिधि पत्र अस्वीकार किये गये। जहां तक जिला सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों का प्रश्न है इसमें कुल ४१ प्रतिनिधि पत्र प्राप्त हुए थे उनमे से केवल २ प्रतिनिधि पत्र अस्वीकार किये गये।

जहां तक वार्षिक सभा के स्थगन का प्रश्न है, इस संबंध में यह सूचना मिली है कि श्री राम सेवक मिश्रा द्वारा लाये गये न्यायालय के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्री माथुरा सिंह, ने जो इस साधारण सभा का सभापतित्व कर रहे थे उनके बाद श्री महेश सिंह ने जो सभापति बने, सभा की कार्यवाही को भंग कर दिया।

कहां तक कार्यवाही भंग करना उचित था, इस मामले की जांच उचित रूप से उसी समय हो सकती है जब कि आर्बिट्रेशन के लिए कोई प्रार्थना पत्र पड़े।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरी नोटिस में एक वाक्य था---"इस चुनाव को प्रभावित करने के लिये एक विशेष राजनीतिक पार्टी को पदारूढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस बैंक के संचालक मंडल में रिक्त स्थान न होने पर भी अपने द्वारा मनोनीत होने वाले संचालक को नामजद कर दिया।" इसका कोई जिक्र भाषण में नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कोआपरेटिव बैंक में नामजदिगियां होती हैं, उनको उन्होंने कहा कि ए०जी०एम० नहीं हुई थी, तो क्या कोई स्थान रिक्त नहीं था ?

श्री गंगा भक्त सिंह--

मान्यवर, शासन के द्वारा इन सहकारी संस्थाओं के अन्दर जो नामांकन होते हैं उनकी कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है। शासन को पूरा अधिकार है कि जब उचित समझे किसी का नामांकन हटा कर बदल दे और दूसरे को कर सकता है। इसलिये आवश्यक समझ कर बदल दी गयी और जनरल सभा भी होने वाली थी उसके पहले कर दिया गया। नियमों के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा कोई अवधि निश्चित नहीं है नामांकन की, क्या यह सही है कि जो नामांकन एक ए० जी० एम० में होता है वह दूसरी ए० जी० एम० में खत्म हो जाता है ? इसलिये अवधि की बात स्पष्ट कर दें।

श्री गंगा भक्त सिंह--

उसमें लिखा हुआ है, नियम में है, कि शासन के द्वारा जो नामांकन होंगे वह जनरल आम सभा तक या नवीन नियुक्ति होने तक पदासीन रहेंगे। जब कोई दूसरा हो जायगा वह हट जायगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नामांकन उन्होंने किये थे, अवधि से पूर्व करने का नियम जो बता रहें हैं, वह बतायेंगे कि कौन सा नियम है और किस नियमावली के अन्तर्गत ऐसा किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

कोई लिखित नियम है या कनवेंशन ?

श्री गंगाभक्त सिंह--

प्रत्येक सहकारी संस्था की एक नियमावली है उसमें इस प्रकार का नियम है। (व्यवधान) वह निमय तो मेरे पास है नहीं।

श्री अध्यक्ष--

वैसे नियम पढ़ने को मैं कहता भी नहीं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

ऐसा नियम मेरे सामने कोई आया नहीं। धारा ४३ के अन्तर्गत जो नियम बनते हैं कोई ऐसा नियम नहीं है। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस प्रकार का कोई कनवेन्शन अब तक हुआ है कि ए० जी० एम० से पूर्व कोई नामांकन हो गये हों इस प्रदेश में ?

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी के लिये इस प्रश्न को इस तरह से परिवर्तित कर देता हूं कि नियमों को छोड़ते हुये क्या इस तरह का कोई कन्वशन रहा है कि अवधि से पहले नामांकन हुये हों।

श्री गंगा भक्त सिंह—

इसके पहले जो रहा है, वह तो यह बतायें।

श्री अध्यक्ष—

नियमों के अन्तर्गत जवाब देने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है, इसलिये आप ही जवाब द ।

श्री गंगा भक्त सिंह—

आप कहेंगे तो इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री बनारसी दास (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग सहकारी संस्थाओं में ६ साल से ज्यादा रह चुके ह, उनको और अधिक समय आम तौर से देने की सहकारी कार्यकर्त्ताओं की ओर सबकी मांग थी? और इसमें क्या जनसंघ के माधव प्रसाद त्रिपाठी और टम्क्रेश्वर प्रसाद आदि लोग शामिल थे जब यह बिल बन रहा था?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मुझे इसकी तो सूचना नहीं है, लेकिन मेरी धारणा यह है और जो इस समय सहकारी निबन्धक महोदय हैं उन्होंने भी कहा है कि बहुत समय तक जो वहां रहते हैं उससे संस्थाओं का बहुत लाभ नहीं हो पाता है। यह केवल मेरी ही धारणा नहीं है। मैं तो बनारसी दास जी से कहूंगा कि वह अपने नेता विरोधी दल से भी विचार विमर्श इस बारे में कर लेते तो अच्छा हुआ होता, क्योंकि उन्होंने भी ये भाव व्यक्त किये हैं। पछली बार २८ मार्च से ३१ मार्च तक तिलक हाल में सहकारी गोष्ठी हुयी थी, उसमें श्री गुप्ता जी ने स्वयं ऐसे विचार व्यक्त किये थे कि "सहकारिता आन्दोलन देश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और मूल्यों को कम करन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकता है, बशर्ते कि इसे पेशेवर लोगों के चंगुल से मुक्त कर सच्ची सेवा भावना और लगन वाले लोगों के हाथों में सौंप दिया जाये।" आगे उन्होंने यह भी अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि "अब अवसर आ गया है जब सहकारिता आन्दोलन को उसकी अनेक दुर्बलताओं से मुक्त किया जाये, जिन में सबसे खटकने वाली बात तो यह है कि इसमें वह ही पुराने गिने गिनाये चेहरे आज भी देखने को मिलते हैं जो वर्षों से देखे जाते हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि यह तो पेशेवर लोगों के हाथों की कठपुतली बन रहा है अथवा उसका अपेक्षित विस्तार नहीं हो पाया।" तो यह विचार हमारे नेता विरोधी दल के भी रहे हैं, इसलिये यह सबका विचार है कि जो लोग लम्बे समय तक उसमें रहते हैं उनसे उतना लाभ नहीं होता जितना वास्तव में होना चाहिये, इसलिये मेरे विभाग के निबन्धक महोदय ने विचार किया और वह इस निर्णय पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त, जैसे मैंने बताया, नियमावली में भी इस बात का प्राविधान इसीलिये किया गया है कि जो दो अवधि तक चुनाव लड़े हों उन्ह तीसरी बार की अनुमति बिना किसी खास कारण के नहीं दी जायेगी। यानी उन्ह दो बार के बाद अनुमति लेनी होगी और यह अनुमति किसी विशेष दशा में ही दी जा सकेगी।

श्री बनारसी दास—

क्या सहकारिता मंत्री जी को विदित है कि जिस बारे में नेता विरोधी दल का जिक्र है उनका भाव यह है कि जिलास्तर पर जो कार्यकर्त्ता सहकारी कार्यकर्त्ता हैं वे एक से अधिक संस्थाओं में न हों और इसके लिये नियमों में व्यवस्था की गयी है?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जो भाव नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं, उससे तो यही भाव व्यक्त होता है कि लगातार होन वाले लोगों से सहकारिता का हित नहीं होता है। निबन्धक महोदय ने, जो

इस समय हैं, उन्होंने भी यह निश्चय किया है कि यह सहकारी संस्थाओं के हित में नहीं है कि बहुत दिन तक लोग अपने पद पर रहें ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री जी ने अभी मेरी चर्चा की है और मेरे २८ मार्च, १९६७ के किसी भाषण का कुछ जिक्र किया है और उन्होंने मेरे कुछ विचारों को जो सहकारिता संबंधी हैं उद्धृत किया है । मान्यवर, मेरे विचार जिन परिस्थितियों में और जिस संदर्भ में कहे गये हैं उसमें कुछ कांट छाँट की गई है, अलावा उन बातों के जिनकी चर्चा मंत्री जी ने की है। मैंने यह बात कही थी कि कोआपरेटिव संस्थाओं को राजनीतिक दलों का आड़डा नहीं बनाना चाहिये किन्तु जो बाते मेरे कानों में आई हैं वे ऐसी हैं जिनसे साबित होता है कि जो बुराइयां पहले सहकारिता आन्दोलन मे थीं उससे कहीं अधिक बुराइयां लाने की चेष्टा की जा रही है क्योंकि अब उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यक्तियों का नामांकन किया जा रहा है और इसी तौर तरीके को सामने रखकर और भी बहुत सी अनियमितितायें बरती जा रही हैं। ऐसी बातें जो हमारी परम्परायें रही हैं उनके बिलकुल विपरीत हैं। उन्होंने मेरी बात तो कह दी लेकिन इस बात को भुला दिया कि मैंने कभी भी उन परम्पराओं के विपरीत कार्य करने को प्रोत्साहित नहीं किया । माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो इस जमाने में बातें की हैं वह सारी मान्यताओं और सारे सहकारिता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। इसमें मुझे और इस प्रदेश की जनता को बहुत असंतोष है। इसलिये मैं अपने साथियों के साथ इन नीतियों का विरोध प्रदर्शन करने हेतु सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री चन्द्र भानु गुप्त ने कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष— (व्यवधान)

जो लोग जा रहे हैं, उनको जाने का अधिकार है और जो लोग बैठे हैं उनको यहां बैठने का भी अधिकार है लेकिन जो जा रहे हैं वे शांति पूर्वक चले जायं और जो बैठे हैं वे कृपया शांतिपूर्वक बैठें। (व्यवधान) गंगवार जी, आप सदन को सदन ही रहने दीजिये।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० बैंक की मीटिंगों में एक विशेष गुट के लोगों के अवैधानिक चुनाव हुये? जिन लोगों ने ऐसे चुनाव किये थे, उनके खिलाफ मंत्री जी क्या कुछ कायवाही करेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा, मीटिंग जितने अनुचित ढंग से जिसने भंग की है, उनके खिलाफ यह विभाग स्वयं कार्यवाही करेगा, जब कोई प्रार्थनापत्र आयेगा । वास्तव में सभा को भंग करने की सारी जिम्मेदारी जिन्होंने इस बात को उठाया है उनके ही साथियों में से किसी की ही हो सकती है। मान्यवर, यह नहीं है कि अगर सभापति न हो तो सभा न की जाय, न ऐसा कोई आदेश था । नियम ५१ के अनुसार या तो अध्यक्ष सभापतित्व करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा और अगर वह भी नहीं होगा तो जनरल बाडी द्वारा चुना हुआ कोई भी संचालक करेगा । इसलिये सभा को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये जो लोग सभा को नहीं होने देना चाहते थे उन्होंने उसको भंग किया है । तो इस संबंध में कार्यवाही की बात है । नियमानुसार उनका प्रार्थना पत्र आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय सहकारिता मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक स्टेट में सहकारी बैंकों में या और सहकारी संस्थाओं में कितनों को हटाया गया है और उनके स्थान पर कितने लोगों को नामिनेट किया गया है।

श्री गंगा भक्त सिंह—

इस समय पूरी जानकारी देना मेरे लिये कठिन है।

श्री विष्णु स्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में एलेक्शन से पहले किन-किन आदमियों को नामिनेट किया गया ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

इस समय यह भी बताना संभव नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री विष्णु स्वरूप—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन-जिन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक या सोसाइटी में उन्होंने नामिनेशन किया है वह किसी पार्टी लाइन पर किया है ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

पार्टी विशेष का आदमी नामिनेट किया गया हो, ऐसा नहीं है।

श्री विष्णु स्वरूप—

क्या मुजफ्फरनगर कोआपरेटिव बैंक में जो नामिनेशन श्री बाबूराम संगल और श्री जगदीश बन्धु का किया गया है वे जन संघ के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी हैं?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मैं निश्चित रूप से इस समय नहीं कह सकता कि वहां ऐसा है। हो सकता है वह जन संघ के हों।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस परम्परा को अपनाने के लिये अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति न हो तो जनरल मीटिंग के होने के नामिनेशन को रोकने के प्रश्न पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उठा था कि कुछ लोग इस परम्परा को मानते हैं उस परम्परा का हनन हुआ। मंत्री जी कह चुके हैं कि नियमों में ऐसा प्राविधान है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, जौनपुर, बुलन्दशहर, देहरादून आदि बहुत से जिलों में एक ही पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के नामांकन होने की जनरल शिकायत है और इसलिये कि भ्रम न पैदा हो जाय, कुछ सफाई करने की बात पर विचार करेंग ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

वैसे तो यह कहना सही नहीं है कि कुछ जिलों में एक ही पार्टी के लोग नामजद किये गये हैं अथवा पार्टी को आधार मान कर नामांकन किये गये हैं। शासन ने जो नामांकन किये हैं उसके पीछे आधार यह है कि वे लोग शासन का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से कर सकें। इसी दृष्टि से ये नामांकन किय गये हैं। उसक लिय प्राविधान था, हम कर सकते थे, उसकी आवश्यकता भी थी। उसम विरोधी पक्ष के होने का तो सवाल उठता नहीं, लेकिन संयुक्त विधायक दल के सदस्यों, विभिन्न पार्टियों क सदस्य उसमें नामजद किये गय ह। हो सकता

है कि कुछ जिलों में अच्छे लोगों से हमारा संपर्क न हो पाया हो, लेकिन अगर ऐसी बात हो तो माननीय सदस्य मुझे बता सकते हैं। २० जून के बाद फिर रेवेन्यू करने की स्थिति भी आ सकती है। उसे मैं फिर देख लूंगा।

श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलों में ऐसे व्यक्ति भी नामजद किये गये हैं कि जिनको सहकारिता का कोई ज्ञान नहीं है और ऐसे भी हैं कि जो बकायदार हैं, जो नियमतः बैंक के सदस्य नहीं हो सकते?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं देखूंगा।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गोरखपुर जिला सहकारी बैंक में जो नामांकन किये गये हैं उसमें ऐसे आदमी भी हैं कि जो कोआपरेटिव विभाग में सुपरवाइजर थे और डिसमिस किये गये हैं? यदि इस की जानकारी नहीं है तो क्या बिना जानकारी किये ही उनको नियुक्त कर दिया गया है?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मैंने बताया कि हो सकता है कि इसकी जानकारी मुझे है न हो पायी हो। मैंने कोशिश की है हर व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने की, लेकिन कोई गलती कहीं हो सकती है। उसके लिये यदि माननीय सदस्य बतायें तो मैं उसे फिर देख लूंगा।

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

कानपुर में जो लोग नामांकित किये गये हैं, वह किस दल के सक्रिय सदस्य हैं?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना सहकारिता मंत्री जी को कैसे हो सकती है?

श्री राम सुन्दर शास्त्री—

जब गवर्नमेंट की तरफ से जो नामिनेशंस आम चर्चा का विषय बन गये हैं तो मंत्री जी पुनः विचार करेंगे और सरकारी पक्ष, विरोधी पक्ष और जनता में जो प्रतिक्रिया हुई है उसके निराकरण के लिये नये सिरे से कायदे कानून के मुताबिक नामिनेशंस करायेंगे?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मैंने पहले ही कह दिया कि कोई अनियमितता नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अगर जानकारी कराने के बाद यह नतीजा निकले कि अनियमितता हुई है तो क्या दोबारा करेंगे?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मैं कह चुका हूं कि अगर कोई भी अनियमितता हुई है तो वह दूर की जायगी।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

देवरिया सहकारी बैंक में जो २ नामजदगियां हुई हैं, क्या दोनों जन संघ पार्टी के उम्मीदवार थे?

श्री गंगा भक्त सिंह---

मेरा कहना यह है कि अगर यह जन संघ के भी हों तो कोई नियम के विरुद्ध नहीं था। हो सकता है कि वे हों।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)---

माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि सारे दलों के हैं और जवाब में कहते हैं कि जन संघ के ही हो सकते हैं, तो क्या स्पष्ट करेंगे कि केवल जन संघ के ही हैं या सभी दलों के प्रतिनिधि हैं?

श्री गंगा भक्त सिंह---

मुझे जहां तक जानकारी है, जितने नामिनेशंस हैं मैंने हर एक पार्टी के किये हैं और अन्य स्थानों के भी किये ह, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन पूरी जानकारी के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या यह सही है कि जो नयी नामजदगियां की हैं वह इस बात को देखकर की हैं कि पिछले २० साल से यह मुहकमा भ्रष्टाचार का अड्डा किन्हीं खास परम्पराओं के कारण बन गया था, और वही लोग चले आ रहे थे, तो मंत्री जी नये लोगों को लाकर इस मुहकमे में से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष---

यह तो सब आ गया है।

श्री रघुबीर सिंह (जिला मैनपुरी)---

सरकार के पास ऐसी कौन सी एजेंसी है, जिसकी रिकमेंडेशंस पर ये नामिनेशंस किये गये और क्या यह सच है कि ये जिला जन संघ कमेटियों की सिफारिशों पर हुये हैं और उनमें किसी और दल का कोई भी नाम नहीं है?

श्री गंगा भक्त सिंह---

इस बात को कई बार स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि कौन सी एजेंसी थी आपके पास।

श्री गंगा भक्त सिंह---

इसकी कोई एजेंसी नहीं थी। मैंने व्यक्तिगत जानकारी से और अन्य मित्रों द्वारा जानकारी प्राप्त करके नामिनेशंस किये।

श्री अध्यक्ष---

समय समाप्त। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
३ जुलाई, १९६७।

नत्थी 'क'

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २२, १९६५

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६५, का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन अधिनियम, १९६७, कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २२ १९६५ का निरसन

२—उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, और उक्त अधिनियम की धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी, पहली जुलाई, १९६६ से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के लिए मालगुजारी की रबी किस्त, जो पहली अप्रैल, १९६७ अथवा उसके बाद देय होती है, के संबंध में अधिभार की कोई धनराशि न तो उद्गृहीत की जायगी और न देय होगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६५ में १ जुलाई, १९६५ से मालगुजारी या लगान पर आपातिक अधिभार के उद्ग्रहण की व्यवस्था है। अब यह इष्टकर समझा गया कि इस उद्ग्रहण को वापस ले लिया जाय। तदनुसार, यह निरसन बिधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

उदित नारायण
राजस्व मंत्री।

नत्थी 'ख'

धनराशि को निकाल देने या उसमें कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या १५—पुलिस

(लेखा शीर्षक २३—पुलिस)

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—पुलिस को जनता की इच्छाओं तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू करने योग्य बनाना और शासन करने की मनोवृत्ति में सुधार हेतु प्रभावी नियमों में संशोधन करना जिसके फलस्वरूप जन-सेवा की भावना बढ़ाई जा सके और पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार से उन्मुक्त हो सके।
२	श्री गोविन्द नारायण तिवारी तथा श्री लक्ष्मी रमण आचार्य।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—कल्याणकारी राज्य के पुलिस राज में बदलने की नीति की आलोचना।
३	श्री प्रभु दयाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—जोगिया, नौगढ़, जिला बस्ती में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर शासन का ध्यान दिलाना।
४	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना, जैसे (१) चौकीदार का वेतन बढ़ा कर ३५ रुपया मासिक किया जाय, (२) हरी फसलों को चोरी से चराई, कटाई रोकने का सुझाव, (३) चौकीदार की थाने की बेगारी समाप्ति।
५	श्री काली चरण अग्रवाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा करना एवं उसके उन्मूलन पर सुझाव। (२) देहातों में आतंक और कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के ठप्प होने पर चर्चा।
६	श्री रघुबीर सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—पुलिस के आतंक से जनता के भयभीत रहने, व्यापक भ्रष्टाचार से रोष उत्पन्न होने तथा पुलिस की जांच पर अविश्वास होन की चर्चा करना।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
७	श्री रामायण राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना एवं सुझाव ।
८	श्री नवल किशोर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि के लिये सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—कालागढ़ में तथा बनारस में पुलिस के अत्याचार की आलोचना ।
९	श्री चतुर्भुज शर्मा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—पुलिस द्वारा शांति एवं व्यवस्था कायम करने में असमर्थता और वाराणसी तथा कालागढ़ की अन्यायपूर्ण घटनाओं की आलोचना करना ।
१०	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—(१) मार्च, १९६७, के आखिरी हफ्ते में देवरिया जिला के रामपुर कारखाना थाना के कैथवलिया ग्राम के कुछ मुसलमानों को दिन दहाड़े लूट लेने, (२) पडरौना जिला देवरिया में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पडरौना के भूतपूर्व राज परिवार में हुई लम्बी चोरी और घातक आक्रमण, (३) देवरिया के तरयासुजान थाने में संसोपा कार्यताओं पर मई, १९६७ के दूसरे हफ्ते में स्थानीय पुलिस द्वारा घायल करने तथा (४) देवरिया में २६ फरवरी, १९६७, को दिन दहाड़े लूट पाट की शिकायत पर चर्चा उठाना ।
११	श्री राज किशोर तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—जौनपुर की पुलिस की अकर्मण्यता की ओर ध्यान दिलाना ।
१२	श्री माता प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—लखनऊ जिला हेड क्वार्टर तथा इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर रेंज के जिला मुख्यालयों के पुलिस मैसों में अनुसूचित जाति के कान्सटेबुलों तथा सब-इन्स-पेक्टरों को अन्य जाति के लोगों से अलग भोजन खिलाया जाता है, इस ओर ध्यान दिलाकर पुलिस मैसों से भेद-भाव की बातों को समाप्त करने की ओर कदम उठाना ।
१३	श्री दल बहादुरसिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—आलोचना करना और पुलिस प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिये सुझाव देना ।